IAS Baba

मासिक पत्रिका

जुलाई 2020

Highlights

- ✓ दसवीं अनुसूची: दलबदल विरोधी कानून
- ✓ IPC में सुधारों की आवश्यकता
- ✓ लुप्त होती महिला
- ✓ ऑनलाइन शिक्षा में सामाजिक असमानता
- ✓ PM गरीब कल्याण अन्ना योजना भारत-चीन विवाद
- ✓ भारत-ईरान की चिंताएं
- ✓ भारत-यूरोपीय संघ
- ✓ COVID-19 राजकोषीय प्रतिक्रिया की घोषणा

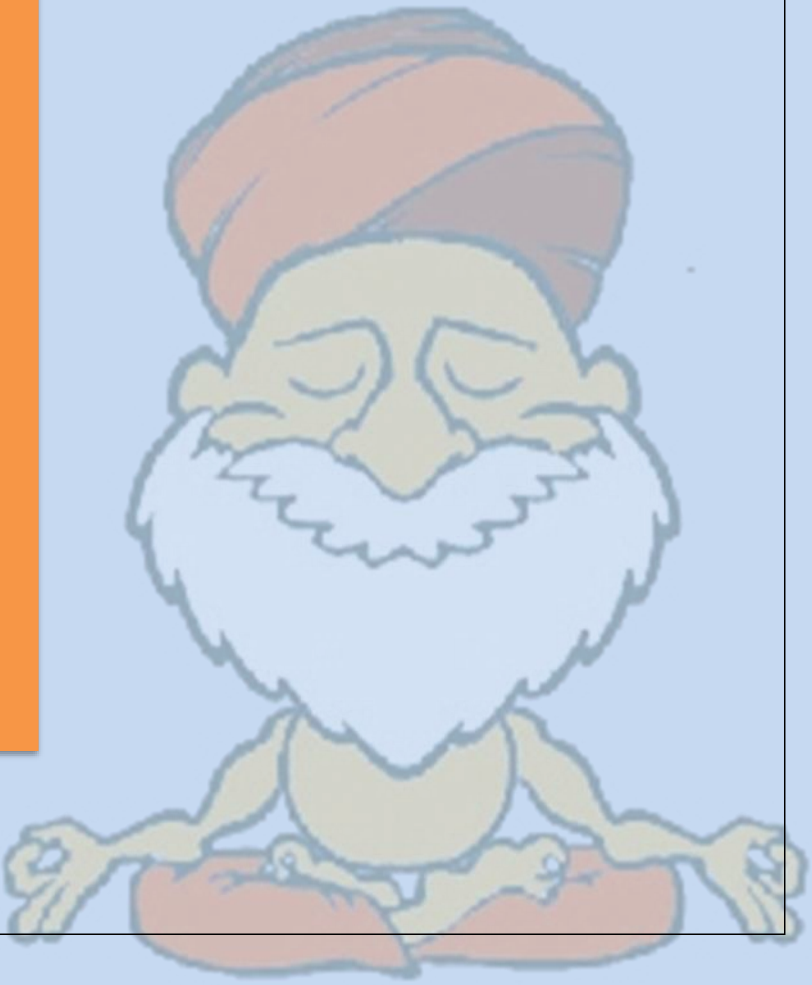

प्रस्तावना

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षार्थियों में उपस्थित शिफ्ट के साथ, **UPSC** सामान्य अध्ययन - **II** और सामान्य अध्ययन **III** को सुरक्षित रूप समसामयिकी से बदल दिया गया है। इसके अलावा, **UPSC** की हालिया प्रवृत्ति के बाद, लगभग सभी खोज समाचार-आधारित होने के बजाय समस्या-आधारित हैं। इसलिए, तैयारी के लिए सही दृष्टिकोण केवल समाचार पढ़ने के बजाय मुद्दों को तैयार करना ।

इसे ध्यान में रखते हुए, हमारी वेबसाइट **www.iasbaba.com** दैनिक आधार पर मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान मामलों का अध्ययन करेगी। यह आपको विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइवमिंट, बिजनेस लाइन और अन्य महत्वपूर्ण ऑनलाइन स्रोतों से दिन के प्रासंगिक समाचार प्राप्त करने में मदद करेगा। समय के साथ, इनमें से कुछ समाचार लेख महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाएंगे।

UPSC में ऐसे मुद्दों को उठाने और सामान्य राय आधारित प्रश्न पूछने की आदत है। ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए सामान्य जागरूकता और मुद्दे की समग्र समझ की आवश्यकता होगी। इसलिए, हम उम्मीदवारों के बीच सही समझ पैदा करने का इरादा रखते हैं - 'इन मुद्दों को कैसे कवर किया जाए?'

यह **IASbaba** की मासिक पत्रिका का **62** वां संस्करण है। यह संस्करण उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करता है जो जुलाई **2020** के महीने में खबरों में थे, जिनसे इसे निम्न से प्राप्त किया जा सकता है -

https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/

IASBABA से मूल्य निर्धारण

- एकीकृत मूल्य परिशिष्ट सामग्री - स्थिर और गतिशील दोनों पहलुओं को कवर करती है।
- **Think** और **Connectng the dots** - किसी मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर जुड़ने और विचार करने के लिए आपकी सोच को सुविधाजनक बनाता है।
- प्रिलिम्स और मेन्स ने खंड पर ध्यान केंद्रित किया - चुस्त और सटीक बिन्दु
- अपने ज्ञान की जांच कीजिए ! (दैनिक समसामयिकी के आधार पर **MCQs**) - बेहतर दोहराई के लिए।
- "क्या आपको पता है?" खंड- अतिरिक्त ज्ञान के लिए आपकी जिज्ञासा को शांत करता है।

यह सुनिश्चित करेगा कि, आप दैनिक आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों से किसी भी महत्वपूर्ण समाचार / संपादकीय को नहीं छोड़ पाएंगे ।

प्रत्येक समाचार लेख के तहत, **Connectng the dots**’ एक मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर कनेक्ट करने और विचार करने के लिए आपकी सोच को सुविधाजनक बनाता है। मूल रूप से, यह आपको बहु-आयामी दृष्टिकोण से एक मुद्दे को समझने में मदद करता है। आप मेन्स या इंटरव्यू देते समय इसके महत्व को समझेंगे।

लेख अवश्य पढ़ें: हमने उन्हें पत्रिका में शामिल नहीं किया है। दैनिक आधार पर **DNA** का अनुसरण करने वाले इसका अनुसरण कर सकते हैं-

https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/

Sr. No.	Contents	Page
1.	**संस्कृति / इतिहास** पद्मनाभस्वामी मंदिर मुद्दा हागिया सोफिया मधुबनी चित्रकला	10 11 12
2.	**भूगोल** मिजोरम का भूकंप समाचार में जगह: मोंट ब्लांक खबरों में जनजाति / समुदाय: कायापो लोग और उइगर लोनार झील गुलाबी क्यों है?	13 14 14 15
3.	**राजनीति / शासन** दसवीं अनुसूची: दलबदल विरोधी कानून दलबदल विरोधी, न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 212 65 से ऊपर के लोगों के लिए कोई डाक मतपत्र नहीं विस्मृत मतदाता को फिर से सक्रिय करें IPC सुधारों की आवश्यकता लोगों को खुद पर शासन करने में सक्षम बनाना राजनीति में अपराधीकरण ASEEM पोर्टल NATGRID और NCRB पुलिस की क्रूरता और जवाबदेही लिंचिंग और कानून का शासन	15 16 17 17 18 19 23 26 28 28 29 30
4.	**सामाजिक मुद्दा/कल्याण** ग्रामीण नौकरी नीतियों को व्यवस्थित करना , महिलाओं के कार्य की क़दर करना भारत में 46 मिलियन लड़कियां लापता हो गईं लापता महिलायें विश्व जनसंख्या दिवस मनरेगा: सुरक्षित करने के लिए आशा की एक किरण आजीविका गृह पर संसदीय स्थायी समिति मामलों में प्रवासियों पर डाटाबेस की अपील खाद्य सुरक्षा पर SOFI 2020 रिपोर्ट	32 35 35 37 38 39 40 40 41 41

	जनसंख्या पर लैंसेट अध्ययन समान व्यवहार: विकलांग के अधिकारों को कायम रखना प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा संख्या UPA ने 270 मिलियन भारतीयों को गरीबी से हटाया	42 43 45 45
5.	**स्वास्थ्य** WHO वायरस के हवा से फैलने पर अलर्ट जारी किया भारत ने MMR में भारी गिरावट दर्ज की है एड्स, टीबी और मलेरिया के लिए वैश्विक निधि (GFTAM) मंत्रालय ने मास्क N95 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी सस्ती कीमतों पर चिकित्सा उपकरण सीरो निगरानी विश्लेषण	46 47 48 49 50 50
6.	**शिक्षा** ऑनलाइन शिक्षा में सामाजिक असमानता विश्वविद्यालय परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश	51 52
7.	**सरकारी योजनाएँ** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना का विस्तार किया गया आत्म-निर्भर भारत मिशन गोधन न्याय योजना भारतीय रेलवे ने निजी निवेशकों के लिए दरवाजे खोले विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) किफायती किराये आवास परिसर (ARHCs) योजना नए उपभोक्ता अधिकार कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एक अलग अत्याचार विरोधी कानून क्यों?	55 56 56 57 57 58 59 60 60 62 63
8.	**भारत और दुनिया** चीन से निपटने के लिए सार्क को पुनर्जीवित करना भारत-चीन: ऐप्स पर प्रतिबंध भारत-चीन व्यापार में गिरावट चीन अध्ययन समूह (CSG) की भूमिका #BoycottChina (चीन का विरोध) चीन-भूटान: सीमा विवाद भारत, भूटान और चीन पर चीन के परमाणु शस्त्रागार पर नजर चीन को आड़े हाथ लेने के लिए विकासात्मक दृष्टिकोण भारत-पाकिस्तान: कुलभूषण जाधव मामला भारत-पाक मामला; अंतर्राष्ट्रीय कानून और नीति	66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 78

	भारत-बांग्लादेश: मवेशी तस्करी का मुद्दा भारत-बांग्लादेश के मुद्दे 'एनरिका लेक्सी' केस (इटली बनाम भारत) भारत-UAE: खुला आसमान समझौता नेपाल भारतीय समाचार चैनलों को प्रतिबंधित किया है ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया ईरान और चीन 25 साल के लिए सामरिक साझेदारी करेंगे खोया अवसर: चाबहार परियोजना खोने पर भारत ईरान संबंधों को शांत कूटनीति की जरूरत है भारत-ईरान: फरज़ाद-B गैस क्षेत्र मालाबार अभ्यास: ऑस्ट्रेलिया शामिल हो सकता है 15 वां भारत- यूरोपीय संघ (आभासी) शिखर सम्मेलन भारत विचार शिखर सम्मेलन भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन भारत-रूस संबंध भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन	79 79 79 79 80 80 81 83 83 84 85 87 88 89 90 90 90 91 91 91
9.	**अंतरराष्ट्रीय** प्रतिबंध अधिनियम (CAATSA) के अमेरिका के विरोधों का सामना करना अमेरिका WHO से बाहर हो गया है अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (ICP) पाकिस्तान-अफगानिस्तान पारगमन व्यापार समझौता श्रीब्रानिका नरसंहार चीन-ईरान संबंध अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के दावों को खारिज कर दिया है ब्रिटेन 5G नेटवर्क में भविष्य की भूमिका से हुआवेई पर प्रतिबंध लगाता है चीन पर अमेरिकी प्रतिबंध विश्व ड्रग रिपोर्ट और UNODC	92 92 93 93 94 95 96 96 97 97 97 97 98
10.	**अर्थव्यवस्था** MSMEs को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम MSME क्षेत्र के लिए ECLGS विश्व बैंक और भारत ने MSME के लिए $ 750 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं एशियाई विकास बैंक प्रेरित आजीविका आघात का रॉलबेक क्या हमें राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है? तमिलनाडु: शीर्ष निवेश गंतव्य	100 101 101 102 103 103 105 107 108

	ई-कॉमर्स पोर्टल के लिए उद्गम देश का टैग होना चाहिए मुख्य उद्योग उत्पादन अनुबंध COVID-19 राजकोषीय प्रतिक्रिया और भारत का पक्ष भारत को फिर से दक्ष बनाने का समय	108 108 109 110
11.	**कृषि** कृषि में अनात्मनिर्भर का एक तरीका डेयरी सहकारिता: आत्म निर्भर भारत प्राप्ति के लिए एक मॉडल चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण (DSR) तकनीक	112 113 115
12.	**पर्यावरण प्रदूषण** महामारी के बीच हरित-लाइटिंग पारिस्थितिक पतन एक सर्वव्यापी महामारी ब्रह्मपुरम असफलता पर NGT नमामि गंगे के लिए वैश्विक निधि शिवालिक वन को बाघ अभयारण्य में बदलने के लिए बोली पवित्र उपवन मानव-पशु संघर्ष और यातायात को रोकना डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व	116 116 117 119 119 120 121
13.	**विलुप्त होने वाली प्रजाति** इंडियन बुलफ्रॉग (होपलोब्त्रैचस टाइगरिनस) हिमालयन तितली उर्फ गोल्डन बर्डविंग आंध्र प्रदेश में लाल चंदन जब्त मिजोरम के बाद, नागालैंड में कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया असम में बाढ़ के कारण कई दुर्लभ गैंडों की मृत्यु हो गई उच्चतम न्यायालय ने जानवरों, पक्षियों की बलि से निपटने वाले कानूनों की जांच करने के लिए आदेश दिया	122 122 123 124 125 125
14.	**बुनियादी संरचना** रीवा सौर ऊर्जा परियोजना सुनिश्चित शक्ति: भारत की सौर रणनीति गूगल ने भारत में $ 10 बिलियन का निवेश करेगा सरकारी वित्तीय कामकाज का डिजिटलीकरण कर्नाटक-तमिलनाडु आर्थिक गलियारा	126 126 128 129 130
15.	**विज्ञान और तकनीक** शहरी स्वास्थ्य देखभाल के बारे में शायद ही स्मार्ट ट्रेनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली मंगल पर UAE का HOPE जांच मिशन	131 132 132 132

	कावासाकी रोग	134
	बुबोनिक प्लेग	134
	कोरोना वायरस वायु-संचालित है!	135
	KritiScan: UV सामग्री कीटाणुशोधन प्रणाली	136
	ChAdOx1 nCoV-19	136
16.	**आपदा**	
	FAO ने भारत को टिड्डी दल हमले के लिए अलर्ट जारी किया	137
	टिड्डी दल का हमला	137
17.	**साइबर सुरक्षा**	
	मेगा ट्विटर हैक	138
	साइबर सुरक्षा	139
18.	**रक्षा**	
	पैसेज अभ्यास (PASSEX)	139
	MoD ने 33 नए लड़ाकू विमान को मंजूरी दी	140
	स्पाइक-LR (लंबी दूरी) एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल	140
	रणनीतिक दरबूक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DSDBO) सड़क	141
19.	**विविध**	142

ILP 2021 (ENGLISH & HINDI)

कला और संस्कृति / इतिहास

पद्मनाभस्वामी मंदिर का मुद्दा

संस्कृति; मौलिक अधिकार; धर्मनिरपेक्षता

खबरों में

- अपने हालिया फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने केरल में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार के देवता के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने के अधिकारों (Shebait Rights) को बरकरार रखा।
- SC पीठ ने कहा कि तत्कालीन त्रावणकोर शाही परिवार के पास भगवान विष्णु से संबंधित संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार होगा, जो 'अनंत शयन मुद्रा में' पूजे जाते हैं।

क्या आप जानते हैं?

- जुलाई 1991 में त्रावणकोर के शासक श्री चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा की मृत्यु के बाद यह विवाद सामने आया कि मंदिर और उसकी संबंधित संपत्ति को केरल सरकार को देना चाहिए।
- केरल उच्च न्यायालय ने 2011 में राज्य को मंदिर पर नियंत्रण करने और इसकी संपति को संग्रहालय में सार्वजनिक रुप से दिखाया जाने का निर्देश दिया था
- अनुच्छेद 25 और 26 इस मुद्दे से संबंधित है।
- मंदिर की वास्तुकला को अनूठी चेरा शैली में बनाया गया है, और इसके मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं जो कि अनंत शयन मुद्रा (शाश्वत योग का विश्राम आसन) आदिशाह अथवा सभी नागों के राजा पर विराजमान थे।

- **शीबैट के** पास **अनुच्छेद** 25 को उपभोग करने की शक्ति होती है जो है- अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
- **अनुच्छेद** 26 - धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी व्यक्ति के पास होगा
  1. धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों को स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार
  2. धर्म के विषय में अपने मामलों का प्रबंधन करना;
  3. चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना; और
  4. विधि-सम्मत सम्पत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है

शीबैट के विषय में

- एक शीबैट कोई भी व्यक्ति है जो देवता की सेवा करता है और उसको प्रोत्साहित करता है और धर्मदाय निधि के प्रबंधक के रूप में काम करता है।
- मंदिर या कोई अन्य भूमि या संपत्ति जो देवता के साथ निहित है, शीबैट द्वारा प्रबंधित की जाती है। शीबैट एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास देवता या देवी की ओर से बात करने की शक्ति है।

निर्णय का महत्व:

- निर्णय यह स्पष्ट करता है कि मंदिर एक सार्वजनिक संपत्ति है और भक्तों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासित किए जाने की आवश्यकता है।
- इसने बड़े सामाजिक-राजनीतिक आयामों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है जो हमेशा पूजा स्थलों पर प्रशासन और स्वामित्व को प्रभावित करते हैं
- वर्तमान निर्णय एक संकेतक है कि पूजा के स्थानों को प्रबंधित करने के लिए अखंडता, भक्ति और पेशेवर प्रतिबद्धता के व्यक्तियों का एक साथ आना एक अधिमानित तंत्र हो सकता है।
- यह निर्णय नैतिक सदभावना की आवश्यकता को बढ़ाता है, पूजा के स्थानों के प्रशासन को पेशेवर बनाता है।

निष्कर्ष:

राजनीति और पूजा-पद्धति के साथ अन्य विचारों का मिश्रण राजनीति और आस्था दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है और समाज के लिए बड़े पैमाने पर अहितकर हो सकता है।

हागिया सोफिया

अंतरराष्ट्रीय मामले; विश्व इतिहास; संस्कृति

संदर्भ:

- हाल ही में, तुर्की के सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 1,500 वर्षीय हागिया सोफिया को एक संग्रहालय से मस्जिद में बदलने की अनुमति दी है।
- सदियों पुरानी संरचना, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, मूल रूप से बीजान्टेन साम्राज्य में एक गिरजाघर था जिसे मस्जिद में बदल दिया गया था।
- 1453 में, जब कॉन्स्टेंटनोपल सुल्तान का पतन हुआ और महमद द्वितीय सत्ता मे आया।
- 1930 के दशक में, हालांकि, तुर्की गणराज्य के संस्थापक मुस्तफा केमल अतातुर्क ने मस्जिद को बंद कर दिया और देश को अधिक धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए एक संग्रहालय में बदल दिया।
- हागिया सोफिया की स्थिति में परिवर्तन यूनेस्को सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बार बार दी गई चेतावनी के बाद आता है, तुर्की इन योजनाओं के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है।

इतिहास: हागिया सोफिया

- इस्तांबुल में इस प्रतिष्ठित संरचना का निर्माण 532 ईस्वी में, बेज़ान्टेन साम्राज्य के शासक जुस्तिनियन प्रथम के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ, जब शहर को कॉन्स्टैनोपल के रूप में जाना जाता था। यह संरचना मूल रूप से पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च के कुलपति की पीठ निर्माण के लिए थी और जो लगभग 900 वर्षों तक बनी रही।
- 1453 में, जब कॉन्स्टेंटनोपल सुल्तान मेहमत द्वितीय के ओटोमन साम्राज्य द्वारा हार गया था, तो हागिया सोफिया को आक्रमणकारी सैनिकों द्वारा तोड़ दिया गया और थोड़ी ही देर बाद एक मस्जिद में बदल गया। स्मारक की संरचना में कई आंतरिक और बाहरी परिवर्तन किए गए, रूढ़िवादी प्रतीकों को हटा दिया गया या ढक दिया गया और मीनारों को संरचना के बाहरी हिस्से में बनाया गया। एक लंबे समय के लिए, हागिया सोफिया इस्तांबुल की सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद थी।
- 1934 में, अतातुर्क ने आदेश दिया कि हागिया सोफिया को एक संग्रहालय में बदल दिया जाए। यह 1935 में जनता के लिए खोला गया।

मधुबनी चित्रकारी

- कला और संस्कृति; चित्रकारी मुख्य बिन्दु और विशेषताएं:
- मधुबनी का शाब्दिक अर्थ है "शहद के जंगल"। यह एक परंपरागत भारतीय चित्रकारी है।
- मधुबनी बिहार भर में भारत-नेपाल सीमा के क्षेत्रों में मिथिला क्षेत्र से संबंधित है।
- मधुबनी चित्रकारी में पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक वस्तुओं जैसे सूर्य, चंद्रमा, पौधे आदि दोनों शामिल हैं। ये कार्य ज्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता है।
- मधुबनी चित्रकारी में बांस के चारों तरफ कपास को लपेटकर उसे ब्रश के रूप में उपयोग किया जाता है।
- मधुबनी चित्रकारी में,कृतियों को ताज़ा रूप से गारे से लिपि गई भित्तियों पर उकेरा जाता है। आजकल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ये कार्य कपड़े और कागज पर भी किया जाता है।
- मधुबनी में विभिन्न रंगों को अलग अलग तरीके से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए काला रंग कालिख और गाय के गोबर के मिश्रण से, चावल पाउडर आदि के मिश्रण से सफेद रंग प्राप्त होता है। इसे GI टैग भी मिल गया है।

भूगोल/मानचित्र आधारित

मिजोरम भूकंप

भौतिक भूगोल; प्राकृतिक खतरे और आपदा

खबरों में:

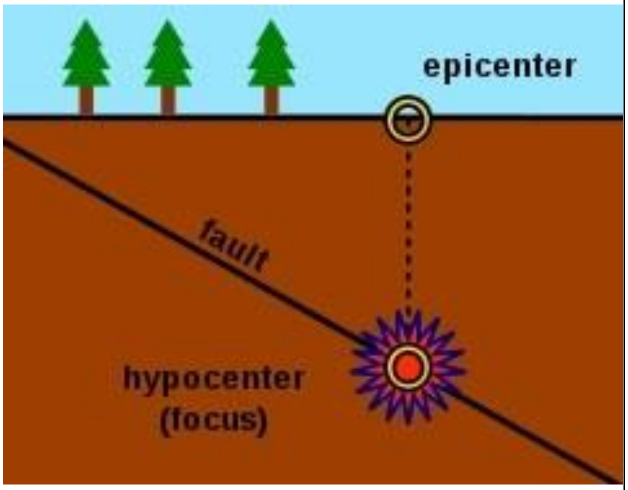

- मिजोरम में 21 जून से 9 जुलाई के बीच कम से आठ मध्यम भूकंप आए।
- इनमें से अधिकांश भूकंपों का केंद्र म्यांमार की सीमा से सटे चंफई जिले के नीचे था।
- यहां महत्वपूर्ण बात यह है-मिजोरम भूकंप क्षेत्र दो भूगर्भीय भ्रंश के बीच था-चूरचंदपुर माओ भ्रंश और मैट भ्रंश।

क्या जानते है?

- भ्रंश अलगाव या दरारें हैं जो भूपर्पटी के भीतर अलग-अलग गतियों का परिणाम हैं।
- भ्रंश के साथ भूपर्पटी की ऊर्ध्वाधर या पार्श्व फिसलन भूकंप का कारण बनती है।

खबरों में जगह : मोंट ब्लैंक

विषय में:

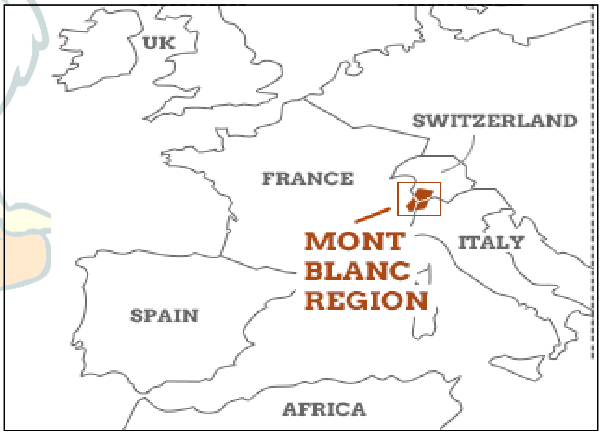

- मोंट ब्लैंक, एल्ब्रस पर्वत के बाद यूरोप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है।
- यह आल्प्स और पश्चिमी यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है।
- पर्वत ग्रायन आल्प्स शृंखला का भाग है, जो ओस्टा घाटी, इटली और सवोई और हौते-सवोई, फ्रांस के क्षेत्रों के बीच फैली है।

खबरों में जनजाति/समुदाय: कायपो लोग और उड़घर

मानव भूगोल; अंतरराष्ट्रीय

विषय में

- कायपो लोग ब्राजील के मूल निवासी हैं जो अमेज़ॅन नदी में और जिंगू नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ फैले एक विशाल क्षेत्र में रहते हैं।
- कायपो अपने सारे शरीर को ढकने के लिए जटिल काले के पेंट का उपयोग करते है। उनका मानना है कि उनके पूर्वजों ने कीडे-मकोड़ों से अपने सामाजिक कौशल सीखे, इसलिए वे उनका अनुसरण करने के लिए और हर जगह मौजूद आत्मा के साथ संवाद करने के लिए अपने शरीर की पुताई करते हैं।

- काले रंग का शरीर उन्हें जंगलों में शिकार करते समय अपने परिवेश में मिश्रण करने की अनुमति देता है।

उइगर कौन हैं?

- उइगर , एक अल्पसंख्यक तुर्किक जातीय समूह से उत्पन्न और सांस्कृतिक रूप से मध्य और पूर्वी एशिया के सामान्य क्षेत्र से संबंधित हैं।
- उइगर को चीन गणराज्य के शिनजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र के निवासियों के रूप में पहचाना जाता है।
- चीन उनकी एक मूलनिवासी समूह होने के विचार को खारिज करता है।
- उइगर समाज उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में भी पाए जाते हैं और कई हजार ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं।

क्या आप जानते है?

- 20वीं सदी के शुरुआती हिस्से में उइगर ने संक्षेप में आजादी की घोषणा की थी , लेकिन इस क्षेत्र को 1949 में चीन कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्ण नियंत्रण में आ गया।

लोनार झील गुलाबी क्यों है?

भूगोल; विज्ञान

खबरों में:

- हाल के अध्ययन से पता चला है कि महाराष्ट्र में लोनार झील में पानी का रंग लवण-ग्राही हेलोआरचिया जीवाणुओं की एक बड़ी उपस्थिति के कारण है।
- हेलोआरचिया या हेलोफिलिक पुरातन एक बैक्टीरिया प्रजाति है, जो गुलाबी वर्णक पैदा करती है, और लवण संतृप्त जल में पाई जाती है।
- बारिश न होना, अल्प मानवीय हस्तक्षेप और उच्च तापमान के कारण पानी का वाष्पीकरण हो सकता था, झील में लवणता और pH का स्तर बढ़ सकता है।

लोनार के बारे में

- महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में 56,000- साल पुराना लोनार गर्त अभयारण्य झील लाल/गुलाबी हो गई है, जो शायद जल में हेलोफिलिक पुरातन बैक्टीरिया की लवणता और उपस्थिति के कारण है
- लोनार झील प्लेस्टोसीन युग के दौरान एक उल्का प्रभाव से बनाया गया था।
- यह पृथ्वी पर बेसाल्टिक चट्टान में एकमात्र ज्ञात उच्च वेग उल्का पिंड गर्त है।
- इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा 1979 में एक राष्ट्रीय भू-विरासत स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

राजनीति / शासन

दसवीं अनुसूची: 'दल बदल विरोधी कानून'

राजनीति - अनुसूचियां

संदर्भ:

- हमे विभिन्न राज्यों में राजकीय संकट से जूझने वाले समाचार लेख प्राप्त होते रहते हैं, विद्रोही विधायक व्हिप के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं या अपने विधायक दल की बैठक में शामिल होने से परहेज कर रहे हैं; विद्रोही विधायकों को स्पीकर से अयोग्य ठहराया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- दसवीं अनुसूची उस प्रक्रिया को पूरा करती है जिसके द्वारा विधायकों को सदन के किसी अन्य सदस्य द्वारा एक दायर याचिका के आधार विधायिका के पीठासीन द्वारा दल बदल होने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- एक सदन सदस्य के विषय में दल बदल माना जाता है कि यदि वह स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या एक मतदान पर पार्टी नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना करता है
- इसके अनुसार अगर एक सदन का सदस्य किसी भी मुद्दे पर अगर दल की व्हिप की अवमानना (अवहेलना अथवा विरोध मे मतदान) करता है तो वह अपनी सदस्यता खो सकता है
- यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है।

निर्णय लेने का अधिकार

- दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी छान-बीन सदन के पीठासीन अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
- मूल रूप से, पीठासीन अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है और इस पर किसी भी अदालत में प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि, 1993 किहोटो होलोहान मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को छीन लेना चाहता है।
- यह माना जाता है कि पीठासीन अध्यक्ष , दसवीं अनुसूची के तहत एक सवाल तय करते हुए, एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसलिए, किसी भी अन्य न्यायाधिकरण की तरह उनका निर्णय, न्यायिक समीक्षा के आधार पर,सदभावना, व्यापकता आदि के आधार पर होता है।

दलबदल, न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 212

शासन के मुद्दे; न्यायपालिका की भूमिका; संविधान

संदर्भ:

हमें पहले से ही ज्ञात है -दसवीं अनुसूची और किहोटो होलोहान मामला

अतिरिक्त जानकारी:

- किहोटो होलोहान मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लेने के चरण से पहले किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगा दी थी।
- SC ने माना था कि कार्यवाही के अंतरिम चरण में किसी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है और अंतिम निर्णय की न्यायिक समीक्षा केवल सीमित रूप से उपलब्ध है
- अदालतें दलबदल कानून के तहत अयोग्यता के सवालों को तय करने में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं है।
- न्यायिक समीक्षा संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत विधायिका की कार्यवाही को अपने अधीन नहीं कर सकती है।
- संविधान के अनुच्छेद 212 में अदालतों को विधायिका की कार्यवाही की जांच न करने का प्रावधान है-

1. किसी राज्य की विधायिका में किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न के लिए नहीं बुलाया जाएगा
2. कोई भी अधिकारी या किसी राज्य की विधायिका का सदस्य, जिसमें प्रक्रिया या व्यापार के संचालन को विनियमित करने के लिए या व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस संविधान के तहत शक्तियां निहित हैं, विधायिका में उन शक्तियों के द्वारा अभ्यास के संबंध में किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

65 से ऊपर वालों के लिए कोई डाक मतपत्र नहीं

राजनीति - चुनाव

खबरों में:

- चुनाव आयोग ने पहले 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को डाक मतपत्र सुविधा प्रदान करने की सिफारिश की थी, क्योंकि इस आयु वर्ग को COVID-19 के लिए सबसे कमजोर माना गया था।
- कानून मंत्रालय ने भी चुनाव आचार संहिता 1961 में बदलाव को 19 जून को अधिसूचित किया था, जिसमें 80 साल से ऊपर के मौजूदा प्रावधान का विरोध करते हुए इसे 65 साल से ऊपर के निर्वाचकों के लिए कर दिया गया था।
- हालांकि, 16 जुलाई को, चुनाव आयोग ने घोषणा की कि यह सहाय-सहकार संबंधी, स्टाफ और सुरक्षा मानकों संबंधी बाधाओं के कारण 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के मतदाताओं को सुविधा प्रदान नहीं करेगा।

विषय में:

- डाक मतदान एक ऐसे चुनाव में होते है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (EVM) के माध्यम से मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करने वाले मतदाताओं के विपरीत डाक द्वारा मतदाताओं को मतपत्र वितरित किए जाते हैं (और आम तौर पर वापिस किए जाते)।
- डाक मतदान सुविधा के माध्यम से, मतदाता अपने मत को दूर से बैलेट पेपर पर अपनी पसंद दर्ज करके अपना मत डाल सकता है और गणना से पहले इसे वापस चुनावी अधिकारी को भेज सकता है।
- जब मतों की गिनती शुरू होती है, तो इन डाक मतों की गिनती अन्य सभी मतदाताओं की EVM से मतगणना से पहले की जाती है।

डाक मतपेटी सुविधा का लाभ कौन उठा सकता है?

- केवल कुछ श्रेणी के लोग डाक मतदाता के रूप में पंजीकरण के पात्र हैं।
- सेना, नौसेना और वायु सेना जैसे सशस्त्र बलों के सदस्य।
- एक राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य (राज्य के बाहर सेवारत)
- भारत के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी और उनके पति केवल डाक द्वारा वोट देने के हकदार हैं।
- नज़रबन्दी के अधीन मतदाता भी केवल डाक द्वारा वोट कर सकते हैं।

क्या आप जानते हैं?

- विशेष मतदाता जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, सदन के अध्यक्ष और चुनाव ड्यूटी पर मौजूद सरकारी अधिकारियों के पास डाक द्वारा मतदान करने का विकल्प होता है। लेकिन उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक निर्धारित फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- हाल ही में, 'अनुपस्थित मतदाताओं' की एक नई श्रेणी 'शुरू की गई थी, जो अब डाक मतदान का विकल्प चुन सकते हैं।

अनुपस्थित मतदाता:

- ये मतदाता आवश्यक सेवाओं में कार्यरत हैं और अपनी सेवा शर्तों के कारण अपना वोट डालने में असमर्थ हैं।
- वर्तमान में, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, उत्तर रेलवे (यात्री और माल ढुलाई) सेवाओं के अधिकारियों और मीडिया के लोगों को अनुपस्थित मतदाता के रूप में अधिसूचित किया गया है।

विस्मृत मतदाता को फिर से मताधिकार देना

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

संदर्भ: COVID-19 महामारी के कारण, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र से मतदान करना संभव बनाया है, यह देखते हुए कि उनका नॉवल कोरोना के संपर्क में आना अधिक जोखिम भरा हो सकता है,अब तक यह विकल्प केवल विकलांग नागरिकों और 80 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए उपलब्ध था।

निर्णय का महत्व

- मतदान की सुविधा देता है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की बाधाओं को दूर करता है
- ECI यह सुनिश्चित करता है की मतदान किए बिना कोई नहीं बचा है।

क्या आप जानते हैं?

- 2019 के चुनावों में लगभग 25,000 NRIs ने मतदान किया।
- अप्रवासी भारतीयों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, सरकार अधिकृत प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान को सक्षम करने के लिए कानून लाया गया। हालांकि, कानून व्यपगत हो गया।
- घर से दूर तैनात सेवा मतदाता (सरकारी कर्मचारी) विद्युत संचालित डाक मतपत्र प्रणाली (ETPBS) के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। वर्गीकृत सेवा मतदाता (जैसे, सैन्य कर्मी) अपने प्रॉक्सी के पीछे से ऐसा कर सकते हैं।
- भारत में मतदान परिदृश्य
- भारत में वर्तमान में 91.05 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं और 2019 के आम चुनाव में रिकॉर्ड 67.4%, यानी 61.36 करोड़ मतदाताओं ने अपना वोट डाला।
- ECI एक तिहाई, 29.68 करोड़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला।
- लगभग 10% पंजीकृत मतदाता राजनीति में रुचि की कमी के कारण मतदान करने से बचते हैं।
- यह लगभग 20 करोड़ मतदाताओं को छोड़ देता है जो मतदान करना चाहते हैं लेकिन ऐसा करने में असमर्थ हैं
- इनमें से लगभग तीन करोड़ अप्रवासी भारतीय (NRIs) हैं। केवल लगभग एक लाख NRIs ने मतदान करने के लिए पंजीकरण किया है, संभवतः क्योंकि मतदान को भारत में अपनी भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है।

प्रवासी और कठिनाइयों जो वे अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय सामना करते है-

1. बड़ी संख्या में मजदूर: 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, आंतरिक प्रवासी कामगार लगभग 13.9 करोड़ हैं - भारत के मजदूरों का लगभग एक तिहाई
2. अस्थायी बस्तियां: कई प्रवासी कभी भी बसने का इरादा नहीं रखते हैं और अपने काम के पूरा होने या कामकाजी मौसम समाप्त होने के बाद अपने पैतृक गांवों और कस्बों में लौटना चाहते हैं।

3. प्रतिष्ठित जीवन का नुकसान: वे दैनिक दिहाड़ी वाले कार्यों मे लगे रहते है,उनके पास उचित पहचान और जीवन यापन की स्थितियाँ नहीं होती है और इन सुविधाओं के बिना वे अपने मतदान के अधिकार का भी प्रयोग करने में असमर्थ होते है|
4. राजनीतिक रूप से शक्तिहीन:
    - प्रवासी कामगार अर्ध-बेदखल, भूले-बिसरे मतदाता बन जाते हैं क्योंकि वे अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव के दिन अपने घर लौटने का जोखिम नहीं उठा सकते।
    - आंतरिक प्रवासी कामगार अपने रोजगार के स्थान पर मतदाताओं के रूप में नामांकन नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें निवास का प्रमाण प्रदान करना कठिन लगता है।
    - इसके अलावा, मेजबान राज्य सरकारें उनकी अनदेखी करती हैं क्योंकि वे महत्वपूर्ण वोट बैंक का गठन नहीं करते हैं और कई बार उन्हें कथित तौर पर स्थानीय आबादी से दूर नौकरियां लेने के लिए लक्षित करते हैं।

एक कदम आगे की ओर- प्रवासी कामगारों को फिर से मताधिकार देना

- प्रवासी कामगारों द्वारा मतदान को सुगम बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग जिला कलक्टर के नेटवर्क का उपयोग करके पर्याप्त पहुँच प्रबंधन कर सकता है।
- प्रवासियों को अपने मौजूदा मतदाता प्रमाण पत्र और उनके अस्थायी प्रवास की अवधि पर पते के आधार पर अपने काम के शहर में शारीरिक रूप से मतदान करने में सक्षम होना चाहिए।

  मतदान को सिर्फ नागरिक कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि नागरिक अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए।

  मतपत्र की सुवाह्यता सुनिश्चित करने और भूले-बिसरे प्रवासी मतदाता को सशक्त बनाने के लिए ' एक राष्ट्र एक प्रमाण पत्र ' का सूत्रपात करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए|

  भारत निर्वाचन आयोग को आधार से जुड़े मतदाता प्रमाण पत्र आधारित समाधान को तेजी से लागू करना चाहिए ताकि मतदाता देश में कहीं से भी डिजिटल रूप से वोट डाल सकें।

कड़ियों को जोड़ने पर-

- एक राष्ट्र- एक राशन कार्ड योजना
- VVPAT - इसकी आवश्यकता क्यों थी?

IPC सुधारों की आवश्यकता

शासन के मुद्दे; राजनीति - अधिकार/नीति के मुद्दे

संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित आपराधिक कानून में सुधार संबंधी समिति ने भारत में आपराधिक कानून प्रणाली में बदलाव पर विशेषज्ञ और सार्वजनिक परामर्श के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है।

आपराधिक कानूनों में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- लंबे समय से लंबित: भारतीय दंड संहिता और उसके उपनिगमन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिनियमित किए गए थे, जिनमें व्यापक संशोधन नहीं किया गया है।
- औपनिवेशिक प्रभाव: IPC और CRPC को 150 साल पहले भारत में औपनिवेशिक सरकार की सहायता के लिए काफी हद तक औपचारिक रूप दिया गया था। संशोधनों और निर्णय के बावजूद वे अभी भी औपनिवेशिक प्रभाव इसमें विद्यमान हैं
- व्यक्तिगत संस्थाओं की पर्याप्त मान्यता का अभाव है: IPC संविधान की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है जो स्वतंत्रता और समानता को प्रमुखता देती है।
- अभी भी विक्टोरियन नैतिकता का प्रतिनिधित्व: हालांकि अदालतों के लिए समलैंगिकता (IPC की धारा 377) और व्यभिचार को गैरकानूनी घोषित करने में 158 साल लग गए, लेकिन IPC में कई प्रावधान मौजूद हैं जो अभी भी विक्टोरियन नैतिकता को दर्शाते है, जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से सत्य है।
- आधुनिक युग के अपराधों से अनभिज्ञ: IPC में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और यौन अपराधों से संबंधित नए अपराधों को परिभाषित और संबोधित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जुआ और डिजिटल सट्टेबाजी

एक कदम आगे की ओर/निष्कर्ष

- समिति को एक आपराधिक कानून प्रणाली तैयार करने के लिए ' अपराधों ' और आपराधिक प्रक्रिया के एक बड़े और विविध परिदृश्य को शामिल करना चाहिए जो वास्तव में आज के समय के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए: अदालत की अवमानना, वैवाहिक बलात्कार, एसिड के हमले, घृणित अपराध आदि।
- सरकार को लोकलुभावन मांगों पर और अत्यधिक पुलिसिंग और अति-अपराधीकरण के जोखिम के संचालन पर ध्यान नहीं देना चाहिए
- मौत की सजा के लिए विधायी दृष्टिकोण की जरूरत है न कि मामले को सिर्फ न्यायपालिका के पाले मे डालना।
- आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर, अदालत के फैसलों के साथ क़ानूनी किताबों में सामंजस्य बिठाने की जरूरत है

- पीड़ित जो अक्सर न्याय प्रक्रिया के हाशिए पर होते हैं, उन पर संस्थागत देरी का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए
- जवाबदेही, सबसे ऊपर, नागरिक के अधिकारों और राज्य की अनिवार्यता के बीच संतुलन का मार्गदर्शन करना चाहिए।

निष्कर्ष

- पुराने प्रावधानों को निराकृत करने और आधुनिक दिन/अब तक बहिष्कृत अपराधों को शामिल करने के लिए IPC को अद्यतन करने की आवश्यकता है।

लोगों को खुद शासन करने में सक्षम बनाना

शासन

संदर्भ: सभी स्तरों पर शासन प्रणाली, यानी वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय, ने COVID-19 महामारी के उद्भव के कारण तनाव का अनुभव किया है।

COVID-19 के दौरान सरकार की चुनौतियाँ

- **समकालिक समस्याएँ**: कई उप-प्रणालियों की अव्यवस्था जैसे स्वास्थ्य देखभाल, रसद, व्यवसाय, वित्त और प्रशासन का भी प्रबंधन किया गया।
- **विरोधाभास**: एक उप तंत्र का समाधान अन्य उप तंत्र को कुप्रभावित करता है।
- उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य संकट को प्रबंधित करने के लिए लॉकडाउन ने आर्थिक संकट को एक साथ प्रबंधित करना कठिन बना दिया है।
- अन्य स्वास्थ्य मुद्दों पर से ध्यान हटा दिया: COVID-19 द्वारा उत्पन्न जीवन के लिए खतरे पर संसाधनों का उपयोग करने से अन्य बीमारियों से मौत का खतरा और बढ़ गया है यहाँ तक कि भारत के कई हिस्सों में कुपोषण फैल गया है।

- अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की कमजोरी सामने आई:
- वैश्विक स्तर (और भारत में भी) पर शासन की संस्थाओं के डिजाइन में बेमेल सिद्ध हुए है, जिसके लिए उन्हें प्रबंधन की आवश्यकता है।

वर्तमान शासन प्रणालियों की कमजोरी-

- **एकीकृत दृष्टिकोण में कमी:** संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में सूचीबद्ध वैश्विक चुनौतियां एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा तत्काल संबोधित किया जाना चाहिए।
- **सिलो-एड दृष्टिकोण:** पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है और सिलो या विशेषज्ञों द्वारा हल किया जाता है जो केवल अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **स्थानीय परिस्थितियों की उपेक्षा:** टिकाऊ आजीविका के साथ पर्यावरणीय स्थिरता के लिए समाधान केरल और लद्दाख और टोक्यो में समान नहीं हो सकते

- **सार्वजनिक भागीदारी में कमी:** स्थानीय लोगों के लिए समाधान के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए, उन्हें विश्वास करना चाहिए कि समाधान उनके लिए सही है, और बाहर के विशेषज्ञों द्वारा उनके लिए कोई समाधान नहीं है ।

आगे की दिशा- स्थानीय प्रणालियों के लिए एक मामला

1. जनता का शासन न केवल जनता के लिए होना चाहिए। यह जनता द्वारा भी होना चाहिए।
    - सरकार को भारत में गाँवों और कस्बों के नागरिकों को अपने स्वयं के मामलों को संचालित करने के लिए शक्ति का विकास करना चाहिए

2. मानसिकता और शासन के प्रति दृष्टिकोण को बदलना
    - आजकल सत्ता की परिभाषा इस प्रकार हो गई है 'लोगों की सरकार, सत्ताधारी दल के लिए सत्ता '
    - प्रशासनिक अधिकारी सुशासन के उद्धारकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं न कि शासन को लागू करने वालों के रूप में। इसने अपने संतति की देखभाल करने वाली सरकार की छवि को मजबूत किया है
    - सरकारी योजनाओं की अधिक संख्या होने पर प्रशासक का कार्य जटिल हो गया है - कुछ केंद्र सरकार द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और अन्य राज्य सरकार द्वारा।
    - इससे अतिरेक और कार्य की अक्षमता हुई है
    - सरकार को लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के लिए सरकार ’की दृष्टि का एहसास करने के लिए लोगों को खुद को संचालित करने के लिए समर्थन और सक्षम करना होगा।

निष्कर्ष

- वे राज्य और देश जिनमें स्थानीय शासन अधिक मजबूत थे, उन्होंने दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर काम किया है।
- इससे पता चलता है कि शासन मॉडल को देखने की जरूरत है, अधिमानतः सत्ता के विकेंद्रीकरण का गांधीवादी तरीका।

राजनीति में अपराधीकरण

वैधानिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय;

चुनाव: RPA अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

सन्दर्भ:

- एक फरवरी 2020 राजनीति में अपराधीकरण पर उच्च न्यायालय के फैसले को पहली बार अक्टूबर 2020 में बिहार चुनावों में लागू किया जाएगा।

राजनीति में अपराधियों की घटनाओं में वृद्धि - एक सदा से विद्यमान संकट

वर्ष	आपराधिक मामलों वाले सांसदों का प्रतिशत जिनके खिलाफ मामले लंबित है
2004	24%
2009	30%
2014	34%
2019	43%

राजनीति में अपराधीकरण का प्रभाव

- चुनाव परिणामों का मजाक बनाना
- राजनीति में पतन जिससे उम्मीदवार की जीत के लिए मूल्यों से समझौता किया जाता है
- नौकरशाही का राजनीतिकरण
- खराब शासन भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है
- नागरिक समाज और व्यापार पर राजनीति का प्रभुत्व - अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है
- संस्थागत (विधायिका और कार्यकारी) लोकतंत्र का पतन

फ़रवरी 2020 उच्च न्यायालय के फैसले की प्रमुख घोषणायें इस प्रकार थी-

- राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपनी-अपनी वेबसाइटों पर अपलोड करें और प्रिंट के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी, जिन्हें उम्मीदवार के रूप में चुना गया है।
- उन्हे साफ पृष्ठभूमि वाले लोगों पर इस तरह के चयन के लिए कारणों का उल्लेख भी करना होगा।

- उम्मीदवारों के चयन के कारण संबंधित उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होंगे, न कि चुनाव में केवल "जीत के आधार पर"
- ये विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रकाशित किए जाएंगे या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से दो सप्ताह से कम नहीं होंगे।
- इसके बाद संबंधित राजनीतिक दल उक्त उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग के साथ इन निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट पेश करेगा।
- इन निर्देशों का पालन न करने पर चुनाव आयोग द्वारा न्यायालय की अवमानना के आधार पर उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया जाएगा

उपरोक्त निर्णय में क्या चुनौतियां हैं?

- प्रवर्तन चुनौतियां: कई कानूनों और अदालत के फैसलों से ज्यादा मदद नहीं मिली है,जिसका कारण कानूनों और निर्णयों के प्रवर्तन की कमी है।
- उल्लंघन के लिए सजा पर अस्पष्ट: यह भी स्पष्ट नहीं है कि अगर हाल के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो क्या जुर्माना लगाया जाएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि शीर्ष राजनेता दोषी होंगे या चुनाव रद्द कर दिए जाएंगे।
- फर्जी खबरों के खतरे: गलत सूचना, ट्रोलिंग, और काल्पनिक दावों से नागरिकों को जो वास्तविक जानकारी दी गई है, उसे थोड़ा कम किया जा सकता है। अभियान अधिक से अधिक व्यक्तिगत और यहां तक कि अपमानजनक भी हो सकते हैं।
- अपर्याप्त निवारण: चुनाव और न्यायिक प्रणाली अभी भी कानूनी और तकनीकी बाधाओं के कारण चुनाव लड़ने से गंभीर आपराधिक आरोपों वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने में असमर्थ है। निर्णय मतदाताओं पर नई उपलब्ध जानकारी के साथ बेहतर विकल्प बनाने की जिम्मेदारी डालता है।

निर्णय के गुण

- जवाबदेही: राजनीतिक दल और उसके नेतृत्व को पहली बार सार्वजनिक रूप से राजनीति के अपराधीकरण के लिए स्वयं को दोषी ठहराना होगा।
- चुनाव सुधार: यह चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से निर्णयों की एक श्रृंखला के अनुरूप है: परिसंपत्ति प्रकटीकरण, NOTA विकल्प, निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष अदालतें
- सूचित नागरिक: यह नागरिकों के लिए उपलब्ध जानकारी को बढ़ाता है जो उसे अपने प्रतिनिधि को चुनते समय अच्छी तरह से सोचा-विचार करने में सक्षम बनाता है।

आगे की दिशा

- नागरिक समाज द्वारा उम्मीदवारों के हलफनामों की प्रभावी निगरानी और भारत निर्वाचन आयोग के साथ काम करना सुनिश्चित करने के लिए कि जानकारी उनकी वेबसाइटों पर तुरंत उपलब्ध है, और व्यापक रूप से मतदाताओं को इस जानकारी को प्रसारित करना होगा।
- मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन के दुरुपयोग, उपहार और अन्य प्रलोभनों को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है।

कड़ियों को जोड़ने पर-

- राजनीतिक दलों का आंतरिक लोकतंत्र
- संसद की प्रतिष्ठा का पतन

ASEEM पोर्टल

अर्थव्यवस्था; शासन

के विषय में:

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने कुशल लोगों को आजीविका के स्थायी अवसर खोजने में मदद करने के लिए 'आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण (ASEEM) पोर्टल शुरू किया है।

मुख्य बिन्दु

- ASEEM पोर्टल नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल की उपलब्धता का आकलन करने और उनकी भर्ती योजनाएं तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
- यह पोर्टल क्षेत्रों और स्थानीय उद्योग की मांगों के आधार पर श्रमिकों के विवरण का नक्शा तैयार करेगा और सभी क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग-आपूर्ति अंतर को पाटने का काम करेगा।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मंच प्रासंगिक कौशल आवश्यकताओं और रोजगार की संभावनाओं की पहचान करके वास्तविक समय की महीन जानकारी भी प्रदान करेगा।

एक एप्लिकेशन (app) के रूप में भी उपलब्ध है, इसमें तीन IT आधारित इंटरफेस शामिल हैं:

1. नियोक्ता पोर्टल: नियोक्ता ऑनबोर्डिंग, मांग एकत्रीकरण, उम्मीदवार चयन।
2. डैशबोर्ड: रिपोर्ट, रुझान, विश्लेषिकी , और अंतराल को बताना
3. उम्मीदवार आवेदन: उम्मीदवार प्रोफाइल बनाएं और ट्रैक करें, नौकरी के सुझाव साझा करें।

NATGRID और NCRB

सरकारी योजनाएं; राजनीति - वैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय; सुरक्षा मुद्दे

खबरों में:

- राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) ने FIRs और चोरी किए गए वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- समझौता ज्ञापन, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) डेटाबेस के लिए NATGRID का उपयोग देगा।

NATGRID के बारे में:

- NATGRID, मुंबई के 26/11 हमले के बाद उठाया गया कदम है।
- इसका उद्देश्य एक महत्वपूर्ण न्यूनता को कम करना है - वास्तविक समय की जानकारी की कमी, जिसे अमेरिकी आतंकवादी संदिग्ध का पता लगाने में प्रमुख बाधाओं में से एक माना जाता था।
- 2006 और 2009 के बीच अपनी कई यात्राओं के दौरान देश भर में डेविड हेडली का घूमना-फिरना।
- NATGRID एक महत्वाकांक्षी आतंक विरोधी अभियान है, जो संदिग्ध आतंकवादियों पर नज़र रखने और आतंकवादी हमलों को रोकने में मदद करने के लिए विभिन्न खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों से डेटा की बड़ी मात्रा का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए विशाल डेटा और वैश्लेषिकी जैसी तकनीकों का उपयोग करेगा।
- NATGRID इंटेलिजेंस इनपुट के उत्पादन को सक्षम करने के लिए दूरसंचार, कर रिकॉर्ड, बैंक, आव्रजन, आदि के क्षेत्र में 20 से अधिक संगठनों से बिखरी सूचनाओं को समेटने के लिए एक ऑनलाइन डेटाबेस है।
- कम से कम 10 केंद्रीय एजेंसियों जैसे IB, R&AW और अन्य के पास आतंकवाद-रोधी जांच के लिए सुरक्षित मंच पर डेटा तक पहुंच होगी।

NCRB के बारे में

- राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) की सिफारिशों के आधार पर अपराध को अपराधियों से जोड़ने में जांचकर्ताओं की सहायता के लिए NCRB को 1986 में स्थापित किया गया था।
- इसे समन्वय निदेशालय और पुलिस कंप्यूटर (DCPC), CBI की अंतर्राज्यीय अपराधियों की डेटा शाखा, CBI के केंद्रीय फिंगर प्रिंट ब्यूरो और BPR&D की सांख्यिकीय शाखा में विलय करके स्थापित किया गया था।
- NCRB को वर्ष 2009 में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और

सिस्टम (CCTNS) परियोजना की निगरानी, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

- CCTNS देश में 15000+ पुलिस स्टेशनों और पुलिस के 6000 उच्च कार्यालयों को जोड़ता है।
- 2017 में, NCRB ने नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल लॉन्च किया- यह CCTNS डेटाबेस पर एक अपराधी / संदिग्ध की तलाश करने के अलावा नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के अलावा ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने और किरायेदारों, घरेलू मदद, ड्राइवरों के पुष्ट सत्यापन की अनुमति देता है।

क्या आप जानते हैं?

- NATGRID को धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से छूट दी गई है।
- परियोजना का उद्देश्य 31 दिसंबर तक लाइव होना है और सभी राज्य पुलिस को CCTNS में FIRs दर्ज करना अनिवार्य है।

पुलिस की क्रूरता और जवाबदेही

पुलिस की क्रूरता और जवाबदेही

संदर्भ:

- हमने पुलिस की बर्बरता से निपटने वाले कई लेखों को पढ़ा है - हिरासत में मृत्यु, फर्जी एनकाउंटर; निर्दोष लोगों या कमजोर लोगों पर अत्याचार करना और उन्हें परेशान करना।
- एक और उदाहरण जहां रक्षक भक्षकों में बदल गए - 1985 राजा मान सिंह की हत्या।

  पुलिसकर्मियों ने राजा मान सिंह पर एक सुनियोजित साजिश के तहत अंधाधुंध गोलीबारी की।

  मूल्य जैसे - ईमानदारी, करुणा, सच्चाई और न्याय के लिए तड़प, कानून और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता

लिंचिंग और कानून का शासन

शासन के मुद्दे; सामाजिक मुद्दा; कानून का शासन

खबरों में:

- 18 जुलाई को असम में तीन पशु चोरों को गिरफ्तार किया गया था, कथित तौर पर पशु चोर बांग्लादेशी नागरिक थे।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2017 के आंकड़ों के अनुसार जो अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था, असम में देश में की सबसे अधिक अपराध दर है।
- हाल ही के वर्षों में उपाख्यानात्मक प्रवृत्ति, भीड़ लिंचिंग को नियंत्रित करने का सुझाव देते हैं, जो अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से गौ हत्या, बच्चों के अपहरण और चोरों के झूठे आरोपों के दुर्भावनापूर्ण प्रसार द्वारा उकसाया जाता है।

मेन्स के लिए मुख्य बिंदु:

- डेटा को दबाना: NCRB ने 2017 में लिंचिंग पर डेटा एकत्र किया, लेकिन प्रकाशित नहीं किया।
- कमजोर वर्ग हमेशा से पीड़ित रहा हैं।
- लोकतांत्रिक समाज में लिंचिंग का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
- लिंचिंग शासन को एक विशिष्ट अस्थिर पटरी से उतरने वाली होती हैं।
- भीड़ हिंसा का उपद्रव, कानून प्रवर्तन की विफलता का संकेत है।

लिंचिंग क्या है?

- लिंचिंग को धर्म, जाति, लिंग, लिंग के आधार पर भीड़ (दो या अधिक व्यक्तियों) द्वारा हिंसा या सहायता, हिंसा के एक अधिनियम या अपहरण या हिंसा के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे वह सहज या नियोजित हो। जिसका आधार जन्म स्थान, भाषा, आहार व्यवहार, यौन अभिविन्यास, राजनीतिक संबद्धता और जातीयता हो सकती है।
- लिंचिंग पूर्वाग्रह, असहिष्णुता की एक गंभीर अभिव्यक्ति है, और कानून के शासन के प्रति अवमानना है।
- गाय, बच्चों के अपहरणकर्ताओं, आदि के साथ मुद्दों के लिए भीड़ लिंचिंग के कई प्रमाण हैं और न केवल आम लोग बल्कि पुलिस कर्मी भी इसके भागीदार हैं।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने 2015 और 2018 के बीच 721 ऐसी घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया।

भीड़ वध का कारण है-

- भारतीय समाज में पूर्वाग्रह पुरानी और गहरी जड़ें हैं। ये पूर्वाग्रह विभिन्न पहचानों जैसे जाति, लिंग, जाति, वर्ग, धर्म आदि पर आधारित हैं।
- सोशल मीडिया या तकनीकी प्रगति पुष्टिकरण की प्रक्रिया में मदद करती है ’- यह पूर्वाग्रह या पक्षपात की पुष्टि है

- राज्य की रणनीतिक चुप्पी और अप्रभावी कानून व्यवस्था ने भीड़ तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए वैधता प्रदान की है।
- उपद्रवी समूहों की राजनीतिक लामबंदी और लिंचिंग का राजनीतिकरण और रणनीतिक चुप्पी।
- आम लोगों में डिजिटल साक्षरता का अभाव

उच्चतम न्यायालय का निर्देश

- उच्चतम न्यायालय ने लिंचिंग को "भीड़तंत्र का घिनौना कृत्य" बताया है।
- उच्चतम न्यायालय ने तहसीन पूनावाला यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक कदमों के लिए 11 सूत्री सुझाव का प्रावधान किया है और संसद से लिंचिंग के लिए अलग से अपराध करने और इसके लिए पर्याप्त सजा का प्रावधान करने को कहा है।

क्या लिंचिंग पर कोई अलग कानून है?

- इस पर कोई संसदीय कानून नहीं है, लेकिन मणिपुर राज्य ने लिंचिंग पर एक अलग कानून बनाया है।
- मणिपुर कानून उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
- मणिपुर के कानून ने लिंचिंग को परिभाषित किया जाता है।
- कानून ने निर्दिष्ट किया कि ऐसे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी होंगे।
- यह देश में पहला कानून है जो कमजोर आबादी के संरक्षण और अधिकारों से संबंधित है, जो सार्वजनिक अधिकारियों के कर्तव्य की कोताही का एक नया अपराध परिभाषित करता है।
- इसके अनुसार पुलिस के अधिकारी जो अपने अधिकार क्षेत्र में लिंचिंग के अपराध को रोकने में विफल रहते हैं, उन्हें एक से तीन साल के लिए कैद किया जा सकता है या ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- कानून में राज्य को राहत शिविरों और पीड़ितों के विस्थापन के पुनर्वास शिविर, और मौत के मुआवजे के लिए एक योजना की आवश्यकता है।
- इस से प्रेरित होकर राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने भीड़ को रोकने के लिए अपने कानून बनाए है

आगे की दिशा

- भीड़ हिंसा देश को बदनाम करती है और इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस को कड़े हस्तक्षेप करने होंगे। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को कानून लेकर आना चाहिए।

सामाजिक / कल्याणकारी मुद्दे

ग्रामीण रोजगार नीतियों को पुनर्स्थापित करें महिलाओं के काम को महत्व

सामाजिक / कल्याण के मुद्दे; महिला सशक्तिकरण; ग्रामीण विकास

संदर्भ: COVID-19 महामारी का महिलाओं के काम पर बहुत प्रभाव पड़ा है

पूर्व-COVID-19 स्थिति (ग्रामीण महिलाओं के लिए)

1. **ग्रामीण महिलाओं को नियमित रोजगार के संकट का सामना करना पड़ा है।**

- राष्ट्रीय श्रम बल सर्वेक्षणों के अनुसार, 2017-18 में वयस्क ग्रामीण महिलाओं की एक चौथाई संख्या श्रम बल में थी (या "आधिकारिक आंकड़ों में" श्रमिक "के रूप में गिना जाता है)
- हालांकि, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा ग्रामीण कर्नाटक से समय-समय पर किए गए सर्वेक्षण बताते हैं कि, हालांकि काम की भागीदारी में मौसमी विविधताएं थीं, लगभग सभी ग्रामीण महिलाएं फसल के मौसम में "कार्यकर्ता" की परिभाषा के भीतर आई थीं।
- उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण महिलाओं को नियमित रोजगार का संकट है।
- दूसरे शब्दों में, जब महिलाओं को श्रमिकों के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो इसका कारण यह है कि रोजगार के अवसरों की कमी के बजाय यह श्रम बल से किसी भी "वापसी" के कारण है।

2. **घर के बाहर काम करना**

- ग्रामीण महिलाओं के काम की एक और विशेषता यह है कि कुछ क्षेत्रीय अपवादों के साथ, सभी वर्गों के किसान, घर से बाहर भुगतान किए गए कार्यों में भाग लेते हैं।
- इस प्रकार, संभावित कार्यबल के बारे में सोचते हुए, हमें ग्रामीण परिवारों के लगभग सभी वर्गों की महिलाओं को शामिल करने की जरूरत है, न कि केवल ग्रामीण श्रमिकों या हस्त चालित श्रमिक परिवारों की महिलाओं को।

3. **ग्रामीण महिलाओं के बीच उम्र की अलग-अलग आकांक्षा**

- एक तीसरी विशेषता यह है कि छोटी और अधिक शिक्षित महिलाएं अक्सर काम की तलाश में नहीं होती हैं क्योंकि वे कुशल गैर-कृषि कार्य की आकांक्षा रखती हैं, जबकि बड़ी उम्र की महिलाएं हस्त चालित श्रम में संलग्न होने के लिए अधिक इच्छुक होती हैं।

4. **मजदूरी विषमता**

- ग्रामीण भारत की एक चौथी विशेषता यह है कि कुछ अपवादों के साथ महिलाओं का वेतन पुरुषों की मजदूरी के बराबर नहीं है। महिला और पुरुष मजदूरी के बीच का अंतर गैर-कृषि कार्यों के लिए सबसे अधिक है - रोजगार का नया और बढ़ता स्रोत।

5. **महिलाओं के काम को कम आंकना**

- काम के सभी रूपों की गणना - खाना पकाने, सफाई, बच्चे की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल में आर्थिक गतिविधि और देखभाल का काम या काम - एक महिला का कार्य दिवस अत्यधिक लंबा है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि महिलाओं द्वारा काम किए गए कुल घंटे (आर्थिक गतिविधि और देखभाल में) निम्न मौसम में 61-88 घंटे से लेकर, शीर्ष मौसम में अधिकतम 91 घंटे (या 13 घंटे प्रतिदिन) के साथ काम करते है।
- कोई भी महिला सप्ताह में 60 घंटे से कम कार्य नहीं करती है।

ग्रामीण महिलाओं पर महामारी और लॉकडाउन का प्रभाव

1. **महिलाओं के लिए सीमित कृषि गतिविधि**:
    - संक्रमण की आशंकाओं के कारण अधिक पारिवारिक श्रम और कम मजदूरी के श्रम का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी।
    - इसलिए, हालांकि महिलाओं के लिए उपलब्ध लॉकडाउन रोजगार के दौरान कृषि गतिविधि सीमित थी।

2. **कृषि संबद्ध क्षेत्रों से आय में कमी**

- देश भर में महिलाओं के लिए, डेयरी सहकारी समितियों के लिए दूध की बिक्री से आय कम हो गई है क्योंकि दूध की मांग न्यूनतम रूप से 25% गिर गई (होटल और रेस्तरां बंद होने के रूप में)
- मछुआरों में, पुरुष समुद्र में नहीं जा सकते थे, और महिलाएं मछली और मछली उत्पादों को संसाधित या बेच नहीं सकती थीं

3. महिलाओं के लिए गैर कृषि रोजगार का पतन।

- निर्माण स्थलों, ईंट भट्ठों, छोटे दुकानों और अन्य उद्यमों के रूप में गैर-कृषि नौकरियां अचानक रुक गईं।
- महिलाओं ने सार्वजनिक कार्यों में आधे से अधिक श्रमिक के रूप में योगदान दिया है, लेकिन अप्रैल के अंत तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) के माध्यम से कोई रोजगार उपलब्ध नहीं था।
- मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आशा, जिनमें से 90% महिलाएं हैं, प्रथम पंक्ति की स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन गई हैं, हालांकि उन्हें "श्रमिक" के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है या नियमित मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है।

4. **महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर प्रभाव**

- लॉकडाउन अवधि के दौरान देखभाल कार्य का बोझ बढ़ गया।
- घर पर परिवार के सभी सदस्यों के साथ, और बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे, खाना पकाने, सफाई, बच्चे की देखभाल और बुजुर्ग देखभाल के कार्य में वृद्धि हुई

5. **ग्रामीण महिलाओं की नौकरियों पर लॉकडाउन का प्रतिकूल प्रभाव**

- ग्रामीण आकस्मिक श्रमिकों के बीच 71% महिलाओं ने लॉकडाउन के बाद अपनी नौकरी खो दी; पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 59% था।
- भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (CMIE) के डेटा भी सुझाव देते हैं कि अप्रैल 2020 में नौकरी की कमी, अप्रैल 2019 की तुलना में, पुरुषों की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के लिए अधिक थी।

6. महिला श्रमिकों की सहायता के लिए विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों के डिजाइन पर महिला श्रमिकों के लिए महामारी के परिणामों पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया है

आगे की दिशा

- लघु अवधि का लक्ष्य NREGS का विस्तार होना चाहिए
- कुशल व्यवसायों में और व्यवसायों और नए उद्यमों में महिला-विशिष्ट रोजगार उत्पन्न करने के लिए एक मध्यम और लंबी अवधि की योजना की आवश्यकता है
- आशा कार्यकर्ताओं को श्रमिकों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और उचित वेतन दिया जाना चाहिए।
- अपने घरों से कार्यस्थलों तक महिलाओं के लिए सुरक्षित और आसान परिवहन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए
- स्कूली बच्चों के साथ-साथ बुजुर्गों और बीमारों के लिए स्वस्थ भोजन से घर के खाना पकाने के काम को कम किया जा सकता है, जिससे महिलाओं का देखभाल बोझ कम होता है

निष्कर्ष

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के कार्य में महिलाओं को समान भागीदार के रूप में देखा जा सकता है।

कड़ियों को जोड़ने पर-

- नारीवाद और उसकी चुनौतियाँ
- लैंगिक बजटीकरण

भारत में 46 मिलियन लड़कियां लापता हुई है।

सामाजिक / कल्याण के मुद्दे; महिलाएं और बच्चे

संदर्भ:

UNFPA's की विश्व जनसंख्या 2020 की रिपोर्ट के अनुसार –

- विश्व स्तर पर गायब होने वाली तीन लड़कियों, लिंग चयन, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर,दोनों भारत से है।
- भारत में कुल 142 मिलियन में से 46 मिलियन लड़कियां गायब हो गई।
- लापता महिलाओं की संख्या पिछले 50 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है।
- भारत में प्रति 1,000 महिला जन्मों में 13.5 प्रति माह से अधिक महिलाओं

की मृत्यु की दर है या प्रसव के बाद 5 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं की नौ मौतों में से एक है। (2014 के अध्ययन के अनुसार)

- जन्म के समय लिंगानुपात के असंतुलन के मुख्य कारण - लिंग पक्षपाती

लिंग चयन और अतिरिक्त महिला मृत्यु दर के कारण लड़कियों की जानबूझकर उपेक्षा के कारण है, जो बेटे की पसंद की संस्कृति है।

लापता महिलायें

सामाजिक/कल्याण के मुद्दे; महिला और बच्चे

संदर्भ:

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने विश्व जनसंख्या 2020 रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है ' मेरी इच्छा के खिलाफ: महिलाओं और लड़कियों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं की अवहेलना करना और समानता को क्षीण करना '।

लापता महिलाओं से क्या अर्थ है?

- शब्द "लापता महिला " एक क्षेत्र या देश में महिलाओं की अपेक्षित संख्या के सापेक्ष महिलाओं की संख्या में कमी इंगित करता है

- यह आम तौर पर लिंग-चयनात्मक गर्भपात, महिला शिशु हत्या, और महिला बच्चों के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के कारण होता है।
- यह तर्क दिया जाता है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां जो जन्म के पूर्व लिंग चयन को सक्षम करती हैं, जो 1970 के दशक से व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं, लापता महिला बच्चों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन हैं।
- इस परिघटना का उल्लेख सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा विश्व जनसंख्या 2020 की रिपोर्ट

- "लापता महिलाओं" की संख्या पिछले 50 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है-1970 में 61 मिलियन से 2020 तक एक संचयी रूप में 142.6 मिलियन।

- भारत में 2020 तक 45.8 मिलियन लापता महिलाओं की गणना की गई थी।
- एक विश्लेषण के अनुसार, लिंग-पक्षपाती लिंग चयन कुल लापता लड़कियों में से लगभग दो-तिहाई, और जन्म के बाद की महिला मृत्यु दर लगभग एक तिहाई है
- भारत में महिला मृत्यु की दर सबसे अधिक है, प्रति 1,000 महिला जन्म 13.5, जिसमें पता चलता है कि 5 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं की नौ मौतों में से एक को प्रसवपूर्व लिंग चयन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- भारत में, प्रत्येक वर्ष 2013 और 2017 के बीच जन्म के समय लगभग 460,000 लड़कियां लापता हो गईं, जिसका अर्थ है कि वे लिंग -चयन के आधार पर पैदा नहीं हुई।
- चीन (50%) के साथ भारत (40%) का अनुमान है कि अनुमानित 1.2 मिलियन लड़कियों में से लगभग 90% कन्या भ्रूण हत्या के लिए प्रति वर्ष मार दी जाती हैं।
- बच्चे के रूप में लड़के को वरीयता देना 'वैवाहिक दाब' को जन्म देता है इस प्रकार भावी दूल्हे भावी दुल्हनों से अधिक संख्या में होंगे, जिसके कारण बाल विवाह होंगे।
- लड़कियों के खिलाफ घातक प्रथाओं का गहरा और स्थायी अभिघात है - महिला जननांग विकृति, बाल विवाह और लड़कों के पक्ष में लड़कियों के खिलाफ चरम पूर्वाग्रह।

COVID-19 निर्मित चुनौतियां:

- COVID -19 महामारी के कारण आर्थिक व्यवधान और आय-हानि की वजह से लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि बेटियों और लिंग भेदभाव की गहनता के कारण।
- COVID -19 महामारी दुनिया भर में कुछ हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने में हुई प्रगति को उलटने की चेतावनी दी है।
- भारत में, COVID -19 ने गर्भनिरोधक और गर्भपात सेवाओं तक पहुंच कम कर दी है, जिससे अवांछित गर्भधारण और असुरक्षित गर्भपात में वृद्धि होने की संभावना है।

आगे की दिशा

- मूल कारणों, विशेषकर लिंग-पक्षपाती मानदंडों को समाप्त करके इस समस्या से निपटना चाहिए।
- लड़कियों को विद्यालय में लंबे समय तक रखने और उन्हें जीवन कौशल सिखाने और सामाजिक परिवर्तन में पुरुषों और लड़कों को शामिल करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- विद्यालय में उपस्थिति पर नकद स्थानान्तरण सशर्त का प्रावधान; या विद्यालय की फीस, किताबें, वर्दी और आपूर्ति की लागत को चुकाने के लिए सहायता।
- अपनी बेटी अपना धन जैसी सफल नकदी-हस्तांतरण पहल को अपनी पहुंच और क्षमता में व्यापक किया जाना चाहिए
- महिलाओं की प्रगति और उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले अभियान अधिक प्रतिध्वनित हो

सकते हैं जहां बेटी-केवल परिवारों को समृद्ध होने के लिए दिखाया जा सकता है

- जिन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे बाल अधिकारों पर सम्मेलन की पुष्टि की है, उनका कर्तव्य है कि वे नुकसान को समाप्त कम करे , चाहे वह परिवार के सदस्यों, धार्मिक समुदायों द्वारा लड़कियों को भड़काया गया हो या राज्यों द्वारा या स्वयं द्वारा।

कड़ियों को जोड़ना

- सतत विकास लक्ष्य
- PCPNDT अधिनियम, 1994

प्रीलिम्स ध्यान केंद्रण:

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में
- यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का सहायक अंग है और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संस्था के रूप में काम करता है।
- आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) अपना जनादेश स्थापित करती है।
- इसे 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था, जिसने 1969 में परिचालन शुरू किया।
- 1987 में, इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का नाम दिया गया था लेकिन जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष के लिए मूल संक्षिप्त नाम, ' UNFPA' को बरकरार रखा गया था।
- UNFPA संयुक्त राष्ट्र के बजट द्वारा समर्थित नहीं है, इसके बजाय, यह पूरी तरह से दाता सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, संस्थाओं और व्यक्तियों के द्विआधारी योगदान द्वारा समर्थित है।
- UNFPA स्वास्थ्य (SDG3), शिक्षा (SDG4) और लिंग समानता (SDG5) पर सतत विकास लक्ष्य से निपटने के लिए सीधे काम करता है

विश्व जनसंख्या दिवस

समाज

विषय में:

- हर साल, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- 2020 के लिए विषय: COVID-19 महामारी के बीच महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा कैसे करें
- यह 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन शासन परिषद द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि "पाँच बिलियन के दिन" से उत्पन्न हित का एक परिणाम था, जो 11 जुलाई 1987 को मनाया गया था।

मूल्य संवर्धन

- वर्तमान अनुमानों से पता चलता है कि हर साल लगभग 83 मिलियन लोग दुनिया की आबादी में जुड़ जाते है।

- भारत में विश्व की मात्र 2% भूमि और 16% वैश्विक जनसंख्या है।
- हालांकि भारत में कुल प्रजनन दर (TFR) घट रही है, लेकिन बिहार (3.2), उत्तर प्रदेश (3.0), राजस्थान (2.6) और झारखंड (2.5) जैसे गरीब राज्यों में अभी भी राष्ट्रीय औसत 2.2 से ऊपर है।
- कुल प्रजनन दर (TFR) उनके प्रजनन वर्षों के दौरान महिलाओं के लिए पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या है। जनसंख्या के स्थिर बने रहने के लिए, 2.1 की औसत कुल प्रजनन दर की आवश्यकता है।

MGNREGA: आजीविका को सुरक्षित करने की आशा की किरण

सरकारी योजनाओं और नीतियों; कल्याणकारी योजनाएं; अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे

संदर्भ:

- लाखों गरीब ग्रामीण परिवारों ने MGNREGA के तहत अपने 100 दिनों के काम का कोटा पहले ही पूरा कर लिया है और शेष वर्ष के लिए इस योजना के तहत आगे के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
- इसलिए, कार्यकर्ता सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वे प्रति परिवार कम से कम 200 दिनों के लिए काम का कोटा बढ़ाएं।
- हजारों बेरोजगार प्रवासी श्रमिक भी अपने गांवों में लौट आए हैं और अब MGNREGA मजदूरी पर निर्भर हैं।
- यह देखते हुए कि COVID-19 को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था, कार्यकर्ताओं ने MGNREGA को फिर से शुरू करने की मांग की है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

MGNREGA के बारे में

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) को 2005 में अधिसूचित किया गया था।

- लक्ष्य - ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा में सुधार करना।
- यह एक सार्वभौमिक योजना है जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देती है
- यह एक मांग को व्यक्त करता है।
- यह श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य 'कार्य का अधिकार' की गारंटी देना है।
- प्रत्येक पंजीकृत परिवारों को अपना काम पूरा करने के लिए एक जॉब कार्ड (JC) मिलता है।
- आवेदक के निवास के 5 km के भीतर रोजगार दिया जाना है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना है।
- काम की मांग को ग्रामीण स्तर पर एकत्र किया जाता है और इस योजना को ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- यह अधिनियम पहली बार 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- एक संभावित घर से नौकरी के आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर रोजगार के लिए प्रावधान की विफलता के परिणामस्वरूप नौकरी चाहने वालों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान होगा।
- इस प्रकार, MGNREGA के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है।

गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति प्रवासियों पर सूचना एकत्र करती है

सामाजिक और कल्याणकारी योजनाएँ; संसदीय समितियाँ

विषय में:

- गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने सरकार को प्रवासी श्रमिकों का एक राष्ट्रीय सूचना स्थापित करने की सलाह दी ताकि वे सामाजिक सुरक्षा लब्धि से बाहर न हों।
- समिति ने कहा कि राज्यों और जिलों के बीच बेहतर समन्वय प्रवासी श्रमिकों के भारी पलायन को रोक सकता है।
- समिति के अनुसार, COVID19 महामारी से सबक सीखना चाहिए, जिसमें अभूतपूर्व प्रतिगामी प्रवास (वापिस घर की ओर जाना) देखा गया।

खाद्य पर SOFI 2020 की रिपोर्ट

सुरक्षा

- गरीबी; सामाजिक / कल्याण के मुद्दे; खाद्य सुरक्षा
- विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण अवस्था (SOFI) 2020 की रिपोर्ट के अनुसार -
- दुनिया 2030 तक कोई भी भूखा ना रहे के लक्ष्य को पूरा करने की पटरी पर नहीं है।
- COVID19 द्वारा शुरू की गई आर्थिक मंदी के कारण इस वर्ष वैश्विक स्तर पर लगभग 8-13 करोड़ लोगों के भूखे रहने की संभावना है।

- 2019 में दुनिया भर के लगभग 690 मिलियन लोग भूखे रह गए। (2018 में 1 करोड़ से अधिक)
- 2014 के बाद से लगातार भूख बढ़ रही है और वैश्विक स्तर पर कुपोषण, या भूखे लोगों का कुल प्रतिशत 8.9% है।
- एशिया में सबसे अधिक अल्प-पोषित (38 करोड़) है। अफ्रीका दूसरे (25 करोड़), उसके बाद लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई (4.8 करोड़) हैं।

क्या आप जानते हैं?

- SOFI रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली एक संयुक्त रिपोर्ट है।
- यह वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर खाद्य असुरक्षा, भूख और कुपोषण पर नवीनतम अनुमान प्रस्तुत करती है।
- 2020 संस्करण यह संकेत देता है कि खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं।

जनसंख्या पर लैंसेट अध्ययन

जनसंख्या के मुद्दे; सामाजिक / कल्याण मुद्दे

लैंसेट अध्ययन के अनुसार -

- विकास की वर्तमान दर पर, भारत की जनसंख्या 2047 तक लगभग 1.61 बिलियन तक बढ़ने और फिर 2100 तक 1.03 बिलियन घटने की संभावना है।
- भारत में जनसंख्या में गिरावट केवल 2046 के आसपास होने की उम्मीद है।
- भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश रहेगा।
- 2100 में पाँच सबसे बड़े देश (अनुमानित हैं) भारत, नाइजीरिया, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान हैं।

क्या आप जानते हैं?

- विश्व की जनसंख्या 2061 तक 9.73 बिलियन और 2100 से 8.79 बिलियन के शिखर पर पहुंचने की उम्मीद है।
- जनसंख्या में गिरावट को इस धारणा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि विश्व स्तर पर सभी महिलाओं को गर्भनिरोधक और शिक्षा तक बहुत अधिक पहुंच होगी।

अन्य तथ्य:

- वर्तमान अनुमानों के अनुसार, 2019 में,
- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के 21.3% (14.4.करोड़) का अविकसित है।
- 6.9% (4.7 करोड़) कमज़ोर है और
- 5.6% (3.8 मिलियन) अधिक वजन वाले है।
- एक स्वस्थ आहार की कीमत (143 (या $ 1.90 / दिन) से अधिक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी सीमा है।

समान व्यवहार के लिए: विकलांगों के अधिकारों को बनाए रखने पर

सामाजिक सशक्तिकरण; कमजोर वर्ग

संदर्भ:

- आर्यन राज बनाम चंडिगढ़ प्रशासन केस में विकलांग व्यक्तियों के बारे में उच्चतम न्यायालय का हालिया फैसला।

क्या था मामला?

- आर्यन राज द्वारा दायर की गई याचिका, चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ आर्ट के विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्ति के रूप में है।
- कॉलेज ने पेंटिंग और एप्लाइड आर्ट पाठ्यक्रम में न्यूनतम योग्यता अंकों में श्री राज छूट से इनकार किया।
- कॉलेज ने जोर देकर कहा कि विकलांग व्यक्तियों को भी योग्यता परीक्षा में 40% के सामान्य योग्यता मानक को पूरा करने की आवश्यकता है, जबकि SC/ ST उम्मीदवारों को 35% की छूट दी गई थी।

फैसला क्या था?

1. कॉलेज के फैसले को अलग करते हुए, SC ने कहा कि SC / ST को अभिवृत्ति परीक्षा में सफल होने के लिए 35% की आवश्यकता होती है, वही अब तक लागू होगा जहां विकलांगों का भविष्य में संबंध है।

2.उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि -

- विकलांग व्यक्ति सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं
- विकलांगों को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के

उम्मीदवारों को छूट के समान लाभ के हकदार हैं

3. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह 2012 के अनमोल भंडारी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में निर्धारित सिद्धांत का पालन कर रहा है।

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि विकारों से पीड़ित व्यक्ति भी सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं, और इसलिए, उन्हे कम से कम , SC/ ST उम्मीदवारों वाले लाभ दिए जाएं।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि बौद्धिक / मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की कुछ सीमाएँ हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों में नहीं हैं।
- इस प्रकार, न्यायालय ने विषय विशेषज्ञों को एक पाठ्यक्रम बनाने की व्यवहार्यता की जांच करने की सलाह दी थी जो ऐसे व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है।

उच्चतम न्यायालय के फैसले का महत्व

- कठिनाइयों की पहचान: शीर्ष अदालत ने शिक्षा या रोजगार प्राप्त करने में विकलांगों की यात्रा को उनकी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना मान्यता दी है।
- विकलांग आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे: अब तक, विकलांग उम्मीदवारों को अक्सर सामान्य मानकों को पूरा नहीं करने के कारण शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था।
- सशक्तीकरण के प्रवर्तक के रूप में शिक्षा: निर्णय के पीछे बड़ा सिद्धांत यह था कि विकलांग लोगों को उचित शिक्षा प्रदान किए बिना, उनके अधिकारों का कोई सार्थक प्रवर्तन नहीं हो सकता है?

क्या निर्णय की कोई आलोचना है?

- निर्णय को विकलांग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच के अंतर को खत्म करने के रूप में देखा जाता है
- इसे सामाजिक विकलांगता के साथ शारीरिक / मानसिक विकलांगता को समान करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है और सदियों से हाशिये के वर्गों द्वारा सामना की गई अस्पृश्यता का अनुभव किया है।

विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विधायी ढांचे की व्यापकता क्या है?

यह विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 है। अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं:

- अधिनियम विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की जगह लेता है।
- यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों (UNCRPD) पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के दायित्वों को पूरा करता है, जिसके लिए भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।

- बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों और उच्च सहारे की जरूरतों वाले लोगों के लिए निम्नलिखित आरक्षण लाभ प्रदान किए गए हैं
  - --- उच्च शिक्षा में आरक्षण (5% से कम नहीं),
  - --- सरकारी नौकरियों में आरक्षण (4% से कम नहीं),
  - --- भूमि आवंटन, गरीबी उन्मूलन योजनाओं (5% आवंटन) में आरक्षण
- 6 और 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा।
- केंद्रीय और राज्य स्तर पर शीर्ष नीति निर्माण निकाय के रूप में कार्य करने के लिए विकलांगता पर व्यापक आधारित केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जाने हैं।
- विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य कोष बनाया जाएगा।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त नियामक निकायों और शिकायत निवारण संस्थाओं के रूप में कार्य करेंगे और अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेंगे।
- दंड: जो कोई जानबूझकर अपमान करता है या विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को धमकाता है, या विकलांगता के साथ एक महिला या बच्चे का यौन शोषण करता है, उसे छह महीने से पांच साल तक की जेल की सजा और जुर्माना होगा
- PwDs के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को संभालने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों को नामित किया जाएगा

क्या आप जानते है?

- विकलांगों के लिए आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है जो सभी ऊर्ध्वाधर श्रेणियों जैसे SC, ST, OBC और सामान्य में कटौती करता है।

निष्कर्ष

- यह महत्वपूर्ण है कि 2016 के अधिनियम और हाल के उच्चतम न्यायालय निर्णय को पूरी तरह से प्रभाव दिया जाए, ताकि आबादी का यह महत्वपूर्ण खंड सामाजिक और आर्थिक उन्नति से न बचे।

कड़ियों को जोड़ने पर

• सुगम्य भारत अभियान

• राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (NHFDC)

• अनुच्छेद 15(4), 16(4A) और 46

प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा संख्या

सामाजिक / कल्याण के मुद्दे; श्रमिक मुद्दे

संदर्भ:

- श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सरकार प्रवासी श्रमिकों (विशेषकर असंगठित क्षेत्रों में जो श्रम कानूनों के दायरे से परे हैं) के लिए एक सामाजिक सुरक्षा संख्या पेश करती है।
- सरकार को प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए एक वेबसाइट स्थापित करनी चाहिए।

लाभ:

- सामाजिक सुरक्षा संख्या कठिन परिस्थितियों को रोक सकती है, जो प्रवासियों को लॉकडाउन के दौरान सामना करना पड़ा।
- एक सामाजिक सुरक्षा संख्या प्रवासी श्रमिकों की संख्या और उनके प्रवासन पैटर्न के मानचित्रण में मदद करेगी।

UPA द्वारा 270 मिलियन भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया

ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) के अनुसार अध्ययन -

- कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) द्वारा 270 मिलियन भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और OPHI द्वारा जारी गरीबी के आंकड़ों ने बताया कि 75 में से 65 देशों ने 2000 और 2019 के बीच अपने बहुआयामी गरीबी स्तर को काफी कम कर दिया है।
- 2005-6 और 2015-16 के बीच लगभग 273 मिलियन भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में

UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक शुरू किया गया था। MPI का मूल दर्शन और महत्व यह है कि यह इस विचार पर आधारित है कि गरीबी एक आयामी नहीं है (केवल आय पर निर्भर नहीं है और एक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी कई बुनियादी जरूरतों की कमी हो सकती है, बल्कि यह बहुआयामी है।

MPI मानव विकास सूचकांक (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर) के रूप में एक ही तीन आयामों में घरेलू स्तर पर अतिव्यापी अभावों को मापता है। सूचकांक में गरीब लोगों के अनुपात और एक ही समय में प्रत्येक गरीब व्यक्ति के अनुभवों की औसत संख्या को दर्शाया गया है।

विभिन्न आयामों से वंचितता या गरीबी के आकलन के लिए, MPI तीन आयामों और दस संकेतकों का उपयोग करता है। तीन आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर हैं। घर और व्यक्तिगत स्तरों के लिए वंचितों को मापा जाता है। घरेलू सूचना को बहुआयामी गरीबी के राष्ट्रीय माप को प्राप्त करने के लिए एकत्रित किया जाता है।

उपयोग किए गए आयाम और संबंधित संकेतक हैं:

- शिक्षा: स्कूली शिक्षा और बच्चे के नामांकन के वर्ष (प्रत्येक को 1/6 भारिता , कुल 2/6);
- स्वास्थ्य: बाल मृत्यु दर और पोषण (प्रत्येक को 1/6 भारिता, कुल 2/6);
- जीवन स्तर: बिजली, फर्श, पीने का पानी, स्वच्छता, ईंधन और संपत्ति (प्रत्येक को 1/18 भारिता, कुल 2/6)

स्वास्थ्य

WHO वायरस के हवाई रूप से फैलने पर चेतवानी दी है।

स्वास्थय समस्या; अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका

खबरों में:

- पहले कई खंडन के बाद, WHO ने अब कहा कि कोरोनो वायरस के हवाई प्रसारण के भी प्रमाण हैं।
- WHO ने संकेत दिया कि वायरस वायु संचरण द्वारा फैल सकता है, दुनिया भर में 230 से अधिक वैज्ञानिकों ने वैश्विक निकाय से इसके मार्गदर्शन को अपडेट करने का आग्रह किया।
- नोट: नीचे दी गई आकृति से, बिन्दुक संचरण और वायु संचरण के बीच अंतर जानने की कोशिश कीजिए
- वायु संचरण को एक संक्रामक कारक के प्रसार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बिन्दुक के केन्द्रक या एरोसोल के प्रसार के कारण होता है जो लंबी दूरी और समय में वायु में निलंबित होने पर संक्रामक बने रहते हैं।
- एरोसोल 5 माइक्रोमीटर या पांच मिलीमीटर से कम आकार का होता है।

क्या आप जानते हैं?

भारत MMR में भारी गिरावट दर्ज की है

स्वास्थय समस्या; सामाजिक / कल्याण मुद्दा

MMR के बारे में:

• मातृ मृत्यु दर (MMR) को 1,00,000 जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

• विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, गर्भावस्था या इसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से, गर्भवती होने के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर मातृ मृत्यु एक महिला की मृत्यु है। जो रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली (SRS) के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार है।

• भारत में मातृ मृत्यु दर (MMR) 2016-18 में 113 से घटकर 2015-17 में 122 और 2014-2016 में 130 हो गई है।

• संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के लक्ष्य 3.1 का उद्देश्य वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को 70 से कम प्रति 100,000 जीवित जन्मों तक कम करना है।

एड्स, टीबी और मलेरिया के लिए वैश्विक निधि (GFATM)

स्वास्थ्य; अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और पहलों की भूमिका

खबरों में:

- यौनकर्मियों और एड्स से पीड़ित लोगों ने एड्स, टीबी और मलेरिया (GFATM) के लिए वैश्विक निधि को लिखा और अस्तित्व की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता मांगी।
- उन्होंने चिंता जताई कि COVID19 से संबंधित आपातकालीन राहत प्रयासों में सरकार और बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है।
- GFATM ने भारत के लिए 20 मिलियन डॉलर के COVID प्रतिक्रिया निधि को मंजूरी दी थी, जिसमें सिविल सोसाइटी द्वारा बार-बार साक्ष्य-आधारित मांगों के बावजूद, इन कमजोर समूहों से कम से कम 1.5 मिलियन [व्यक्तियों] के लिए कोई प्रत्यक्ष समर्थन नहीं है।

GFATM के बारे में

- GFTAM एक अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण और साझेदारी संगठन है जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता के लिए HIV/ एड्स, तपेदिक और मलेरिया की महामारी को समाप्त करने के लिए "आकर्षित, उत्तोलन और निवेश करना है"।
- वैश्विक निधि 2002 में दुनिया के संसाधनों को धकेलने और उन्हें रणनीतिक रूप से तपेदिक (टीबी), एक्वायर्ड इम्यूनो-डिफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स), और मलेरिया को महामारी के रूप में समाप्त करने के लिए कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए बनाया गया था।
- G8 ने औपचारिक रूप से जुलाई 2001 में अपने शिखर सम्मेलन में वैश्विक निधि के निर्माण के लिए समर्थन का समर्थन किया।
- वैश्विक निधि दुनिया का सबसे बड़ा एड्स, टीबी और मलेरिया की रोकथाम, उपचार और देखभाल कार्यक्रम है। जून 2019 तक, संगठन ने इन कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए 41.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का वितरण किया था।

मंत्रालय ने N95 झिल्लीदार मास्क के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है

स्वास्थ्य और चिकित्सा

संदर्भ:स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहते हुए कि N95 झिल्लीदार श्वासयंत्र / मास्क के इस्तेमाल के प्रति आगाह किया है, यह कहा है कि यह COVID19 के प्रसार के खिलाफ वांछित सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

झिल्लीदार श्वासयंत्र N95 मास्क का उपयोग कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए कदमों के लिए हानिकारक है क्योंकि वे वायरस को मास्क से बाहर निकलने से नहीं रोकते हैं।

सस्ती कीमतों पर चिकित्सा उपकरण

सरकारी योजना और नीति; कल्याण; मूल्य

संदर्भ:

- भारत में सभी चिकित्सा उपकरणों को औषधि के रूप में अधिसूचित किया गया है और यह 1 अप्रैल से प्रभावी होने के साथ औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के नियामक शासन के तहत आया है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की एक सूची की जारी की है और राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) से अनुरोध किया है कि वह सस्ती कीमतों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करे।

NPPA की भूमिका

- DPPA, 2013 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में NPPA ने स्पंदन मापी और ऑक्सीजन संकेंद्रक जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के निर्माताओं / आयातकों से मूल्य-संबंधित डेटा के लिए कहा है।
- NPPA यह सुनिश्चित करने के लिए कि 1 अप्रैल, 2020 तक मौजूदा कीमतें एक साल में 10% से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।
- NPPA ने उद्योग संघों को बताया कि यह "सामान्य रूप से व्यवसाय" नहीं था और मुनाफाखोरों का समय नहीं था।

सीरो निगरानी विश्लेषण

स्वास्थय समस्या; विज्ञान - स्वास्थ्य और चिकित्सा

खबरों में:

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में किए गए सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण की रिपोर्ट और विश्लेषण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
- रक्त के नमूनों को सर्वेक्षण के एक हिस्से के रूप में बेतरतीब ढंग से चुने गए लोगों से लिया गया था, जिसमें अवांछित संक्रमण के पैमाने का अध्ययन करने के लिए प्रतिरक्षी के लिए तीव्र परीक्षण शामिल हैं।

के विषय में:

- सेरो निगरानी एक प्रतिरक्षी की खोज का परीक्षण है जो सामुदायिक स्तर पर संक्रमण की व्यापकता का आकलन करने के लिए किया गया था और मुख्य रूप से साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया गया था।

- प्रतिरक्षी , जिसे इम्युनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, सूक्ष्मजीवों और वायरस जैसे बाह्य कणों (एंटीजन) के प्रत्युत्तर में स्वाभाविक रूप से उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। जैसे, वे संक्रमण और बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- सरल शब्दों में, प्रतिरक्षी विशिष्ट हैं, Y-आकार के प्रोटीन जो शरीर के बाह्य आक्रमणकारियों के लिए एक ताला-और-कुंजी की तरह बांधते हैं - चाहे वे वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवी हों।

शिक्षा

ऑनलाइन शिक्षा में सामाजिक असमानता

शिक्षा; सामाजिक मुद्दे

के विषय में:

- जून महीने में, हमने यूनेस्को द्वारा जारी 2020 वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के बारे में पढ़ा
- रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 महामारी ने शिक्षा प्रणालियों में असमानताएं बढ़ाई हैं।
- इसलिए, ऑनलाइन शिक्षा में सामाजिक असमानता से निपटने के लिए केंद्र ने विभाजन को पाटने के लिए दीर्घकालिक उपायों का प्रस्ताव दिया है।

2020 के अनुसार यूनेस्को द्वारा जारी वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट

- COVID-19 महामारी ने दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियों में असमानताएं बढ़ाई हैं।
- लगभग 40% निम्न और निम्न-मध्य-आय वाले देशों ने इस संकट के दौरान शिक्षार्थियों को बहिष्कार के जोखिम का समर्थन नहीं किया है।
- अप्रैल 2020 में, दुनिया भर के लगभग 91% छात्र विद्यालय से बाहर थे।
- गरीब, भाषाई अल्पसंख्यक और विकलांग लोग अधिक प्रभावित हुए क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए संसाधन विद्यालय के बाहर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।
- गरीब छात्रों के लिए जो मुफ्त भोजन या मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के लिए विद्यालय पर निर्भर हैं, इनको बंद करना एक बड़ा आघात साबित हो रहा है।

केंद्र द्वारा प्रस्तावित कदम

- यह अगले पांच वर्षों में सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों में से 40% को लैपटॉप या टैबलेट वितरित करने की योजना है। (60,900 करोड़ रुपये की कुल लागत पर)
- केंद्र और राज्यों को 60:40 के अनुपात में, उपकरणों को उपलब्ध कराने की लागत को साझा करना है।
- केंद्र का उद्देश्य सभी सरकारी स्कूलों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से लैस करना है।

- उच्च प्राथमिक स्तर से ऊपर 3.1 लाख सरकारी स्कूलों के लिए, केंद्र ने रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। 55,840 करोड़ उन्हें ICT सुविधाओं से लैस करने के लिए।
- कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रुपये खर्च करने का प्रस्ताव दिया। अगले पांच वर्षों में डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री और संसाधनों के विकास और अनुवाद पर 2,306 करोड़ रुपये खर्च किए है।

विश्वविद्यालय परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश

शिक्षा; शासन

संदर्भ: विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के 6 जुलाई, 2020 के दिशानिर्देशों ने परीक्षाओं पर बहस छेड़ दी है।

क्या दिशा-निर्देश थे?

- सितंबर के अंत तक विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं
- विश्वविद्यालय / संस्थान किसी भी विधि का चयन कर सकते हैं - कलम और कागज, ऑनलाइन या व्यवहार्यता और उपयुक्तता के अनुसार दोनों का एक मिश्रण।
- जो छात्र अपने अंतिम वर्ष में नहीं हैं, उन्हें पिछले सेमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन और अंकों / ग्रेड के संयोजन के आधार पर पदोन्नत किया जा सकता है यानी मध्यवर्ती सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द किया गया है।

केवल अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने के पीछे क्या विचार था?

- UGC ने कहा कि परीक्षा में प्रदर्शन "क्षमता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता के परावर्तन के लिए आवश्यक है जो वैश्विक स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है"
- इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यह निर्णय छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है - नौकरी और उच्च शिक्षा
- राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए NTA द्वारा लिए गए निर्णय के साथ नए दिशानिर्देश भी साथ में हैं - JEE और NEET सितंबर के महीने में प्रस्तावित है।
- सितंबर-अंत तक परीक्षाओं के संचालन का आदेश देने के लिए केंद्र कानूनी रूप से सशक्त है, क्योंकि उच्च शिक्षा समवर्ती सूची में है।

UGC के फैसले की आलोचना

- **तार्किक कठिनाइयाँ**: COVID-19 महामारी के दौरान शारीरिक परीक्षा आयोजित करने में चुनौतियाँ होंगी, खासकर जब राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर लॉकडाउन लागू करने का अधिकार दिया जाता है।
- **सीखने की प्रक्रिया प्रभावित**: जब कोरोनवायरस ने शिक्षण-शिक्षण प्रक्रिया को बाधित कर दिया,

तो परीक्षा आयोजित करने के आधार पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं

- **वैश्विक अभ्यास के साथ गठबंधन नहीं:** दुनिया के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों ने महामारी के दौरान परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और आंतरिक मूल्यांकन करने के लिए चुना है।
- **राज्यों से आपत्ति:** इसमें शामिल होने वाले जोखिमों को देखते हुए, पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बाद में दिल्ली जैसे राज्यों ने अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया।
- **परीक्षा की विश्वसनीयता:** भारत की शिक्षा प्रणाली परीक्षा केंद्रित है और ये दिशानिर्देश इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल हैं कि परीक्षाओं की वैधता उनकी विश्वसनीयता पर निर्भर करती है।
- **संस्थागत चुनौतियां:** अधिकांश शिक्षक भी विशेष रूप से ऑनलाइन ओपन-बुक परीक्षाओं के लिए अच्छे पेपर सेट करने में प्रशिक्षित नहीं होते हैं।
- **भेदभावपूर्ण:** मध्यवर्ती वर्ष के छात्रों (परीक्षा आयोजित नहीं करने) को प्रदान की गई लचीलेपन को अंतिम वर्ष के छात्रों तक नहीं बढ़ाया गया था।
- **अनिश्चितता:** यदि संक्रमण कम नहीं होता है, तो इसका मतलब यह होगा कि UGC या तो समय सीमा आगे बढ़ाता है या विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए मजबूर किया जाता है।
    - दूसरे मामले में गरीबों पर अमीरों के पक्ष में डिजिटल विभाजन का मुद्दा होगा

UGC की आलोचना

- संयुक्त राज्य अमेरिका में UGC की तरह कुछ भी नहीं है।
- UGC को मूल रूप से कोश देने वाली संस्था माना गया था जो कि इसके नाम से स्पष्ट है।
- लेकिन यूजीसी अधिनियम 1956 इस पर विश्वविद्यालयों में भी 'मानकों के समन्वय और निर्धारण' की शक्ति प्रदान करता है और इसलिए, यह उच्च शिक्षा का नियामक बन गया है।
- आज, उच्च शिक्षा क्षेत्र अधिक विनियमित और निम्न निधि वाला है।

आगे की दिशा

- UGC को अंततः निर्णय लेना चाहिए जो न्यायसंगत, निष्पक्ष, व्यावहारिक और लाभप्रद होगा और ऐसा नहीं जो छात्रों के किसी भी समूह के लिए जोखिम भरा और अपवर्जनात्मक होगा।
- परिणाम, पूर्व सेमेस्टर और अंतिम सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन में छात्र के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए घोषित किए जाने चाहिए।

सरकारी योजनाएँ

PM गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाया गया है

कल्याणकारी योजनाएं; गरीबी; खाद्य सुरक्षा

संदर्भ:

- PM गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर के अंत तक पांच महीने तक बढ़ाया जाएगा।
- योजना को तीन महीने की अवधि के लिए COVID-19 महामारी के दौरान पहले राहत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।

योजना के पीछे तर्क -

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीब से गरीब व्यक्ति भूखा न रहे।
- इस योजना के तहत, अगले पांच महीनों के लिए, 5 kg मुफ्त चावल या गेहूं, और 1 kg चना मुफ्त प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत 80 करोड़ व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा।
- यह अर्थव्यवस्था और गरीबों पर COVID-19 लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज है।

क्या आप जानते हैं?

- मौजूदा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश के गरीबों को 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मासिक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करता है।
- PMGKY के तहत, राशन कोटा मार्च में अगले तीन महीनों के लिए मुफ्त में एक और 5 किलो बढ़ाया गया था। (और अब नवंबर तक बढ़ा दिया गया है)

महत्वपूर्ण बिन्दु:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

- भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) लागू किया।
- अधिनियम में ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% तक शामिल है।
- लक्षित आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त होंगे, इस प्रकार यह आबादी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा होगा।
- मंत्रालय शामिल: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

आत्मनिर्भर भारत मिशन आगे बढ़ाया गया

कल्याणकारी योजनाएं; गरीबी; खाद्य सुरक्षा

संदर्भ:

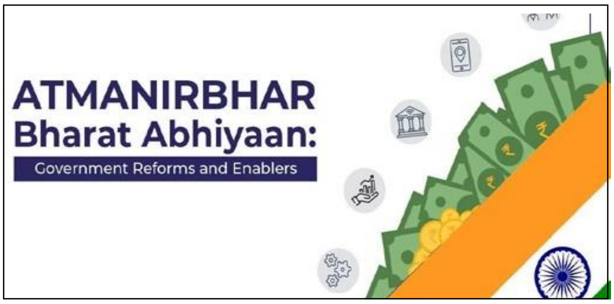

- केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आवंटित आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण की समय सीमा को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है।

आत्मनिर्भर भारत मिशन के बारे में

- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न और 1 किलोग्राम मुफ्त पूरे परिवार को प्रवासी मजदूरों, फंसे और जरूरतमंद परिवारों को वितरित किया गया है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) या राज्य की PDS कार्ड की योजना के अधीन नहीं है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के बारे में

- इस योजना के तहत, खाद्यान्नों का मुफ्त वितरण पांच महीने के लिए पांच किलोग्राम प्रति माह की दर से लाभार्थियों को अतिरिक्त अधिकार के रूप में दिया जाना है - जुलाई से नवंबर।
- लाभार्थियों में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता घरेलू (PHH) कार्डधारक शामिल हैं।

गोधन न्याय योजना

सरकार की योजनाएं और पहल; पशुपालन;

ग्रामीण विकास

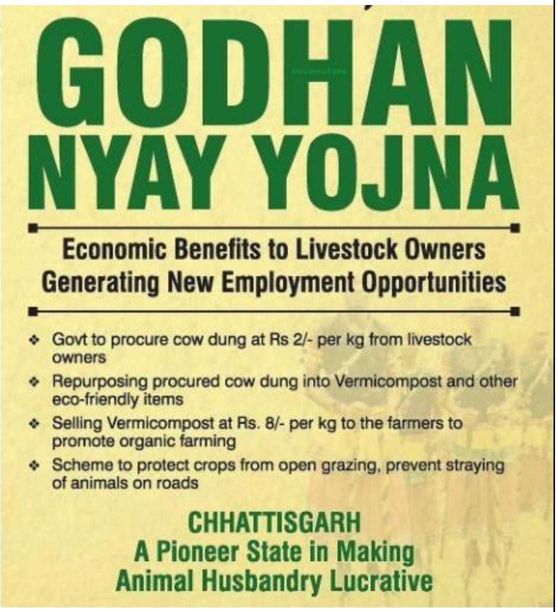

खबरों में:

- गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत, सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर गोबर की खरीद करेगी और इसका उपयोग जैविक खाद तैयार करने के लिए करेगी।

योजना के लाभ:

- इस योजना के कार्यान्वयन के साथ, सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- जैविक खेती को बढ़ावा देना है।
- मवेशियों द्वारा उत्पादित कचरे का उचित निपटान, इसलिए शहर और सड़कों को साफ रखता है।

भारतीय रेलवे ने निजी निवेशकों के लिए दरवाजे खोल दिए है।

सरकार की नीतियां और विकास के लिए हस्तक्षेप

संदर्भ: भारतीय रेलवे ने 151 आधुनिक रेलगाड़ियों का उपयोग करते हुए 109 मूल गंतव्य (OD) मार्गों पर निजी संस्थाओं को रेलगाड़ी संचालन आरंभ करने की प्रक्रिया शुरू की है।

क्या आप जानते हैं?

- IRCTC, जिसमें सरकार बहुसंख्यक शेयरधारक है, को नई दिल्ली-लखनऊ और मुंबई-अहमदाबाद क्षेत्रों में पायलट तेजस का परिचालन दिया गया है।
- ये पहली रेलगाड़ी थीं जिन्हें 'गैर-रेलवे' संचालक द्वारा चलाने की अनुमति थी।
- 2018 में भारत में 68,443 किलोमीटर रेलवे मार्ग थे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के साथ दुनिया के चार सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है।

निर्णय के लिए पृष्ठभूमि

- 2015 में, बिबेक देबरॉय समिति ने सिफारिश की कि रेलवे के लिए आगे का रास्ता "उदारीकरण और निजीकरण नहीं" था ताकि नए संचालकों के प्रवेश की अनुमति दी जा सके "विकास को प्रोत्साहित करने और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए।"
- एक यात्री दृष्टिकोण से, विशेष रूप से बड़े शहरों के बीच अधिक रेलगाड़ी सेवाओं की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड का कहना है कि क्षमता बढ़ाने के लिए 2019-20 के दौरान पांच करोड़ यात्रियों को समायोजित नहीं किया जा सकता है
- विस्तार के बिना, और सड़क यात्रा के विकास के साथ, रेलवे की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में लगातार घट जाएगी।

रेलवे के लिए कदम क्यों महत्वपूर्ण है?

- बेहतर सेवा: कुल उद्देश्य उन यात्रियों के लिए एक नई रेल यात्रा के अनुभव को पेश करना है जो विमान और वातानुकूलित बसों से यात्रा करने के अभ्यस्त हैं।
- विस्तार क्षमता: भारत में हर किलोमीटर का ट्रैक भौगोलिक क्षेत्र को जर्मनी, रूस, चीन या कनाडा की तुलना में बहुत कम यात्रा करता है, जो विस्तार की गुंजाइश दर्शाता है, जिसे निजी भागीदारी द्वारा त्वरित किया जा सकता है
- निवेश आकर्षित करता है: इस कदम का अनुमान है कि लगभग ₹30,000 करोड़ का निवेश होगा
- गुणक प्रभाव: यह अनुमान लगाया जाता है कि रेलवे क्षेत्र में एक रुपये का निवेश अन्य क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने का ₹2.50 तक एक अनुबंधन प्रभाव होगा।
- निष्फलता की प्रवृत्ति को उलटता है: रेलवे में यात्री और माल ढुलाई के विश्लेषण से पता चला है कि दोनों श्रेणियों के लिए यात्रा के अन्य साधनों के लिए एक स्थिर बदलाव आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा था: सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% के बराबर।
- बाजार की पूर्ति: बिबेक देबरॉय पैनल ने कहा था कि यात्रियों को अधिक भुगतान करने की इच्छा थी, अगर उन्होंने यात्रा की बेहतर गुणवत्ता और आसानी की गारंटी दी थी।
- ट्रैक, सिग्नलिंग और स्टेशनों जैसी महंगी अचल संपत्तियों का मुद्रीकरण।

आगे की चुनौतियां:

1. अपर्याप्त: निजी संचालकों के लिए ट्रेन संचालन में भाग लेने के लिए वर्तमान निमंत्रण भारतीय रेलवे द्वारा संचालित 2,800 मेल और एक्सप्रेस सेवाओं का केवल 5% है

2. निजी निवेशकों को बेहतर सेवाओं के साथ अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए

- IRCTC द्वारा चलने वाली पहली ट्रेनों में लखनऊ और दिल्ली के बीच यात्रा की लागत उसी मार्ग पर शताब्दी ट्रेन की तुलना में अधिक होती है जो लगभग गति में समान है।
- इसलिए, निजी संचालकों को अपनी पेशकश के स्तर को और भी अधिक बढ़ाना होगा, उच्च किराए का औचित्य साबित करना होगा, और जनसंख्या के एक वर्ग को आकर्षित करना होगा जो प्रीमियम कीमतों का भुगतान करने के लिए तैयार है

3. समान अवसर की आवश्यकता

- जैसा कि कंटेनर ट्रेनों को चलाने में निजी संचालकों के अनुभव से पता चलता है, निजी खिलाड़ियों के लिए समान अवसर बनाने के लिए एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना महत्वपूर्ण होगी

निष्कर्ष

- निजी रेल परिचालन को इस प्रकार सरकार की अगुवाई वाली पायलट योजना के रूप में देखा जा सकता है, न कि अखंड भारतीय रेलवे के असहयोग के लिए एक पूर्ण कार्यक्रम, हालांकि निजी शोषण के लिए अधिक आकर्षक भागों को खोला जा रहा है।

कड़ियों को जोड़ने पर-

- बिबेक देबरॉय समिति की रिपोर्ट
- राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)

राजव्यवस्था, कानून, मौलिक अधिकार, गैर सरकारी संगठन; अर्थव्यवस्था

FCRA क्या है?

- यह भारत द्वारा गैर-सरकारी संगठनों और अन्य लोगों को कुछ व्यक्तियों या संगठनों द्वारा प्रदान किए गए विदेशी योगदान (विशेषकर मौद्रिक दान) को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानून है।
- FCRA अधिनियम मूल रूप से 1976 में पारित किया गया था और 2010 में इसे प्रमुखता से संशोधित किया गया था।
- सरकार ने कुछ गैर-सरकारी संगठनों के बैंक खातों को कुर्क करने के लिए वर्षों से अधिनियम का उपयोग किया है जो यह पाते हैं कि गलत उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर रहे थे।

क्या आप जानते हैं?

- FCRA अधिनियम 2010 के अनुसार, विदेशी धन प्राप्त करने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
- FCRA में निर्धारित शर्तों के अनुसार, एक संगठन को विदेशी धन प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक कि इसे 2010 के अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि जब इसे किसी विशेष परियोजना के लिए सरकार की मंजूरी मिलती है।
- FCRA अधिनियम के तहत, पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन पांच उद्देश्यों - सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक - के लिए विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

गैर सरकारी संगठन

- NGO' शब्द का प्रयोग एक ऐसे निकाय का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो न तो सरकार का हिस्सा है और न ही पारंपरिक विदेशी व्यापार संगठनों का।
- सामान्य नागरिकों के समूह जो विविध गतिविधियों में शामिल होते हैं जिनमें धर्मार्थ, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या अन्य हित हो सकते हैं।
- जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करने में मददगार।
- भारत में, NGOs को भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, आदि के तहत पंजीकृत किया जा सकता है।
- भारत में दुनिया में सक्रिय NGOs की सबसे बड़ी संख्या है।
- गैर-सरकारी संगठनों को विदेश से धन प्राप्त होता है, अगर वे गृह मंत्रालय के साथ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकृत हैं।

सस्ता किराया आवास परिसर (ARHCs) योजना

आवासन; सामाजिक / कल्याणकारी योजना

संदर्भ

- मंत्रिमंडल ने उन प्रवासियों के लिए एक किफायती किराये की आवासीय योजना को मंजूरी दी जो लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्यों में वापस चले गए थे।

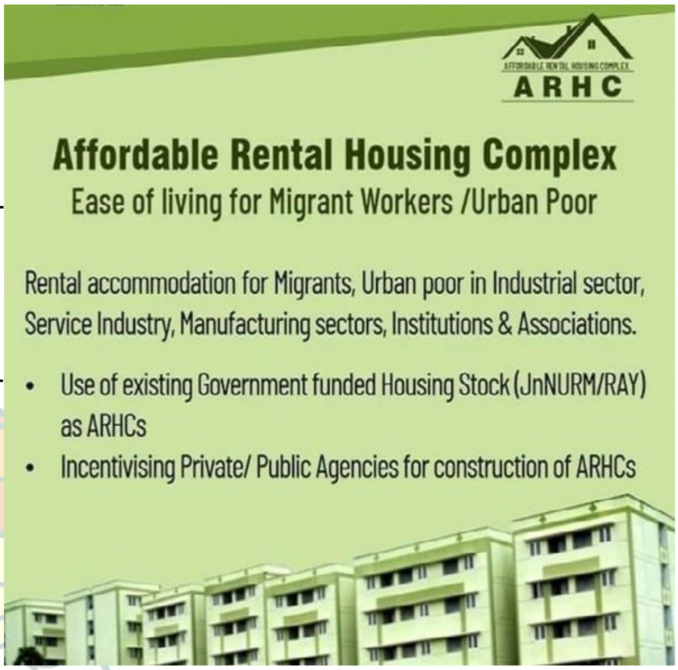

सस्ता किराया आवास परिसर (ARHCs) योजना के बारे में

- यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन है
- यह प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक उप-योजना होगी।
- लगभग 600 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च के साथ, इस योजना का लक्ष्य शुरू में लगभग 3 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है।
- लक्षित लाभार्थी वे श्रमिक होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों या कस्बों से विनिर्माण, आतिथ्य, स्वास्थ्य, निर्माण आदि में काम करने के लिए आते हैं।

2 घटक है:

1. ARHC योजना में दोतरफा दृष्टिकोण होगा; पहले, मौजूदा खाली सरकारी वित्त पोषित आवास परिसरों को 25 वर्षों के लिए रियायत समझौते के माध्यम से ARHCs में परिवर्तित किया जाएगा।

2. दूसरा, विशेष अनुमति जैसे उपयोग अनुमति, 50% अतिरिक्त फर्श क्षेत्रफल अनुपात या फर्श स्थान सूचकांक, प्राथमिकता क्षेत्र की रियायती दरों पर रियायती ऋण, दूसरों के बीच किफायती आवास के बराबर कर राहत, निजी और सार्वजनिक संस्थाओं को 25 वर्षों के लिए अपनी स्वयं की उपलब्ध खाली भूमि ARHC विकसित करने की पेशकश की जाएगी।

नया उपभोक्ता अधिकार कानून

लोगों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय

संदर्भ: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की जगह लेता है, 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया है।

क्या आप जानते है?

- 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के रूप में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के मुद्दे

- डिजिटल युग के साथ मेल नहीं खाता है: यह डिजिटल-युग की समस्याओं से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है, जहां ई-कॉमर्स और प्रत्यक्ष विक्रेता उल्लंघन से दूर हो जाते हैं।
- नियामक की कमी: इसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कोई नियामक नहीं था
- प्रभावी कार्यान्वयन में कमी: देश भर में उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित उपभोक्ता शिकायतें है।

2019 अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं:

1. **एक उपभोक्ता की परिभाषा**

- एक उपभोक्ता को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी वस्तु की खरीददारी करता है अथवा प्रतिफल मे कोई सेवा लेता है।
- इसमें एक व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है जो पुनर्विक्रय के लिए एक वस्तु या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए एक वस्तु या सेवा प्राप्त करता है।
- ऑफ़लाइन, और ऑनलाइन माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, टेलीशॉपिंग, मल्टी-लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लेनदेन को पूरा करता है

2. **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना**

- CCPA उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और प्रवर्तन करेगा।
- CCPA अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को नियंत्रित करेगा।
- उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने का अधिकार CCPA के पास होगा
- यह वस्तुओं को वापस लेने या सेवाओं को वापस लेने, अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने और उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत की प्रतिपूर्ति के आदेश पारित कर सकता है।

- इस तरह के उल्लंघनों की पूछताछ और जांच करने के लिए एक जांच विंग होगा।

3. उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग CDRCs की स्थापना निम्नलिखित में से की जाएगी -

- जिला स्तर: शिकायतें जहां मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
- राज्य स्तर: शिकायतें जहां मूल्य 1-10 करोड़ रुपये के बीच है
- राष्ट्रीय स्तर: शिकायतें जहां मूल्य 10 करोड़ से अधिक है

4. भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना:

- CCPA किसी निर्माता पर जुर्माना या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए दो साल तक कारावास की सजा दे सकता है।

5. उपभोक्ता अधिकार

- माल, उत्पादों या सेवाओं के विपणन के खिलाफ संरक्षित होने का अधिकार जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हैं;
- माल, उत्पाद या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचित करने का अधिकार, ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके।
- प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार के सामान, उत्पादों या सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने का अधिकार;
- उचित मंचों पर उपभोक्ता के हितों को सुनने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार दिया जाएगा कि उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखा जाएगा
- अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के बेईमान शोषण के खिलाफ निवारण का अधिकार
- उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार

  1986 में भी समान अधिकार थे लेकिन यह माल तक सीमित था। लेकिन 2019 के अधिनियम ने सेवाओं को शामिल करके गुंजाइश का विस्तार किया गया है।

6. उत्पाद दायित्व:

- उत्पाद देयता का अर्थ है किसी उत्पाद निर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता की देयता जो किसी उपभोक्ता को किसी दोषपूर्ण अच्छी या कमी वाली सेवा के कारण हुई क्षति या चोट की भरपाई के लिए देती है।

7. उपभोक्ता के अनुकूल

- यह एक उपभोक्ता का अधिकार है कि वह अपने निवास स्थान पर एक कंपनी पर मुकदमा करे और न कि जहाँ कंपनी निर्दिष्ट करे।
- उपभोक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति / सुनवाई का भी अनुरोध कर सकता है, जो मुकदमेबाजी की चुनौतियों की लागत में कटौती करेगा
- एक मजबूत यातना कानून पारिस्थितिकी तंत्र के बिना, उपभोक्ता को उचित सौदा नहीं मिलेगा।

- विज्ञापनों के लिए अलग उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से संबंधित भागों, ई-कॉमर्स वेबसाइटों के लिए नियम, सेलिब्रिटी विज्ञापन के लिए जवाबदेही को अधिसूचित किया जाना बाकी है।

आगे की दिशा

- वर्ग कार्रवाई अदालत के लिए एक मजबूत मामला बना देगी जब तक कि गलत संस्थाओं पर एक दंड जुर्माना लगाया जाता है, जो तब यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता को अनुमति नहीं दी गई है

बिंदुओं को जोड़ने पर

- भारत में न्यायिक विलंब और इसके कारण
- लोक अदालतें

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

सरकार की योजनाएं और अधिनियम; सामाजिक मुद्दे

खबरों में:

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ।
- नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त करेगा और अपने विभिन्न अधिसूचित नियमों और उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, मध्यस्थता, उत्पाद देयता जैसे प्रावधानों और व्यभिचारी / नकली सामान वाले उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में उनकी मदद करेगा।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA

- अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना शामिल है।
- CCPA को उपभोक्ता अधिकारों और संस्थान की शिकायतों / अभियोजन के उल्लंघन, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं के आदेश को वापस लेने, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और भ्रामक विज्ञापनों के आदेश देने, निर्माताओं / प्रचारक/ भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया जाएगा। (ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल हैं)

ई-कॉमर्स नियमों को मजबूत किया गया है:

- इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को वापसी, प्रतिदाय, विनिमय , वारंटी और गारंटी, वितरण और शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान विधियों, भुगतान विधियों की सुरक्षा, शुल्क-वापसी विकल्प आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करना आवश्यक है, जिसमें उपभोक्ता को अपने मंच पर खरीद पूर्व चरण में एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।

एक अलग अत्याचार विरोधी कानून क्यों?

सरकार की नीतियां और विकास के लिए हस्तक्षेप

संदर्भ:

- तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में कथित हिरासत की वजह से एक पिता और पुत्र की मौत कर दी गई
- पी.जयराज (58) और उनके बेटे जे बेनिक्स (31) को COVID-19 कर्फ्यू के घंटों के उल्लंघन के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया गया। हालांकि, चार दिन बाद हिरासत मे अत्याचार के कारण कथित तौर पर उनकी मौत हो गई
- इस घटना ने एक बार फिर से अत्याचार के खिलाफ एक अलग कानून की मांग को जन्म दिया है।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय दंड संहिता में अत्याचार को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन 'आहत' और 'दुखद चोट' की परिभाषाएँ स्पष्ट रूप से दी गई हैं।
- भारत ने अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार (CAT) के खिलाफ UN सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

क्या इसका मतलब यह है कि यातना के खिलाफ सुरक्षा उपाय नहीं हैं?

- ऐसा नहीं है, कानून और न्यायालय के फैसले में प्रावधान हैं जो सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं
- हालांकि 'आहत' की परिभाषा में मानसिक यातना शामिल नहीं है, लेकिन भारतीय अदालतों ने यातना के दायरे में दूसरों के बीच मानसिक यातना,परिवेष्टक बलप्रयोग, थकाऊ पूछताछ वाग्विस्तार को शामिल किया है।
- स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और स्वीकारोक्ति पर चोट करने के कारण भारतीय दंड संहिता में भी बढ़ाया सजा के साथ प्रदान किया जाता है।
- दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट हर हिरासत में मौत की जाँच करता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस की दखलंदाजी को रोकने के लिए कैमरे की नजर में शव परीक्षण करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं

बिंदुओं को जोड़ने पर

- पुलिस सुधार
- मौत की सजा - क्या इसकी जरूरत है?

हिरासत में प्रताड़ना पर उच्चतम न्यायालय का फैसला

- डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य: इस मामले के तहत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत में अत्याचार से व्यापक रूप से हो रही मौत का अवलोकन किया जो कि

अनुच्छेद 21 के लिए अननुज्ञेय और अपमानजनक है।

- नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य: न्यायालय ने सुनिश्चित किया कि राज्य अब सार्वजनिक कानून में देयता से बच नहीं सकता है और उसे मुआवजे का भुगतान करना ही पड़ेगा।
- इसी तरह, न्यायालय ने कई मामलों में यह कहा है कि हिरासत में मौत के दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।
- इसलिए, न तो मिसाल की कोई कमी है और न ही मौजूदा कानून में कोई कमी है

क्या अत्याचार की रोकथाम पर विशिष्ट कानून बनाने का कोई प्रयास किया गया था?

- हां, विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए 2017 में अत्याचार निवारण विधेयक का नया मसौदा जारी किया गया था।
- इसमें अत्याचार के रूप में 'गंभीर या लंबे समय तक दर्द या पीड़ा' शामिल था लेकिन इसे अपरिभाषित छोड़ दिया गया था।

विधेयक की आलोचना

- विधेयक अस्पष्ट है और पुलिस द्वारा अभियोजन और उत्पीड़न के डर के बिना अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए भी कठोर है।
- यह कानून के मौजूदा प्रावधानों के साथ असंगत था।
- सजा की प्रस्तावित मात्रा बहुत कठोर थी।
- हालांकि 262 वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने सिफारिश की कि 'आतंकवाद से संबंधित अपराधों' के मामलों को छोड़कर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, विधेयक में हिरासत में मौत के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।
- विधेयक में यातना की प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकी के रूप में प्रस्तावित किया गया था और एक अभियुक्त लोकसेवक को अग्रिम जमानत देना उचित नहीं था।
- कुल मिलाकर, प्रस्तावित विधेयक सुधारवादी नहीं था।

आगे की दिशा

- सेवानिवृत्त SC न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने कहा है कि पहले कानून को लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास यह है।
- जांच, अभियोजन उचित नहीं हैं और इन्हें पहले ठीक किया जाना चाहिए
- थर्ड-डिग्री तरीकों का उपयोग करने का प्रलोभन वैज्ञानिक कौशल के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए
- पुलिस अधिकारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है

भारत और दुनिया

चीन से निपटने के लिए SAARC को पुनर्जीवित करना

बहुपक्षीय संबंध; भारत और उसके पड़ोसी

- संदर्भ: जैसे-जैसे भारत-चीन सीमा पर तनाव जारी रहता है, वैसे-वैसे चीन, अपने वैश्विक विस्तारवाद के हिस्से के सर्वोच्च चीन रूप में एक , दक्षिण एशिया में भारत के हितों को खतरा पैदा कर रहा है।

दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति

- पाकिस्तान के साथ चीन की निकटता सर्वविदित है और इसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध CPEC परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
- नेपाल वैचारिक और भौतिक कारणों से चीन के करीब जा रहा है।
- 97% बांग्लादेशी उत्पादों पर टैरिफ की छूट देकर चीन बांग्लादेश को लुभा रहा है।
- चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को भी तेज किया है।
- एक ब्रुकिंग्स इंडिया के अध्ययन के अनुसार, अधिकांश दक्षिण एशियाई राष्ट्र अब भारत के भौगोलिक निकटता के बावजूद आयात के लिए चीन पर निर्भर हैं।

हाल के वर्षों में भारत और SAARC

- कई विदेश नीति विशेषज्ञों का तर्क है कि चीन के साथ भारत के सामरिक व्यवहार की शुरुआत दक्षिण एशिया से होनी है और SAARC को फिर से मजबूत करना महत्वपूर्ण है
- पिछले कुछ वर्षों में, पाकिस्तान के साथ बढ़ती दुश्मनी के कारण, SAARC में भारत की राजनीतिक रुचि में काफी गिरावट आई है।
- भारत, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा है। इससे सार्क कार्यप्रणाली पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है
- भारत ने SAARC के विकल्प के रूप में BIMSTEC जैसे अन्य क्षेत्रीय समूहों में निवेश करना शुरू किया।

क्या BIMSTEC SAARC के विकल्प के रूप में उभर सकता है?

- BIMSTEC उन सभी कारणों के लिए SAARC की जगह नहीं ले सकता जैसे BIMSTEC के सभी सदस्यों के बीच एक सामान्य पहचान और इतिहास की कमी है।
- इसके अलावा, BIMSTEC का केंद्र बंगाल क्षेत्र की खाड़ी पर है, इस प्रकार यह सभी दक्षिण एशियाई देशों को संलग्न करने के लिए एक अनुचित मंच बना रहा है।

SAARC को फिर से कैसे जीवित किया जाये ?

- SAARC को जीवित करने का एक तरीका दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना है।
- गहरा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण भारत के साथ केंद्रीय भूमिका प्राप्त करने के लिए अधिक निर्भरता पैदा करेगा, जो बदले में, भारत के रणनीतिक हितों की सेवा करेगा
- ASEAN क्षेत्र में 25% की तुलना में दक्षिण एशिया कुल क्षेत्रीय व्यापार के साथ दुनिया के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है, जो कुल दक्षिण एशियाई व्यापार का बमुश्किल 5% है।
- जबकि दक्षिण एशियाई देशों ने व्यापार संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, राजनीतिक इच्छाशक्ति और विश्वास की कमी ने किसी भी सार्थक आंदोलन को रोका है।
- विश्व बैंक के अनुसार, दक्षिण एशिया में व्यापार $ 67 बिलियन के अनुमानित मूल्य का 23 बिलियन डॉलर है।
- भारत को टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं में कटौती करने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए।
- 2007 से लंबित SAARC निवेश संधि पर वार्ता को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है।
- UNCTAD के अनुसार, इंट्रा-ASEAN निवेश क्षेत्र में कुल निवेश का लगभग 19% है।

SAARC को पुनर्जीवित करने में भारत को किन घरेलू चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ?

- सबसे पहले, विभाजनकारी घरेलू राजनीति भारत के पड़ोस में भारत विरोधी भावना को ईंधन देती है। पाकिस्तान विरोधी बयानबाजी, बांग्लादेशी प्रवासी मुद्दा (CAA विवाद) और भारतीय धरती में इस्लाम का डर, अवांछनीय तरीकों से विदेश नीति को प्रभावित करता है।
- दूसरा, आत्मनिर्भरता और स्थानीय के लिए मुखर ' मिशन भारत को आयात पर अपनी निर्भरता में कटौती करने और संरक्षणवाद की ओर वापस जाने की जरूरत का संकेत देता है। इससे दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने में बाधा आ सकती है।

निष्कर्ष

- गहरे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण से भारत को आर्थिक और रणनीतिक दोनों को इस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने में मदद मिलेगी

कड़ियों को जोड़ने पर

- भारत की एक्ट ईस्ट नीति
- RCEP और भारत इस से बाहर क्यों निकला ?

भारत-चीन: ऐप्स प्रतिबंध

भारत-चीन संबंध

संदर्भ

- भारत सरकार ने 59 व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऐप्स को अवरुद्ध कर दिया, जो कि सबसे अधिक चीनी कंपनियों से जुड़े हैं। (TikTok, SHAREit, UC Browser आदि)

MAINS के लिए:

ऐप्स प्रतिबंध पर भारत का स्पष्टीकरण

- एप्लिकेशन को "भारत के बाहर स्थानों वाले सर्वरों के लिए अनधिकृत तरीके से उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराने और सुरक्षित रूप से भेजने' के लिए रिपोर्ट किया गया था, जो "भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है"।
- कुछ ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य और जनता की सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में लगे हुए थे ”
- डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के दृष्टिकोण से, उन ऐप्स को सख्ती से विनियमित करने के लिए वास्तव में एक मजबूत मामला था जो बड़ी मात्रा में उपयोगकर्ता डेटा को संभालते हैं।

भारत के कदम का वास्तविक इरादा / संकेत क्या है?

- वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 20 भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच यह निर्णय आया है।
- यह नई दिल्ली (भारत सरकार) का पहला स्पष्ट संदेश है कि यह संधि के नियमों की समीक्षा करेगा।
- यह एक अंतरिम आदेश है और डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के अनुपालन पर सवालों के जवाब देने के लिए संस्थाओं को 48 घंटे का समय दिया गया है लेकिन यह अतीत से एक निर्णायक विराम का संकेत है।
- यह चीन को एक स्पष्ट संकेत भेजते हुए आशय के बयान के रूप में कार्य करता है कि आक्रामकता के कृत्यों के लिए कीमत चुकानी होगी।
- इस तथ्य को कि उसने ऐप्स को सीधे ब्लॉक करने के लिए चुना है, यह सुनिश्चित करने के बजाय कि वे कानून का अनुपालन कर रहे हैं, यह सुझाव देता है कि प्रतिबंध चीन से संदेश भेजने के बारे में गोपनीयता चिंताओं से कम प्रेरित है।

प्रतिबंध का गंभीर विश्लेषण

- यदि चीन के बारे में संदश भेजना अभिप्रेरणा है, तो प्रतिबंध लगाना उस से ज्यादा प्रभावशाली है। यह सरकार को जनता को यह दिखाने में मदद कर सकता है कि वह चीन को आड़े हाथों ले रही है।
- हालांकि, सीमा पर चीनी व्यवहार को रोकने के लिए एक सख्त राजनयिक,

आर्थिक और सैन्य प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

- चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध को हल्के दंड और अपेक्षाकृत नरम प्रतिक्रिया के रूप में माना जा सकता है, लेकिन उसी समय,यह एक निर्णय है जो भारत के लिए राजस्व हानि को बिना हानि पहुंचाए अथवा चीन को आर्थिक आघात देता है।
- फिर भी, सीमा पर तनाव, साथ ही COVID-19 महामारी, ने चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता पर एक बहुत जरूरी बहस को प्रज्वलित किया है। भारत को चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करने की जरूरत है
- सत्ता में एक विषमता है, एक दृश्यमान आर्थिक विषमता है। चीनी अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में लगभग पांच गुना बड़ी है।
- जबकि भारत में चीन के निर्यात का केवल 3 प्रतिशत हिस्सा है, चीन (हाँगकाँग को छोड़कर) भारत के आयात का 14 प्रतिशत और निर्यात का 5 प्रतिशत है।
- भारत कई महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी उत्पादों पर निर्भर है, जो अर्धचालक और सक्रिय दवा सामग्री से लेकर दूरसंचार क्षेत्र तक।
- चीनी विक्रेता न केवल भारत के 4 G नेटवर्क में, बल्कि 5 G परीक्षणों में भी शामिल हैं।

किन अन्य जवाबी कदमों पर विचार किया जा रहा है?

- इससे पहले, सरकार ने पड़ोसी देशों से FDI के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया था ताकि इस अवधि के दौरान अवसरवादी / शत्रुतापूर्ण अधिग्रहणों पर अंकुश लगाया जा सके।
- ई-कॉमर्स फर्मों को चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए कॉल के बीच उत्पाद के मूल देश को सूचीबद्ध करने के विचार का पता लगाने के लिए कहा गया है।
- चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाने की भी बात चल रही है
- सरकार कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अनुबंध (चीनी संबंध होने) पर भी प्रतिबंध लगा सकती है।

निष्कर्ष

- हालांकि, यह देखते हुए कि 'मेड इन चाइना' कितना व्यापक है, भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चीन की उपस्थिति कितनी विशाल है- भारतीय शेयर बाजार की लंबी सूची में इसका निवेश - प्रत्येक चरण अपने स्वयं के परिणामों के साथ आएगा।
- नई दिल्ली (भारत सरकार) को इनकी तैयारी करनी चाहिए और सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाते हुए इसकी प्रतिक्रिया को जांचना चाहिए।

बिंदुओं को जोड़ने पर - न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की डेटा सुरक्षा कानून पर रिपोर्ट

भारत-चीन व्यापार मे गिरावट

भारत-चीन विवाद / मामले

खबरों में:

- आयात में गिरावट के कारण चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2019-20 में $ 48.66 बिलियन हो गया।
- व्यापार घाटा 2018-19 में 53.56 अरब डॉलर और 2017-18 में 63 अरब डॉलर रहा।
- नोट: व्यापार घाटा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक आर्थिक मापन है जिसमें किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है।
- (व्यापार घाटा = आयात का कुल मूल्य - निर्यात का कुल मूल्य)
- चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए हाल के कदम :
- यह चीनी आयातों पर निर्भरता को कम करने के लिए कई उत्पादों के लिए तकनीकी नियमों और गुणवत्ता मानदंडों को तैयार कर रहा है।
- इसने माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया है, जो चीन से औसत कीमतों से नीचे घरेलू बाजार में लाया जा रहा है।
- सरकार ने उन देशों से FDI के लिए कड़े मानदंड बनाए हैं जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं।

क्या आप जानते हैं?

- संशोधित FDI नीति के अनुसार, एक देश से एक कंपनी या एक व्यक्ति जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है, सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही किसी भी क्षेत्र में निवेश कर सकता है।

#Boycottchina

भारत-चीन विवाद / मामला

खबरों में:

- 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भारत चीन से बिजली उपकरण आयात नहीं करेगा।
- राज्य विद्युत वितरण कंपनियां उपकरणों के लिए पाकिस्तान और चीनी संस्थाओं को ऑर्डर नहीं देगी क्योंकि क्षेत्र रणनीति और साइबर हमले को कमजोर करने के लिए आवश्यक है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि चीनी कंपनियों को सड़क परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सरकार चीन को लक्षित करने वाले व्यापार और खरीद पर भी विचार कर रही है।
- सरकार कई क्षेत्रों में चीनी निवेश की जांच भी बढ़ा रही है, और 5 G परीक्षणों से चीनी कंपनियों को बाहर रखने के निर्णय का मूल्यांकन कर रही है।

क्या आप जानते हैं?

- उपरोक्त कदमों से चीनी कंपनियों को अरबों डॉलर का खर्च उठाना पड़ सकता है।
- यह भारत का स्पष्ट संदेश है कि वह व्यापार और निवेश संबंधों को सामान्य रूप से जारी नहीं रख सकता है, यदि चीन LAC के साथ अपनी घुसपैठ से पहले अप्रैल की स्थिति में लौटने के लिए सहमत नहीं है।
- हालांकि, चीनी आयात पर चीन भारत के बाजार पर बहुत कम निर्भर है।
- भारत अपने कई उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण आयातों के लिए चीन पर निर्भर करता है, ऑटो घटकों से लेकर सक्रिय दवा सामग्री (API) तक। 70% से 90% API चीन से आते हैं।
- भारत को उपरोक्त कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए।

चीन अध्ययन समूह (CSG) की भूमिका

चीन अध्ययन समूह (CSG) क्या है?

- यह एक सरकारी निकाय है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करते हैं, जिसमें कैबिनेट सचिव, घर के सचिव, बाहरी मामले, रक्षा और सेना के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।
- CSG की स्थापना 1976 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) द्वारा चीन से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने के लिए की गई थी।
- शुरुआत में इसकी अध्यक्षता विदेश सचिव और अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के हाथों में थी।

CSG के कार्य या उद्देश्य

- CSG की स्थापना 1975-1976 में के. आर. नारायणन ने एक दोहरे उद्देश्य के साथ की थी।
  1. यह चीन-भारतीय सीमा पर स्थिति की समीक्षा करना था, और
  2. यह सीमा प्रश्न पर चीन के साथ बातचीत की तैयारी में सहायता करना था।

चीन-भूटान: सीमा विवाद

भारत-चीन विवाद / मामला;चीन-भूटान संबंध

खबरों में:

- भूटान ने हाल ही में पूर्वी भूटान में सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के लिए चीनी दावों के विरोध में चीन को सीमांकन भेजा।
- चीन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) से 'सकतेंग अभयारण्य' के लिए धन को रोकने का प्रयास किया था, इस आधार पर कि यह "विवादित" क्षेत्र था।

- भूटान ने हमेशा चीन के साथ अपनी सीमा वार्ता पर एक विवेकपूर्ण चुप्पी बनाए रखी है, और इसका बीजिंग के साथ

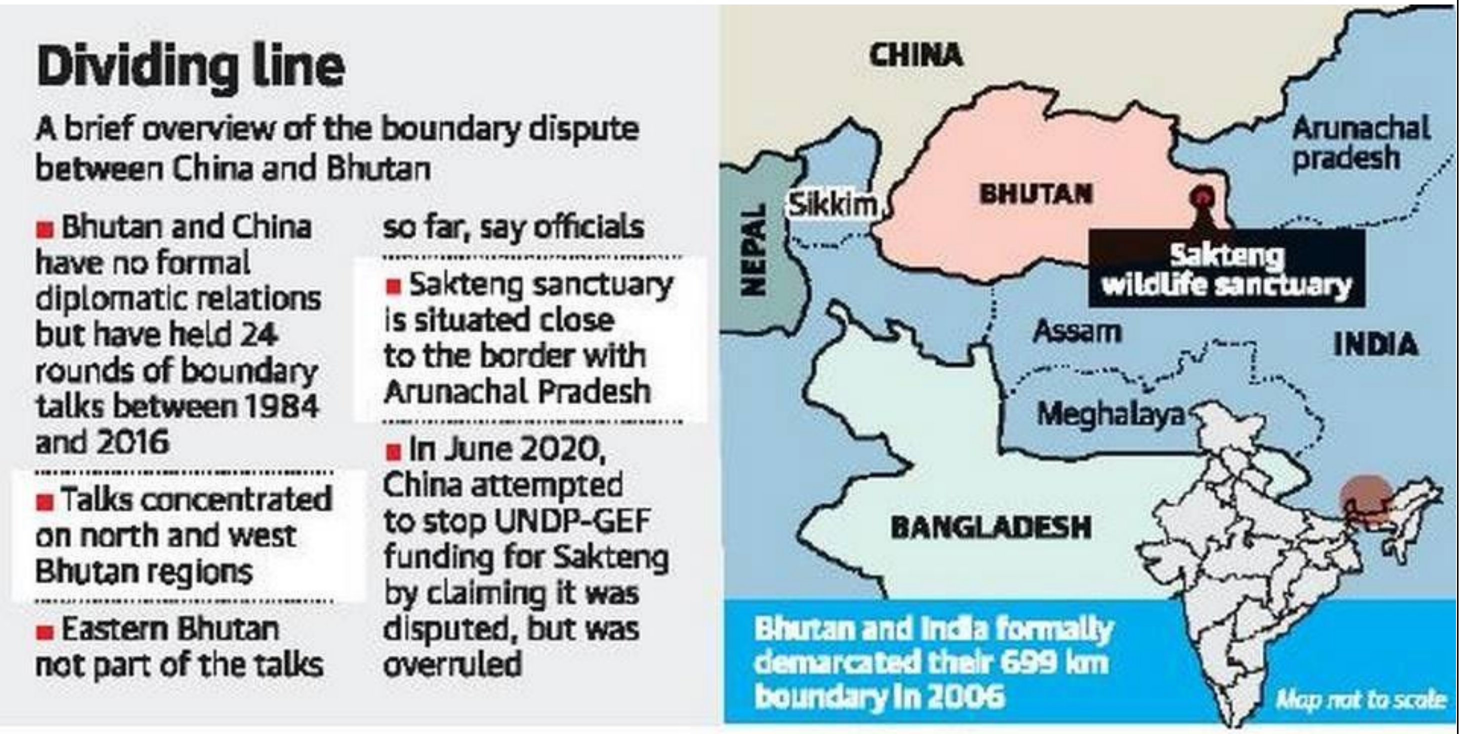

कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है।

क्या आप जानते हैं?

- सक्तेग अभयारण्य में अतीत में भी, चीन से बिना किसी आपत्ति के, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए एक परियोजना के लिए 2018-2019 सहित ऐसे अनुदान प्राप्त हुए हैं।

भारत-चीन सीमा सड़कें (ICBR)

- 1997 में भारत के उत्तरी और पूर्वी मोर्चे के साथ चीन द्वारा किए गए उठाव सड़क और ट्रैक निर्माण कार्य के मद्देनजर, CSG का गठन किसी भी आक्रामकता के मामले में सैनिकों की तेज और सुचारू आवाजाही के लिए चीन सीमा पर सड़क संचार की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए किया गया था।
- अध्ययन के अंत में, CSG ने चीन की सीमा के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों की पहचान की जो भारत-चीन सीमा सड़क (ICBR) के लिए बनाई गई थीं।

क्या आप जानते हैं?

- सीमा सड़क संगठन (BRO) ICBR सड़क निर्माण कार्य को संभालता है।
- ICBR के निर्माण के लिए कई अन्य संस्थाएँ भी जिम्मेदार हैं - जैसे NHAI, MoDNER, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (NPCC) आदि।

भारत, भूटान और चीन

भारत-चीन विवाद / चिंता

संदर्भ: JULY 2020 की शुरुआत के बाद तीसरी बार, चीन ने भूटान के ट्रशिगंग जिले के पूर्ववर्ती क्षेत्र में अपने क्षेत्रीय दावों को दोहराया है।

चीन का क्षेत्रीय दावा क्या है?

- चीन के अनुसार, चीन-भूटान विवादित क्षेत्रों में स्थित सक्सटेंग वन्यजीव अभयारण्य जो कि चीन-भूटान सीमा वार्ता के एजेंडे में है।
- चीन का पहला दावा 2-3 जून को UNDP के नेतृत्व वाले वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) सम्मेलन में था, जब चीनी प्रतिनिधि ने भूटान के पूर्वी जिले ताशीगंग में सकतेंग वन रिजर्व के लिए धन रोकने की कोशिश की थी।
- चीन का दावा है कि चीन और भूटान के बीच की सीमा को कभी भी सीमांकित नहीं किया गया है और इसका कारण पूर्व, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों भूटान पर विवाद रहा है।

चीन द्वारा दावा क्यों आश्चर्यजनक है?

- चीन ने पहले GEF में अभयारण्य को प्रदान की गई धनराशि पर आपत्ति नहीं जताई है।
- ट्रशिगंग क्षेत्र, जहां सकतेंग आधारित है, चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है।
- चीनी अधिकारियों ने भूटान के साथ 24 दौर की वार्ता में पूर्वी सीमा नहीं बढ़ाई है, जो कि 1984 में शुरू हुई थी।
- इस प्रकार, अब तक केवल इस बारे में बातचीत हुई है -
- भूटान की उत्तर - पसमलंग और जकरलुंग घाटियाँ
- भूटान का पश्चिम: डोकलाम और अन्य चारागाह जो भारत के साथ तिहरा जोड़ बिंदु तक आते हैं।

भूटान की स्थिति क्या है?

- भूटान ने चीन द्वारा किए गए दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और GEP से धन को सुरक्षित करने में सक्षम था
- भूटान ने कहा कि सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान का एक अभिन्न और संप्रभु क्षेत्र है।
- भूटान ने नई दिल्ली में अपने दूतावास के माध्यम से चीन को अपनी स्थिति बता दी है, क्योंकि भूटान और चीन का कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है
- पिछले दो महीनों में चीन द्वारा बार-बार किए गए दावों के बाद, भूटान अब यह कहकर चीन के दावों के बारे में गंभीरता से विचार करने लगा है कि सभी विवाद चीन-भूटान वार्ता के अगले दौर में उठाए जाएंगे।

भारत के लिए चिंता

- सकतेंग अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा पर स्थित है, जिसका कुछ हिस्सा चीन द्वारा भी दावा किया जाता है।
- 2007 की भारत-भूटान मैत्री संधि के बाद भी, भारतीय सेना भूटान को उस बाहरी खतरे से बचाने के लिए वस्तुतः जिम्मेदार है, जो चीनी सेना ने किया था

चीनी दावों के पीछे क्या रणनीति है?

भूटान के लिए -

- दबाव रणनीति: यह चीन द्वारा अगली बैठक की समयबद्धता को जल्दी करने, या सीमा वार्ता में लाभ उठाने का प्रयास है।
- चीन और भूटान के बीच सीमा वार्ता - 2016 में अंतिम दौर था - 2017 में डोकलाम गतिरोध, 2018 में चुनाव और 2020 में महामारी के कारण इसे बंद कर दिया गया है।
- चीन-भूटान सीमा विवाद के समाधान के रूप में इन अवधि के दौरान चीन द्वारा "पैकेज समाधान" का पुनर्मूल्यांकन।
- यह 1990 के दशक में चीनी द्वारा पेश किए गए एक सौदे को संदर्भित करता है जिसके तहत चीन पश्चिमी क्षेत्र (डोकलाम और चुम्बी घाटी) में 269 km^2 के नियंत्रण के बदले में उत्तरी क्षेत्र में 495 km^2 पर अपने दावों को देने के लिए तैयार था।

चीनी दावों के पीछे क्या रणनीति है?

भारत के लिए -

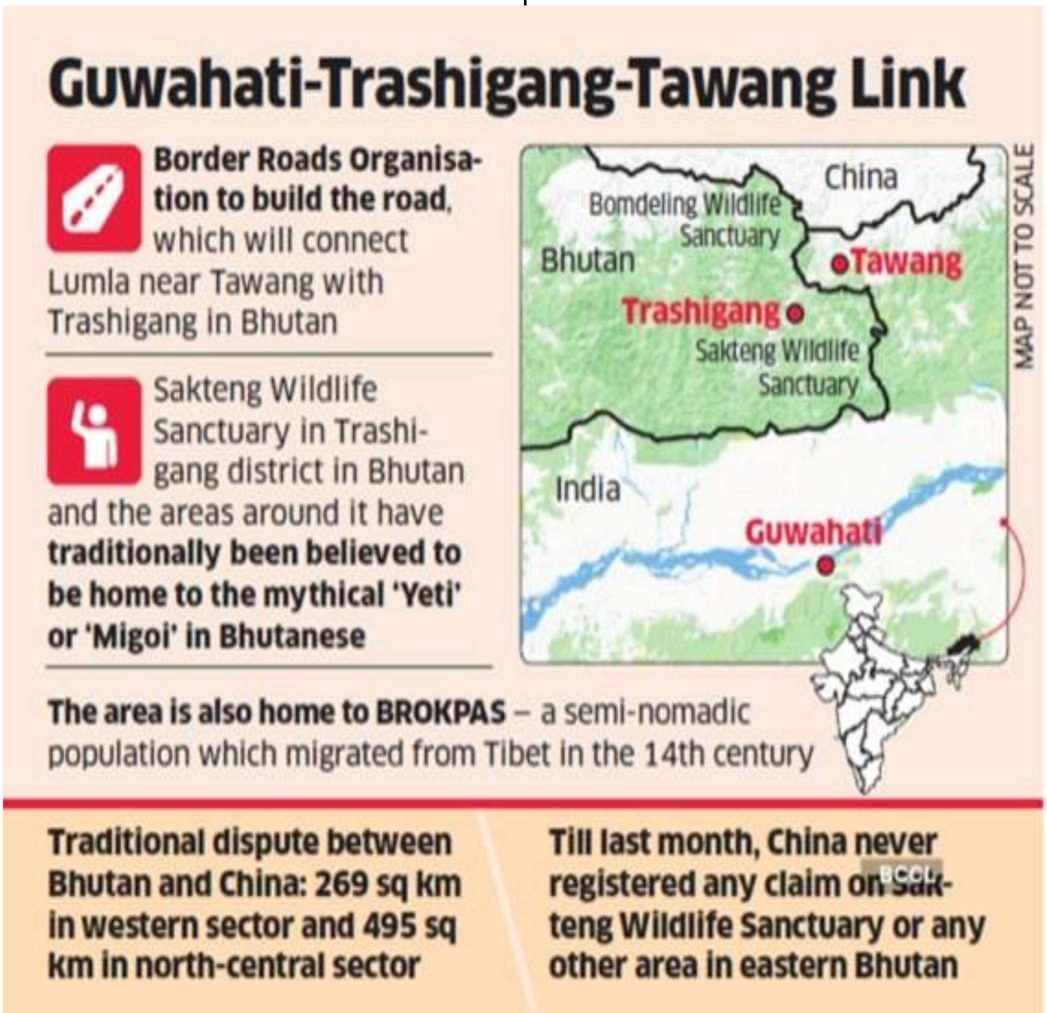

भारत और भूटान के बीच संबंध: चीन का नया क्षेत्रीय दावा भारत के छोटे पड़ोसियों पर दबाव डालने की बड़ी चीनी रणनीति का एक हिस्सा है, जो उन्हें भारत के लिए किसी भी निकटता के लिए दंडित करता है।

विखंडन संबंधी युक्ति: भारत जो पहले से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीनी आक्रामकता के साथ काम कर रहा है, सकटेंग दावा एक विखंडन रणनीति हो सकती है

- अरुणाचल प्रदेश पर दावे बढ़ाएं: भूटान की पूर्वी सीमा का दावा करके, चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावों को दोगुना करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें से किसी पर भी इसका नियंत्रण या नियंत्रण नहीं है।
- भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुरी गलियारे के पास स्थित डोकलाम क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए -

  --- इसके "पैकेज" प्रस्ताव की पुनरावृत्ति चिंताजनक है क्योंकि इसका तात्पर्य है कि बीजिंग इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है डोकलाम पठार, चीन, भारत और भूटान के त्रि-जंक्शन के पास स्थित है

  --- चीन ने डोकलाम पठार में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है-और रणनीतिक रूप से संवेदनशील स्थान भारत की चुम्बी घाटी की ओर बढ़ेगा।

निष्कर्ष

- कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजिंग के डिजाइन अपने नए दावों के पीछे हैं, भारत और भूटान को मुद्दे में बने रहना चाहिए, साथ ही दशकों तक उनके साथ साझा किए गए सहयोग और पूर्ण समझ के साथ, उन्हें जवाब देने के लिए।

चीन के परमाणु शस्त्रागार पर नजर रखते हुए

भारत-चीन विवाद / मामले

संदर्भ: अब इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि चीन गणराज्य (PRC) अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार जारी रखे हुए है

चीन अपना परमाणु शस्त्रागार क्यों बढ़ा रहा है?

- शक्ति प्रक्षेपण: एक बढ़ी हुई परमाणु शस्त्रागार का मतलब चीन के विरोधियों के लिए एक मजबूत अवरोध है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ: चीन अपने परमाणु शस्त्रागार के नियोजित आधुनिकीकरण कर रहा है क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा क्षमताओं से डरता है।

  --- चीन अमेरिका की मिसाइल प्रणाली को बेअसर करने के लिए कई स्वतंत्र रूप से लक्षित पुन: प्रवेश वाहनों (MIRV) क्षमताओं के साथ अपनी मिसाइलों को बना रहा है।

  --- चीन के DF-31As, जो सड़क मोबाइल अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) हैं, MIRV और शक्तिशाली भेदक सामग्री से लैस हैं।

चीन की विस्तारवादी नीति और परमाणु हथियार

- बढ़े हुए परीक्षण: 2019 में PRC के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण नामित परमाणु हथियार राज्यों (NWS) में सबसे अधिक थे।
- बढ़ा हुआ परमाणु शस्त्रागार: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार 2019 में चीन का परमाणु शस्त्रागार 2019

में 290 हथियार से बढ़कर 2020 तक 320 हथियार हो गया है।

- सामरिक परमाणु हथियार: चीन का लूप नूर चीनी मध्यम-जोखिम भरी परीक्षण की साइट था क्योंकि PRC ने 1996 में उष्ण परीक्षण पर रोक लगा दी थी, जिससे चीन को युद्धोन्माद करने में मदद मिली।
- खंडनीय सामग्रियों की बड़ी सूची: भारत WGP का 0.6 + -0.15 टन की तुलना में चीन के पास 2.9 + -0.6 मीट्रिक टन शस्त्रागार प्लूटोनियम (WGP) होने का अनुमान है।
- अमेरिका और रूसी परमाणु बल स्तरों तक पहुँचने का लक्ष्य: चीनी राज्य के मुखपत्र, ग्लोबल टाइम्स, ने हाल ही में 1,000-युद्धक परमाणु शस्त्रागार का आह्वान किया है, जो चीन के परमाणु विस्तारवाद के कारण भारत को PLA की चुनौतियों की प्रेरणा को रेखांकित करता है।
- भारत के सापेक्ष चीनी परमाणु क्षमताओं की परिष्कृत प्रकृति, बीजिंग को भारत के खिलाफ काफी आक्रामक लाभ उठाती है जो पारंपरिक सैन्य संतुलन को बदल सकती है।
- परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि से चीन सीमित लक्ष्य वाले युद्ध के साथ आगे बढ़ सकता है।
- माना जाता है कि चीन अपने परमाणु शस्त्रागार के एक हिस्से को सुदूर-पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में स्थित है, जो अक्साई चीन के करीब है।
- माना जाता है कि शिनजियांग में कोरला में 4,000 किलोमीटर मारक क्षमता वाला DF-26 IRBM है जो लगभग पूरे भारत पर आक्रमण कर सकता है। ये पारंपरिक युद्ध या परमाणु चालित हो सकते है।
- चीन की भूमि आधारित मिसाइलें मुख्य रूप से सड़क पर चलने वाले गतिमान हथियार हैं और किसी भी बड़े पारंपरिक युद्ध में चीन इन्हे LAC के साथ स्थापित कर सकता है।

आगे की दिशा

- LAC के साथ चीनी और भारतीय बलों के बीच पारंपरिक वृद्धि परमाणु हथियारों की भूमिका और सैन्य अभियानों पर उनके प्रभाव को बढ़ाती है
- भारत के सामरिक बल कमान (SFC) को किसी भी चीनी परमाणु खतरों को दूर करने के लिए सतर्कता की ऊँचाई पर रहने की आवश्यकता है
- भारत को अपने मौजूदा परमाणु सिद्धांत का गंभीरता से आकलन करना शुरू कर देना चाहिए और अवरोध के लिए एक मजबूत त्रैमासिक क्षमता प्राप्त करने के प्रयासों को फिर से करना चाहिए।
- बिंदुओं को जोड़ने पर- भारत के परमाणु सिद्धांत की कोई पहली उपयोग नीति नहीं; परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और भारत इसका हिस्सा क्यों नहीं है?

चीन के प्रति विकासात्मक दृष्टिकोण

भारत-चीन विवाद / मामला

संदर्भ: COVID के बाद, चीन के प्रति औद्योगिक नीति को ठीक करने की आवश्यकता है।

1991 के बाद भारत का विकास संबंधी दृष्टिकोण

- विकास सेवा क्षेत्र का नेतृत्व किया गया है और विनिर्माण को कम कर दिया है।
- इसी समय, चीन ने विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है जिसके परिणामस्वरूप दो नतीजों के बीच असमान संतुलन बना हुआ है
- 1991 में आर्थिक सुधार शुरू होने के बाद से जीडीपी और रोजगार में हिस्सेदारी की हिस्सेदारी स्थिर हो गई और विनिर्माण रोजगार वास्तव में 2014 के बाद गिर गया।
- चीन ने लागू इंजीनियरिंग और रासायनिक प्रक्रियाओं में एक व्यापक स्पेक्ट्रम में क्षमता विकसित की है और वैश्विक बाजारों पर कब्जा करने का प्रयास किया है।
- दूसरी ओर भारत विभिन्न कम अंत सेवाओं के साथ फंस गया है, जिसके लिए गुंजाइश तेजी से घट रही है।
- दोनों देशों के बीच $ 50 बिलियन से अधिक का वार्षिक व्यापार-घाटा

वर्तमान भारत-चीन व्यापार संतुलन क्यों अरक्षणीय है?

- अधिकांश भारतीय निर्यात कच्चे माल या उस शैली (कम तकनीक और कम रोजगार, जैसे अयस्कों, दुर्लभ पृथ्वी, रसायन) में होते हैं, जबकि आयात विनिर्माण (उच्च तकनीक) में होते हैं।
- ऐसा व्यापार पैटर्न अनिवार्य रूप से व्यापार के असमान शब्दों के परिणामस्वरूप होता है यहां तक कि उन क्षेत्रों में जहां भारत में कुछ क्षमता है, चीन से महत्वपूर्ण इनपुट आयात किए जाते हैं। उदाहरण के लिए
  - सक्रिय सामग्री के लिए फार्मास्यूटिकल (चीन पर 68% निर्भरता)
  - ऑटो-उद्योग (बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईंधन इंजेक्शन के लिए चीन पर 15-20% निर्भरता)
- निरंतर चालू खाते के घाटे ने भारत को बहुदलीय ऋण के लिए भी पृथ्वी के उपक्रमों के लिए प्रेरित किया है, और फिर चालू खाते को संतुलित करने के लिए विदेशी मुद्रा का उपयोग करें।
- चीन से उच्च आयात भी चीन को सार्थक नौकरियों का निर्यात करता है।

चीन के साथ व्यापार संतुलन को सुधारने के लिए भारत को क्या करना चाहिए?

- यदि कुल आत्मसमर्पण करना है तो विकास के लिए भारत के दृष्टिकोण को विनिर्माण के पक्ष में बदलना होगा।
- इसके अलावा, चीन के निम्न-अंत उत्पादों और उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर निकट प्रतिबंध लगाना होगा। 3,000 से अधिक आयातित (चीनी) आइटम (खिलौने, घड़ियां, प्लास्टिक उत्पाद) स्थानीय आपूर्ति द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं।
- चीन से सस्ते माल का आयात नहीं करने से 2-3 साल तक उपभोक्ताओं, व्यापारियों और घरेलू निर्माताओं को अल्पकालिक वित्तीय नुकसान होगा, लेकिन यह धीरे-धीरे कम हो जाएगा
- चीन से कम आयात भी व्यापार की समग्र शर्तों को बेहतर बनाएगा और इसलिए, रुपये का स्थिरीकरण होगा, जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य रुपये का कम मूल्य होगा।

- अगर सम्पूर्ण आत्मसमर्पण करना है तो विकास के लिए भारत के दृष्टिकोण को विनिर्माण के पक्ष में बदलना होगा।
- वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी (प्रस्तावित) बनने के लिए स्थानीय कंपनियों को मजबूत करने और बंदी बाजारों के लिए लाइसेंस के तहत उत्पादन करने वाली कंपनियों (पहले के) के बीच एक स्पष्ट अंतर है
- पहले, स्थानीय उद्योग नियंत्रण के कारण आकार में नहीं बढ़ सकते थे, अब वे कर सकते हैं
- पहले, वे मनोवैज्ञानिक रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजारों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, अब वे हैं।
- इसके अलावा, यहां प्रस्तावित दृष्टिकोण पूरी तरह से आयात का विकल्प नहीं है, बल्कि विदेशी उद्योग और श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन में भारतीय उद्योग की बुनाई के साथ-साथ विदेशी मुद्रा और नौकरियों को बचाने के लिए अनावश्यक आयात को कम करना है।

भारत-पाकिस्तान: कुलभूषण

जाधव का मामला

भारत-पाक मामला; अंतर्राष्ट्रीय कानून और नीतियां विषय में:

- पाकिस्तान ने दावा किया है कि 2016 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किए गए पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव ने अप्रैल 2017 की सजा के खिलाफ अपील दायर करने से इनकार कर दिया है।
- भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि उसने मौत की सजा पाने वाले कैदी कुलभूषण जाधव को मुफ्त और अबाधित वाणिज्यिदूत की अनुमति नहीं दी।
- पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए वाणिज्यिदूत अधिकारियों को श्री जाधव की सहमति प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी। मौत की सजा के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने के लिए सहमति आवश्यक है
- भारत इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया था जिसने पाकिस्तान को उसे वाणिज्यिदूत सुविधा देने का आदेश दिया था।

पृष्ठभूमि:

- भारत ने पाकिस्तान द्वारा वियना सम्मेलन के प्रावधानों के "घोर उल्लंघन" के लिए उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जाधव तक नई दिल्ली के वाणिज्यिदूत सुविधा से बार-बार इनकार कर दिया था।
- ICJ ने फैसला दिया था कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव की सजा और मौत की सजा की समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए
- यह भी कहा कि भारत सरकार को कुलभूषण जाधव को वाणिज्यिदूत सुविधा दी जानी चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

- ICJ "संयुक्त राष्ट्र का राजसी न्यायिक अंग" (ICJ, 1945) है, और यह नीदरलैंड के हेग में स्थित है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क़ानून, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक अभिन्न अंग है, ने ICJ की स्थापना की।
- ICJ विभिन्न देशों के 15 न्यायविदों से बना है (UNSC के स्थायी सदस्यों द्वारा नौ साल की शर्तों के लिए चुने गए) और किसी भी समय दो न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। अदालत की संरचना स्थिर है, लेकिन आम तौर पर इसमें विभिन्न संस्कृतियों के न्यायविद शामिल हैं।
- ICJ का कार्य संप्रभु राज्यों के बीच विवादों को हल करना है।

भारत-बांग्लादेश: मवेशी तस्करी का मुद्दा

भारत-बांग्लादेश के मुद्दे

के विषय में:

- तीन बांग्लादेशी नागरिकों को पशु तस्कर होने का आरोप लगाया गया था जो असम में स्थानीय लोगों मार दिए गए थे। सीमा पार से चार अन्य भाग निकले।
- दो महीने से भी कम समय में असम के उसी जिले में इस तरह की यह दूसरी घटना थी।

अनसुलझी समस्याएं और समस्याएं जो बनी हुई हैं:

1. पानी का बँटवारा: तीस्ता नदी समझौता, फरक्का बराज , मणिपुर में बराक नदी पर तिपाईमुख बांध के निर्माण पर बांग्लादेश को आपत्ति है।
2. प्रवासी का मुद्दा: NRC के लागू होने से यह धारणा बन गई है कि अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा।
3. सीमा पर अवैध गतिविधियां: मवेशी तस्करी, तस्करी, ड्रग्स का कारोबार और नकली मुद्रा।
4. भारत रोहिंग्या मुद्दे से निपट रहा है।
5. चीन कारक: बढ़ती सुरक्षा और सैन्य संबंध, बांग्लादेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में चीन का बढ़ता निवेश भारत के लिए चिंता का कारण है। उदाहरण के लिए: चटगाँव बंदरगाह।
6. बांग्लादेश में भारतीय परियोजनाओं से जुड़ा वितरण घाटा

मुख्य तथ्य:

- भारत बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा साझा करता है।
- बांग्लादेश भारत के साथ पश्चिम, उत्तर और पूर्व में म्यांमार और पूर्व में म्यांमार के साथ भूमि सीमा साझा करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी इसके दक्षिण में स्थित है।
- भारतीय राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल भारत-बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं।

'एनरिका लेक्सी' केस (इटली बनाम भारत)

भारत-इटली संबंध; अंतर्राष्ट्रीय कानून और नीतियां

एनरिका लेक्सी मामले के बारे में: -

- यह एक गोली चलाने को लेकर चल रहा अंतरराष्ट्रीय विवाद है जो भारत के पश्चिमी तट पर हुआ था।
- 15 फरवरी 2012 को, भारतीय मछुआरों के जहाज पर दो भारतीय मछुआरों को केरल के तट पर मार दिया गया था, जब वे इटली-ध्वज वाले वाणिज्यिक तेल टैंकर MV एनरिका लेक्सी पर इतालवी नौसैनिकों पर गोलीबारी कर रहे थे
- इटली ने 2015 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी (ITLOS) से संपर्क किया था और इस मामले की सुनवाई जुलाई 2019 में स्थायी न्यायालय ने की थी।

खबरों में क्यों है?

- स्थायी न्यायालय के पंचाट (PCA) न्यायाधिकरण ने अब फैसला सुनाया है कि इतालवी नौसैनिकों ने "राजनयिक प्रतिरक्षा" का आयोजन किया और भारत नहीं बल्कि इटली में मुकदमे का सामना करेंगे।
- हालांकि, PCA ट्रिब्यूनल ने भारत के प्रति-दावे में योग्यता पाई कि बोर्ड पर "एनरिका लेक्सी" ने मछली पकड़ने की नाव से शूटिंग करके समुद्र के कानून (UNCLOS) पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत नेविगेशन अधिकारों की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया था और भुगतान करना चाहिए पीड़ित परिवारों, नाव के मालिक और चालक दल के सदस्यों को मुआवजा।
- न्यायाधिकरण ने कहा कि भारत को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

- ITLOS एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ लॉ (UNCLOS) ने कन्वेंशन की व्याख्या और आवेदन से उत्पन्न विवादों को स्थगित करने के लिए की है।
- स्थायी न्यायालय के पंचाट(PCA) नीदरलैंड के हेग में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है।
- PCA पारंपरिक अर्थों में एक अदालत नहीं है, लेकिन सदस्य राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या निजी पार्टियों के बीच अंतरराष्ट्रीय समझौतों से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की सेवाएं प्रदान करता है।
- PCA का गठन दो अलग-अलग बहुपक्षीय सम्मेलनों के माध्यम से किया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, लेकिन PCA संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक पर्यवेक्षक है।

भारत अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले को स्वीकार करेगा और उसका पालन करेगा

क्या आप जानते हैं?

- केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले द्वारा "स्वीकार और पालन" करने का फैसला किया है कि इतालवी मरीन उन्मुक्ति का पालन कर रहे है और भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

- सरकार ने कहा - भारत संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ द सी ऑफ द सी (UNCLOS) के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पुरस्कार से बंधा है।
- ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार - भारत जानमाल के नुकसान के मुआवजे का हकदार है। मरीन, जो अब इटली में हैं, वहां आपराधिक जांच का सामना करेंगे।
- ट्रिब्यूनल के फैसले को स्वीकार करने का सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 51 (c) और (d) के अनुरूप है।

अनुच्छेद 51 - अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राज्य इसके लिए प्रयास करेगा -

(a) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना;

(b) राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखता है;

(c) एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान; तथा

(d) मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना

भारत-UAE: खुले आसमान का समझौता

भारत और विश्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ:

- UAE भारत के साथ एक खुले आसमान का समझौता करने का इच्छुक है।
- भारत की सार्क देशों और 5,000-km के दायरे से बाहर के लोगों के साथ खुले आसमान नीति है, जिसका तात्पर्य है कि इस दूरी के भीतर राष्ट्रों को द्विपक्षीय समझौता करने और पारस्परिक रूप से यह निर्धारित करने की जरूरत है कि उनकी एयरलाइनें दोनों देशों के बीच कितनी उड़ानें संचालित कर सकती हैं। (राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (2016) के अनुसार
- यह नीति है कि UAE के राजदूत भारत को इस पर पुर्नलोकन करना चाहिए।

खुले आसमान समझौते के बारे में

- खुला आसमान समझौता द्विपक्षीय समझौता हैं जो दोनों देश अंतरराष्ट्रीय यात्री और कार्गो सेवाओं की पेशकश करने के लिए एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए बातचीत करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय यात्री और कार्गो उड़ानों का विस्तार करता है।
- भारत में UAE सहित 109 देशों के साथ वायु सेवा समझौते (ASA) हैं। लेकिन, भारत दो देशों के बीच असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति नहीं देता है।

- भारत और UAE के बीच खुले आसमान एक दूसरे के देशों के चयनित शहरों के लिए असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति देगा।

नेपाल ने भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत और उसके पड़ोसी

संदर्भ:

- नेपाल ने निजी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया, यह दावा करते हुए कि चैनल अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री प्रसारित कर रहे थे।
- केवल सरकार के स्वामित्व वाले ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन को नेपाल में प्रसारण जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

भारत-नेपाल के मामले:

- कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा क्षेत्रों पर नेपाल के दावे पर भारत और नेपाल के बीच तनाव बढ़ गया है।
- नेपाल का कहना है कि भारत ने बार-बार की आपत्तियों के बावजूद दारचुला-लिपुलेख लिंक सड़क का निर्माण करके विवादित क्षेत्र का दावा किया है।
- दूसरी ओर, भारत ने कहा कि सड़क उसके क्षेत्र में आती है।
- नेपाल के प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद ओली ने भी दावा किया है कि भारत सरकार और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश रच रहे थे।

ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है

भारत और ईरान के द्विपक्षीय संबंध; अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ:

- ईरानी सरकार ने अपने दम पर चाबहार रेल परियोजना के निर्माण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है।
- भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह से ज़ाहेदान तक, अफगानिस्तान की सीमा के साथ एक रेल लाइन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालाँकि, ईरान ने भारत को धन देने और परियोजना शुरू करने में देरी का हवाला देते हुए भारत को छोड़ दिया।

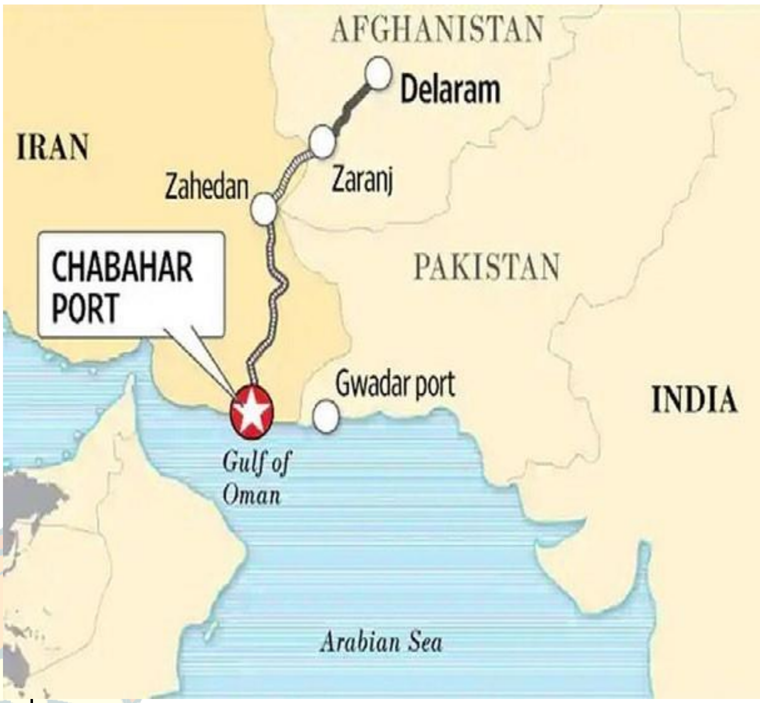

क्या आप जानते हैं?

- भारत चाहता था कि भारत और ईरान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए।
- ईरान की घोषणा के बाद चीन ने ईरान के साथ 25 अरब डॉलर की $ 400 बिलियन की रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप दिया, जिससे भारत की योजनाएं धूमिल हो सकती हैं।

चाबहार बंदरगाह के बारे में

- मकरन तट पर स्थित
- ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट
- यह अपेक्षाकृत अविकसित मुक्त व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र है (बंदर अब्बास के विशाल बंदरगाह की तुलना में आगे पश्चिम)
- यह ऊर्जा से भरपूर फारस की खाड़ी राष्ट्र के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है।
- यह फारस की खाड़ी के बाहर स्थित है और पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत के पश्चिमी तट से आसानी से पहुंचा जाता है।

ईरान और चीन 25-वर्षीय रणनीतिक साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय मामलों को अंतिम रूप देने के लिए;

भारत के हितों को प्रभावित करने वाली नीतियां

खबरों में:

- ईरान और चीन 25 साल की रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप देने के करीब हैं।
- ईरान और चीन के बीच सहयोग की व्यापक योजना में चाबहार के ड्यूटी-फ्री ज़ोन में चीनी भागीदारी, पास में एक तेल रिफाइनरी, और संभवतः चाबहार बंदरगाह में भी एक बड़ी भूमिका शामिल होगी।
- ईरान ने भारत को छोड़ने के लिए चाबहार बंदरगाह से ज़ाहेदान तक एक रेलवे लाइन के निर्माण के साथ अपने सिर पर जाने का फैसला किया, जिसने 2016 में MoU पर हस्ताक्षर किए थे।

क्या आप जानते हैं?

- ईरान ने पिछले साल ग्वादर और चाबहार में चीनी-संचालित पाकिस्तानी बंदरगाह के बीच एक गठजोड़ का प्रस्ताव रखा, और चाबहार से 350 किमी दूर बंदर-ए-जस्क बंदरगाह में चीन के हितों की पेशकश की, साथ ही साथ चाबहार कर शुल्क मुक्त क्षेत्र में भी।
- ईरान-चीन, ईरान के साथ भारत के "रणनीतिक संबंधों" और चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं।

लुप्त मौका: भारत के चाबहार परियोजना से बाहर होने पर

भारत और ईरान द्विपक्षीय संबंध; अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

संदर्भ:

- ईरान ने परियोजना की शुरुआत में भारत की ओर से धन की देरी का हवाला देते हुए चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया

चाबहार बंदरगाह का महत्व

- यह भारत के लिए ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देता है जो भारत के लिए एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता है।
- यह भारत को पाकिस्तान को घेरते हुए अफगानिस्तान, रूस और यूरोप तक पहुंच देगा ।
- बंदरगाह और रेल परियोजना (चाबहार से ज़ाहेदान से अफगानिस्तान सीमा के पास ज़ारंग तक) संपर्क, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार को बढ़ाएगा।
- यह बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो भारत के बीच ईरान के

रास्ते रूस तक माल ढुलाई करने के लिए जहाजों, रेल और सड़क मार्गों का एक बहु-मॉडल नेटवर्क है।

- इससे बुनियादी ढांचे और शिक्षा परियोजनाओं के जरिए अफगानिस्तान के विकास में भारत की भूमिका को सुगम बनाया जा सकेगा।

ईरान के हालिया कदम को भारत के लिए झटका क्यों माना जा रहा है?

- भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह से ज़ाहेदान तक 628 किमी रेल लाइन बनाने पर सहमति जताई थी, जो अफगानिस्तान में सीमा पार ज़ारंज तक जाएगी।
- इस रेल लाइन को भारत ने अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग माना था।
- राज्य के स्वामित्व वाली रेलवे रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (इरकॉन) ने इरिअन रेल मंत्रालय 2016 के साथ एओएमयू पर हस्ताक्षर किए थे और सभी सेवाओं, सुपरस्ट्रक्चर कार्य और वित्तपोषण (लगभग 1.6 बिलियन अमरीकी डालर) प्रदान करने का वादा किया था।
- 400 मिलियन डॉलर की चीन के साथ 25 साल की रणनीतिक साझेदारी सौदे को अंतिम रूप देने में ईरान की पृष्ठभूमि में ईरान की नवीनतम कार्रवाई, गोपनीयता में बातचीत की।

ईरान की कार्रवाइयों के कारण

- अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से भारतीय फंडिंग में देरी: इरकॉन के इंजीनियरों द्वारा कई साइट का दौरा करने और ईरानी रेलवे द्वारा तैयारी के बावजूद, भारत ने कभी भी काम शुरू नहीं किया, यह चिंता करते हुए कि यह यूएसए द्वारा प्रतिबंधों को आकर्षित कर सकता है।
- द्विपक्षीय संबंधों में हिचकी: संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण भारत ने ईरान से अपने तेल आयात को पहले ही शून्य कर दिया है।
- ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों ने फरवरी 2020 में एक हिट लिया, जब दिल्ली में हुए दंगों ने ईरानी से निंदा की
- सैन्य-तंत्र खरीद में कठिनाइयाँ: संयुक्त राज्य अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह और रेल लाइन के लिए एक प्रतिबंध माफी प्रदान की थी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लक्षित होने की चिंताओं के लिए उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और साझेदारों को खोजने के लिए यह निर्णायक था
- चीन के साथ बेहतर सौदा: $ 400 बिलियन के सौदे में चीनी भागीदारी चाबहार के शुल्क मुक्त क्षेत्र, पास में एक तेल रिफाइनरी और संभवतः चाबहार बंदरगाह में एक बड़ी भूमिका शामिल है।
- ईरान-चीन संबंध बढ़ रहा है: ईरान ने 2019 में ग्वादर और चाबहार में चीनी-संचालित पाकिस्तानी बंदरगाह के बीच एक गठजोड़ का प्रस्ताव रखा और चाबहार से 350 किलोमीटर दूर चाबहार के साथ-साथ चाबहार में चीन के हितों की पेशकश की। कर्तव्य-मुक्त क्षेत्र।

निष्कर्ष

- एक ऐसी दुनिया में जहां कनेक्टिविटी को नई मुद्रा के रूप में देखा जाता है, भारत का नुकसान चीन का लाभ बन सकता है।

बिंदुओं को जोड़ने पर

- स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स
- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना

ईरान संबंधों को शांत कूटनीति की जरूरत है

भारत और ईरान द्विपक्षीय संबंध; अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

संदर्भ:

- हाल ही में ईरान के परिवहन और शहरी विकास मंत्री ने चाबहार और ज़ाहिदान के बीच 628 किलोमीटर लंबे रेल लिंक के लिए ट्रैक बिछाने का कार्यक्रम शुरू किया था।
- इस घटना ने यह चिंता जताई कि भारत को विशेष रूप से ईरान की पृष्ठभूमि में परियोजना से बाहर रखा जा रहा है, जिसने 25 साल की रणनीतिक साझेदारी के साथ चीन को $ 400 बिलियन का सौदा किया, गोपनीयता में बातचीत की।

बाद का विकास

- ईरान ने तब से स्पष्ट कर दिया है कि भारत को बाहर नहीं किया गया है और वह बाद में इस परियोजना में शामिल हो सकता है।
- यह इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के लिए दरवाजा खुला रखता है जो कि इस परियोजना से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि भारत चाबहार बंदरगाह के विकास के साथ जारी है।
- चाबहार पोर्ट और रेल परियोजना की आवश्यकता- अफगानिस्तान के लिए संपर्क
- चाबहार बंदरगाह परियोजना, 2003 में हस्ताक्षरित, भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा विकसित की गई है।
- चाबहार बंदरगाह में दरअसल शाहिद कलंदरी और शाहिद बेहेश्ती नामक दो अलग-अलग बंदरगाह हैं।
- ईरान के मकरान तट पर चाबहार बंदरगाह, कांडला (गुजारत) से केवल 1,000 किमी दूर, अच्छी तरह से स्थित है, लेकिन चाबहार से जाहिदान तक सड़क और रेल संपर्क और फिर 200 किलोमीटर आगे अफ़गानिस्तान में ज़ारगंज तक सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए।
- भारतीय PSU इरकॉन ने इंजीनियरिंग अध्ययन की तैयारी करते हुए अनुमान लगाया था कि 800 किमी लंबी रेलवे परियोजना के लिए 1.6 बिलियन डॉलर के परिव्यय की आवश्यकता होगी।
- 2005-13 के दौरान प्रतिबंधों के तहत ईरान के साथ, ईरान में बहुत कम प्रगति हुई थी।
- इस बीच, भारत ने अफ़गानिस्तान में डेलाराम से ज़ारंज को जोड़ने के लिए 220 किलोमीटर सड़क पर ध्यान केंद्रित किया, जो 2008 में $ 150 मिलियन की लागत से पूरा हुआ था।

2015 के बाद विकास

- 2015 के बाद चीजें आगे बढ़ीं जब ईरान पर प्रतिबंधों ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना, या ईरान परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने में ढील दी।

- 2016 में, परियोजना के चरण के हिस्से के रूप में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह (चाबहार बंदरगाह का हिस्सा) में दो टर्मिनलों को सुसज्जित करने और संचालित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2018 में यह चालू था और अफगानिस्तान के लिए भारत के गेहूं लदान इस मार्ग का उपयोग कर रहे हैं।
- एक और मील का पत्थर अफगानिस्तान, ईरान और भारत के बीच अंतरराष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करना था।
- चाबहार में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की योजना बनाई गई थी लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू करने से SEZ में निवेश धीमा हो गया है।

क्या अमेरिका द्वारा ईरान पर फिर से मंजूरी देने के कारण भारत को बाधाओं का सामना करना पड़ा?

- भारत को चाबहार पर सहयोग जारी रखने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट दी गई क्योंकि उसने अफगानिस्तान के विकास में योगदान दिया
- छूट के बावजूद, इस परियोजना को अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा लगने वाले समय के कारण देरी का सामना करना पड़ा है ताकि वास्तव में भारी उपकरणों जैसे रेल घुड़सवार गैंट्री क्रेन, मोबाइल हार्बर क्रेन आदि के आयात को साफ किया जा सके।

ईरान को चीन की जरूरत क्यों है?

1. निवेश: चीनी रियायती दरों पर ईरानी तेल और गैस की सुनिश्चित आपूर्ति के बदले में ईरानी बुनियादी ढांचे में निवेश (प्रतिबंधों के समय में बहुत जरूरी) का वादा किया।
2. इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव: सऊदी अरब में हाउइस द्वारा दावा किया गया है और एक अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के अभिजात वर्ग Quds बल के प्रमुख जनरल कासिम सोलेमानी मारे गए हैं। ईरान इस प्रकार चीन में एक रणनीतिक साझेदार पाता है
3. संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उकसावा: जून-जुलाई 2020 के दौरान, ईरान में आधा दर्जन से अधिक रहस्यमय विस्फोट हुए हैं। रिपोर्टें अमेरिकी चुनावों से पहले ईरान को भड़काने के प्रयास में अमेरिकी और इजरायली एजेंसियों को इनके पीछे बताती हैं।
4. चीन के साथ घनिष्ठ संबंध हमें यह संकेत भेजता है कि ईरान ऐसे उकसावे को हल्के में नहीं लेगा
5. UNSC में दोस्त: रूस और चीन ही देशों के लिए UNSC में अमेरिका की चाल वीटो कर रहे हैं। इसलिए चीन के साथ ईरान की निकटता यूएनएससी कूटनीति में मदद करेगी

क्या इसका मतलब यह है कि ईरान में भारत के लिए रणनीतिक स्थान बंद कर दिया गया है?

1. चीन की आक्रामकता: ईरान अच्छी तरह से चीन के साथ एक दीर्घकालिक साझेदारी पर विचार कर सकता है, लेकिन ईरानी वार्ताकारों चीनी व्यापारवादी प्रवृत्तियों बढ़ से सावधान हैं।

2. भारत के लिए छूट: ईरान को भारत के साथ काम करने का लाभ महसूस होता है-उसका एकमात्र साझेदार जो चाबहार के लिए अमेरिका से प्रतिबंध छूट प्राप्त करता है क्योंकि यह भूमि-बंद अफगानिस्तान के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
3. सांझा दुश्मन: ईरान और भारत भी अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण के लिए एक घृणा का हिस्सा है। यही कारण है कि ईरान भारत के लिए दरवाजा खुला रखना चाहेगा

आगे की दिशा

- भारत को अपने पड़ोस में शुरू की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन रिकॉर्ड में सुधार करने की जरूरत है।
- खास बात यह है कि ईरान के साथ राजनीतिक रूप से जुड़े रहना जारी रखें ताकि एक-दूसरे की संवेदनाओं और मजबूरियों की बेहतर सराहना हो सके।

क्या आप जानते हैं?

- ईरान ने जाहिदन से मशाद (लगभग 1,000 km) और फिर तुर्कमेनिस्तान से सटी सीमा पर सारखों तक रेलवे लाइन का विस्तार करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है।
- एक अन्य योजना इसे कैस्पियन सागर पर बंदर अंजली की ओर अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने की है।
- 2011 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नेतृत्व में सात भारतीय कंपनियों के कंसोर्टियम ने अफगानिस्तान में हाजीगाक खानों में खनन अधिकारों के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई थी जिसमें लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं।
- हालांकि, अफगानिस्तान में अनिश्चित सुरक्षा स्थिति के कारण हाजीगाक में विकास ठप है।

भारत-ईरान: फरजाद-B गैस फील्ड

भारत और ईरान के संबंध; अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत सरकार के अनुसार -

- ईरान चाबहार-जहेदान रेल परियोजना पर शांत हो गया था और भारत को दिसंबर 2019 के बाद से ईरान से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
- ONGC की विदेशी शाखा OVL भी फरजाद-B गैस फील्ड अन्वेषण परियोजना से बाहर है।
- ईरानी सरकार द्वारा नीतिगत परिवर्तन, ईरान के अनिश्चित वित्त और अमेरिकी प्रतिबंधों की स्थिति - भारत को परियोजनाओं से छोड़ने के कारण हैं।
- क्या आप जानते है?

- विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत अब फरजाद-B गैस फील्ड परियोजना में शामिल नहीं है, जहां ONGC ने मूल रूप से 2002 में अन्वेषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इस प्रकार अब तक लगभग $100 का निवेश किया है।
- भारत ने चाबहार-जहेदान रेलवे लाइन में 1.6 अरब डॉलर और फरजाद-B गैस फील्ड परियोजना में लगभग 6 अरब डॉलर का निवेश करने का प्रस्ताव किया था।

मालाबार अभ्यास: ऑस्ट्रेलिया शामिल हो सकता है

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध; रक्षा

संदर्भ:

- भारत को यह तय करना है कि जापान और अमेरिका के साथ मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाए ।
- यदि यह निर्णय ले लिया जाता है तो यह चारों देशों को वार्षिक युद्ध खेल के हिस्से के रूप में एक साथ ला सकता है।
- अनिच्छा के वर्षों के बाद, भारत ने कहा कि यह मालाबार में एक पर्यवेक्षक के रूप में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के लिए दरवाजे खुले है।

मालाबार अभ्यास के बारे में

- मालाबार भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, जिसे भारतीय और प्रशांत महासागरों में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है।
- वार्षिक मालाबार अभ्यास 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ।

- इसे 2015 में जापान के शामिल किए जाने के साथ एक त्रिपक्षीय प्रारूप में विस्तारित किया गया था।

क्या आप जानते हैं?

- ऑस्ट्रेलिया के समावेश को चतुर्थ गठबंधन के सैन्यीकरण की दिशा में एक संभावित पहले कदम के रूप में देखा जाएगा, कुछ बीजिंग ने अतीत में विरोध किया है।
- जापान और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने के लिए उत्सुक हैं और भारत पर विचार करने के लिए जोर दे रहा है।

15 वां भारत- यूरोपीय संघ

(आभासी) शिखर सम्मेलन

भारत और यूरोपीय संघ के संबंध; अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

मुख्य बिंदु:

- भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ता को फिर से शुरू कर रहे है - द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता (BTIA)
- सहित कई समझौतों को समाप्त करने के लिए - सहयोग के लिए एक रोडमैप, असैन्य परमाणु सहयोग के लिए अनुसंधान साझा करने पर एक समझौता और समुद्री सुरक्षा वार्ता के साथ-साथ यूरोपोल और CBI के बीच वार्ता का शुभारंभ
- टीकों और उपचार पर चिकित्सा विकास।

क्या आप जानते हैं?

- EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और निवेशक है, और भारत के वैश्विक व्यापार का 11% हिस्सा है।
- यूरोपीय संघ ने अगले साल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के चुनाव का स्वागत किया था।
- यूरोपीय संघ के पास "द्विपक्षीय निवेश संधि" (बीआईटी) के मॉडल के बारे में आरक्षण है जो भारत ने प्रस्तावित किया है, खासकर भारतीय अदालतों में विवाद तंत्र पर।
- द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसे 2007 में शुरू किया गया था।

THINK !

- भारत के लिए यूरोपीय संघ का महत्व

भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन

भारत और यूरोपीय संघ के संबंध; अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

प्रमुख परिणाम:

1. भारत और यूरोपीय संघ 2025 तक रणनीतिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा के लिए प्रतिबद्ध हैं। (भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के लिए पांच साल का रोडमैप।)
2. दोनों ने कोरोनो वायरस महामारी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उनकी प्रतिक्रिया पर सहयोग करने की कसम खाई।
3. एक मुक्त व्यापार समझौते (द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते) पर वार्ता को पुनर्जीवित करने के लिए जिसे 2013 से निलंबित कर दिया गया है।
4. EURATOM और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच असैन्य परमाणु अनुसंधान और विकास सहयोग समझौता।
5. क्षेत्रों की श्रेणी में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान और उनके विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते का नवीनीकरण अगले पांच वर्षों के लिए।

संगम के भारत-यूरोपीय संघ क्षेत्र:

- भारत और यूरोपीय संघ प्राकृतिक साझेदार हैं।
- वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भारत-यूरोपीय संघ की साझेदारी महत्वपूर्ण है।
- दोनों लोकतंत्र, बहुलवाद, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए सम्मान और बहुपक्षवाद के समान सार्वभौमिक मूल्यों 'को साझा करते हैं।
- जलवायु परिवर्तन, और व्यापार निर्माण से निपटने में आम रुचि साझा करें।
- यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि भारत यूरोपीय संघ का नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

भारत-यूरोपीय संघ के अपसारिता के क्षेत्र:

- यूरोपीय संघ के नेतृत्व ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर भी चिंता जताई थी
- नागरिकता संशोधन अधिनियम।
- EU ने भारत के "संरक्षणवादी" व्यवहार के बारे में चिंता व्यक्त की जो "आत्म निर्भर भारत" नारा था।

भारत आइडिया शिखर सम्मेलन

संदर्भ:

- दोनों देशों ने दीर्घकालिक योजना के लिए दोहराया और एक व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में काम किया।
- आसन्न सीमित सौदे और व्यापक समझौते (मुक्त व्यापार समझौते) के बीच एक मध्यवर्ती कदम के रूप में, भारत ने एक तरजीही व्यापार समझौते का प्रस्ताव किया जो 50 से 100 वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करेगा
- भारत चाहता है कि अमेरिका अमेरिका की तरजीही व्यापार प्रणाली या सामान्यीकृत वरीयताओं की प्रणाली (GSP) तक अपनी पहुंच बहाल करे और अन्य लोगों के बीच भारतीय कृषि उत्पादों की कुछ श्रेणियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाए।

भारत-रूस संबंध

भारत और रूस के संबंध; अंतर्राष्ट्रीय संबंध

रूस में भारतीय दूत ने कहा-

- भारत चाहता है कि रूस हिंद-प्रशांत में ज्यादा शामिल हो। (जैसा कि भारत रूस को एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशांत शक्ति के रूप में देखता है)
- रूस को इस क्षेत्र में अपने हितों की ओर देखना चाहिए और इससे सहयोग और बातचीत के लिए पारस्परिक आधार तैयार होगा।

हाल के घटनाक्रम:

- वियतनाम के तेल और गैस क्षेत्र में भारतीय और रूसी निवेश को सहयोग के क्षेत्रों में से एक माना जा सकता है।
- भारत चाहता है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र हर किसी के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष हो।
- आर्कटिक से व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक प्रस्तावित ऊर्जा सेतु के साथ रूस के लिए भी एक स्थिर हिंद-प्रशांत विशेष महत्व रखता है।

क्या आप जानते है?

- वियतनाम के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में इंडियन ऑयल ब्लॉक्स के करीब अधिव्याप्त के दावों के कारण दक्षिण चीन सागर में चीन और वियतनाम के बीच गतिरोध रहा है।
- रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत की यात्रा करेंगे जो भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी का 20वां वर्ष है।

भारत-अमेरिका के मुद्दे:

- अमेरिकी मुद्दों में शामिल हैं - अमेरिकी डेयरी और कृषि उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में कटौती के लिए बाजार पहुंच आयात शुल्क।
- अमेरिका की भारत की डिजिटल व्यापार नीतियों (उदाहरण के लिए वाणिज्य में FDI और डेटा स्थानीयकरण) के साथ भी चिंता है।

वरीयताएँ की सामान्यीकृत प्रणाली (GSP) के बारे में

- यह एक अधिमान्य टैरिफ प्रणाली है जिसे विकसित देशों (जिसे वरीयता देने वाले देशों या दाता देशों के रूप में भी जाना जाता है) को विकासशील देशों (जिसे वरीयता प्राप्त देश या लाभकारी देश भी कहा जाता है) द्वारा विस्तारित किया जाता है।
- इसमें दाता देशों के बाजारों में लाभार्थी देशों द्वारा निर्यात किए गए पात्र उत्पादों के कम MFN शुल्क या शुल्क-मुक्त प्रविष्टि शामिल है।
- यह दाता देश में लाभार्थी के देश को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करता है।

अंतरराष्ट्रीय

प्रतिबंध अधिनियम के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करना (CAATSA)

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका; सुरक्षा मुद्दे

CAATSA क्या है?

- CAATSA, जो जनवरी 2018 से प्रभावी हुआ; अमेरिकी सरकार को रूस, ईरान या उत्तर कोरिया के रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन में संलग्न संस्थाओं को दंडित करने में सक्षम बनाता है।
- कानून रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दंडित करने के लिए बनाया गया है-
- 2014 यूक्रेन से क्रीमिया का उद्घोषणा
- सीरियाई गृहयुद्ध में शामिल होना
- 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप

खबरों में

- हाल ही में, हमने रक्षा अधिग्रहण परिषद को 21 मिग -29 लड़ाकू विमान की खरीद और इन रूसी विमानों में से 59 को अपग्रेड करने और 12 Su-30 MKI विमानों के अधिग्रहण के बारे में पढ़ा।
- भारत ने रूस से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए लगभग 5 बिलियन डॉलर की योजना भी बनाई है।
- उपरोक्त सौदे CAATSA प्रतिबंधों को आकर्षित कर सकते हैं।
- CAATSA कानून रूस से रक्षा हार्डवेयर खरीदने वाले देशों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है।

WHO से अमेरिका बाहर हो गया है

अंतर्राष्ट्रीय संगठन

संदर्भ:

- ट्रम्प प्रशासन ने कोरोनावायरस के प्रति अपनी असफल प्रतिक्रिया के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अमेरिका की वापसी की औपचारिक शुरुआत की।
- जिनेवा स्थित निकाय डब्ल्यूएचओ पोलियो से COVID-19 तक विकृतियों पर वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व करता है।
- ट्रम्प ने अमेरिका के वार्षिक योगदान में $400 को निलंबित करने की धमकी दी थी और यह था कि अमेरिका WHO से हट जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

WHO के बारे में

- WHO, 1948 में स्थापित, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य के मुद्दों पर एक समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए एक व्यापक जनादेश के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- WHO में मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) है, जिसमें सभी सदस्य राज्यों ने भाग लिया है।
- कार्यकारी बोर्ड (EB) भी है जिसमें 34 देशों के तकनीकी रूप से योग्य व्यक्ति शामिल हैं, जो दुनिया भर से भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने गए हैं।
- अमेरिका के फैसले के परिणाम

महामारी का राजनीतिकरण

- आने वाले महीनों में महामारी के खिलाफ लड़ाई का समन्वय करने की क्षमता को कम करता है
- यदि वित्तपोषण में कमी को दूर नहीं किया जाता है तो लंबे समय में WHO का महत्व कम हो जाएगा
- अफ्रीका के सार्वजनिक स्वास्थ्य की संभावनाओं को प्रभावित करता है: WHO के सभी खर्च का आधा अफ्रीका में था।
- WHO के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावित करता है: डब्ल्यूएचओ बजट का एक चौथाई पोलियो उन्मूलन के लिए गया था, स्वास्थ्य देखभाल के लिए उपयोग पर 12%, प्रकोप की रोकथाम और नियंत्रण पर 5%
- यह चीन के लिए अपने वित्तपोषण और WHO में प्रभाव बढ़ाने के लिए और अधिक गुंजाइश प्रदान करता है
- वैश्विक मामलों से पीछे हटते के अमेरिकी इरादे का संकेत इस प्रकार वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में निर्वात बनाने

अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (ICP)

अंतर्राष्ट्रीय संस्था; अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

खबरों में:

- विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (ICP) के तहत संदर्भ वर्ष 2017 के लिए नए PPPs जारी किए।
- ICP विश्व बैंक द्वारा निर्देशित 199 देशों के विभिन्न सांख्यिकीय प्रशासनों की साझेदारी है।
- कार्यक्रम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय मूल्य और मात्रा उपायों का उत्पादन करता है।
- इसके घटक व्यय क्रय शक्ति समानता (PPPs) पर आधारित हैं।
- ICP विभिन्न देशों की GDPs को PPP दोनों मुद्रा परिवर्तक और स्थानिक मूल्य दोषियों में गणना करके तुलनीय बनाने की कोशिश करता है।

क्या आपको जानते है?

- ICP दुनिया की सबसे बड़ी सांख्यिकीय पहलों में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के तत्वावधान में विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है, और एक मजबूत शासन ढांचे के तहत काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, और राष्ट्रीय एजेंसियों की साझेदारी पर निर्भर करता है और एक स्थापित सांख्यिकीय पद्धति का पालन।
- भारत ने 2017 में अपनी स्थापना के बाद से लगभग सभी ICP दौरों में भाग लिया है।
- भारत 2017 के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (ICP) के वर्तमान चरण में भाग ले रहा है।
- वैश्विक वास्तविक व्यक्तिगत खपत और वैश्विक सकल पूंजी निर्माण में PPP आधारित हिस्सेदारी के मामले में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- अगले ICP तुलना संदर्भ वर्ष 2021 के लिए आयोजित किया जाएगा।

क्रय शक्ति क्या है

क्रय शक्ति समानता (PPP) क्या है?

- PPP एक लोकप्रिय वृहद आर्थिक विश्लेषण मीट्रिक है जिसका उपयोग आर्थिक उत्पादकता और देशों के बीच जीवन स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है।
- PPP एक आर्थिक सिद्धांत है जो विभिन्न देशों की मुद्राओं की तुलना "वस्तुओं की टोकरी" दृष्टिकोण के माध्यम से करता है।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान पारगमन व्यापार समझौता

अंतरराष्ट्रीय मामले; भारत के हितों को प्रभावित करने वाली नीतियां

खबरों में:

- पाकिस्तान-अफगानिस्तान पारगमन व्यापार समझौता के तहत पाकिस्तान की प्रतिबद्धता के तहत अफगानिस्तान को 15 जुलाई से वाघा सीमा के रास्ते भारत में माल भेजने की अनुमति देगा।
- इस फैसले से भारत को अफगानिस्तान के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

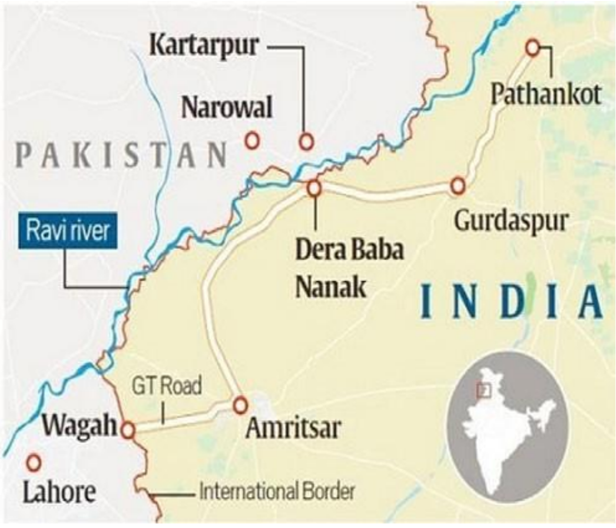

क्या आप जानते है?

- पाकिस्तान और भारत दोनों ने महामारी की चुनौती से निपटने के लिए मार्च में वाघा सीमा के माध्यम से व्यापार को निलंबित कर दिया था।

- हालांकि, पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारतीय निर्यात की अनुमति देने के बारे में चुप है।

स्रेब्रेनिका नरसंहार

अंतर्राष्ट्रीय मामले; नक्शा आधारित

विषय में:

- 11 जुलाई को, 25 साल पर, नरसंहार के पीड़ितों की याद में स्रेब्रेनिका -पोटोकरी मेमोरियल और कब्रिस्तान में स्मरणोत्सव सेवाओं का आयोजन किया गया।
- जुलाई 1995 में, कमांडर रतको म्लाडिच के नेतृत्व में बोस्नियाई सर्ब बलों द्वारा श्रीब्रानिका में लगभग 8,000 मुसलमान, ज्यादातर पुरुष और लड़के मारे गए।
- इन हत्याओं को बाद में नरसंहार की जांच कर रहे अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा नरसंहार के रूप में वर्गीकृत किया गया।

क्या आप जानते है?

- स्रेब्रेनिका बाल्कन प्रायद्वीप पर दक्षिण-पूर्वी यूरोप में बोस्निया और हर्जेगोविना में एक छोटा सा शहर है।
- 1992-1995 के बीच हुए बोस्नियाई युद्ध में बोस्नियाई सर्ब सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा बोस्नियाई मुसलमानों और बोस्नियाई क्रोट्स के विस्थापन और जातीय सफाई की अवधि देखी गई।

चीन-ईरान संबंध

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

के विषय में:

- 400 अरब डॉलर के दीर्घकालिक समझौते के माध्यम से ईरान और चीन अपनी साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं।
- दोनों देश उस समझौते को अंतिम रूप देने के एक उन्नत चरण में हैं जो चीन को बैंकिंग, दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे और इस्लामिक गणराज्य में कई अन्य क्षेत्रों में 25 वर्षों के लिए भारी छूट के बदले में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की अनुमति देगा।
- उपरोक्त समझौता यदि अंतिम रूप से प्रतिबंधित ईरान के लिए एक आर्थिक जीवन रेखा हो सकता है, तो ईरान और चीन उस क्षेत्र में अपने रणनीतिक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, जहां अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक मजबूत उपस्थिति बनाई है।
- यह समझौता चीन के खिलाफ अमेरिका के दंडात्मक कदमों को भी आकर्षित कर सकता है।

अभिसरण क्षेत्र:

दोनों देश अमेरिका के साथ विषम परिस्थिति में है

- जबकि चीन एक विशाल ऊर्जा बाजार है और अधिशेष नकदी के साथ प्रचुर मात्रा में है, ईरान एक प्रतिबंध-हिट, नकद तंगी ऊर्जा निर्यातक है।

- चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) में ईरान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।
- चीन और ईरान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, संयुक्त अनुसंधान और हथियार विकास और खुफिया साझाकरण शुरू करेंगे।
- चीन ईरान को अपने जीपीएस की भी पेशकश करेगा, 5G रोलआउट के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा और मुक्त व्यापार क्षेत्र विकसित करेगा।

अमेरिकी दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के दावों को खारिज करता है

अंतरराष्ट्रीय मामले

के विषय में:

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि दक्षिण चीन सागर के अधिकांश क्षेत्रों में अपतटीय संसाधनों के लिए चीन के दावे पूरी तरह से गैरकानूनी हैं।
- दक्षिण चीन सागर में बहुमूल्य तेल और गैस जमा का समृद्ध स्रोत है और यह दुनिया के वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है।
- अमेरिका ने यह भी कहा कि वह समुद्र की स्वतंत्रता की रक्षा और संप्रभुता के लिए सम्मान और दक्षिण चीन सागर में किसी भी दावे को खारिज करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़ा होगा।

क्या आप जानते हैं?

- चीन 1940 के दशक के नक्शों के आधार पर एक तथाकथित बिना वाली डैश रेखा के माध्यम से दक्षिण चीन सागर का दावा करता है।
- अमेरिका ने वियतनाम के वानगार्ड बैंक के आसपास के पानी, मलेशिया से लुसानिया शोल्स, ब्रुनेई के विशेष आर्थिक क्षेत्र में विचार किए गए पानी और इंडोनेशिया से नटुना बेसार के आसपास चीन के दावों को खारिज कर दिया।
- अमेरिका ने चीन के मलेशियाई प्रशासित जेम्स शोल के सबसे दक्षिणी दावे को भी खारिज कर दिया, जो चीनी मुख्य भूमि से 1,800 किमी (1,150 मील) है।

ब्रिटेन ने 5G नेटवर्क के संबंध में हुवावे की भविष्य की भूमिका पर प्रतिबंध लगाया है

अंतरराष्ट्रीय मामले

संदर्भ:

- ब्रिटेन ने चीनी दूरसंचार कंपनी हुवावे पर प्रतिबंध लगाया, चिंताओं का हवाला देते हुए कि हुवावे उपकरण चीन सरकार को ब्रिटेन नेटवर्क में घुसपैठ करने की अनुमति दे सकता है।
- अमेरिका ने सुरक्षा सहयोग में कटौती करने की धमकी दी है जब तक कि ब्रिटेन ने हुवावे को छोड़ता नहीं है।
- निर्णय 5G रोलआउट में देरी करेगा और लाखों पाउंड खर्च करेगा।

चीन पर अमेरिकी प्रतिबंध

अंतरराष्ट्रीय मामले

- अमेरिका ने अधिमान्य व्यापार उपचार के हांगकांग को छीन लिया और वित्तीय हब में चीन के दबदबे पर बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया।
- ट्रम्प प्रशासन के अनुसार, हांगकांग को अब मुख्य भूमि चीन के समान माना जाएगा - कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं, कोई विशेष आर्थिक उपचार और संवेदनशील प्रौद्योगिकियों का निर्यात नहीं।
- चीन ने प्रासंगिक अमेरिकी कर्मियों और संस्थाओं पर प्रतिशोध लेने और प्रतिबंध लगाने की कसम खाई।

विश्व ड्रग रिपोर्ट और UNODC

अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका; सुरक्षा के मुद्दे

संदर्भ

- ड्रग्स एंड अपराध (UNODC) पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की नवीनतम विश्व औषधि रिपोर्ट के अनुसार-
- 2018 में अफीम की जब्ती के मामले में शीर्ष पांच (चौथा स्थान) में भारत।
- अफीम जब्ती-ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शीर्ष 3 देश थे।
- हेरोइन जब्ती के मामले में भारत दुनिया में 12वें स्थान पर था।
- हेरोइन जब्ती - ईरान, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
- अफीम की खेती के तहत वैश्विक क्षेत्र में 2019 में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आई है।
- खेती में गिरावट के बावजूद, अफीम उत्पादन 2019 में स्थिर रहा, जिसमें मुख्य अफीम उत्पादन क्षेत्रों में अधिक पैदावार की सूचना दी गई।
- एशिया वैश्विक अवैध अफीम उत्पादन के 90% से अधिक और ओपियेट्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खपत बाजार की मेजबानी कर रहा है।
- एशिया में 2018 में दुनिया भर में जब्त किए गए सभी मादक द्रव्य का लगभग 80% हिस्सा था।

- एशिया के बाहर, हेरोइन और अफ़ीम की सबसे बड़ी मात्रा यूरोप में जब्त की गई (2018 में वैश्विक कुल का 22%)।

क्या आप जानते है?

- हेरोइन अफीम पोस्ता के पौधों के बीज फली से निकाले गए मॉर्फिन से निर्मित होती है।
- लगभग 50 देशों में अफीम का अवैध उत्पादन होता है।
- हालांकि, पिछले पांच वर्षों में अफीम के कुल वैश्विक उत्पादन का 97% के करीब केवल 3 देशों से आया था।
- कुल अफीम का 84% अफगानिस्तान में उत्पादित किया गया था।
- म्यांमार वैश्विक अफीम उत्पादन का 7% है, और लाओस अफीम उत्पादन का 1% है।
- मेक्सिको वैश्विक अफीम उत्पादन का 6% के लिए खातों, जबकि कोलंबिया और ग्वाटेमाला वैश्विक उत्पादन के 1% से भी कम हिस्सा है।

ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) के बारे में

- UNODC एक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है जिसे 1997 में स्थापित किया गया था।
- यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समूह का सदस्य है।
- कार्यालय का उद्देश्य ड्रग, अपराध, आतंकवाद, और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए बेहतर सुसज्जित सरकारों को दीर्घकालिक बनाना है।
- ये मुख्य विषय हैं जो यूएनओडीसी से संबंधित हैं: वैकल्पिक विकास, भ्रष्टाचार-विरोधी, आपराधिक न्याय, जेल सुधार और अपराध निवारण, नशीली दवाओं की रोकथाम, देखभाल और देखभाल, HIV और AIDS, मानव तस्करी और पलायन तस्करी, काले धन को वैध बनाना, संगठित अपराध ,पायरेसी , आतंक निरोध।

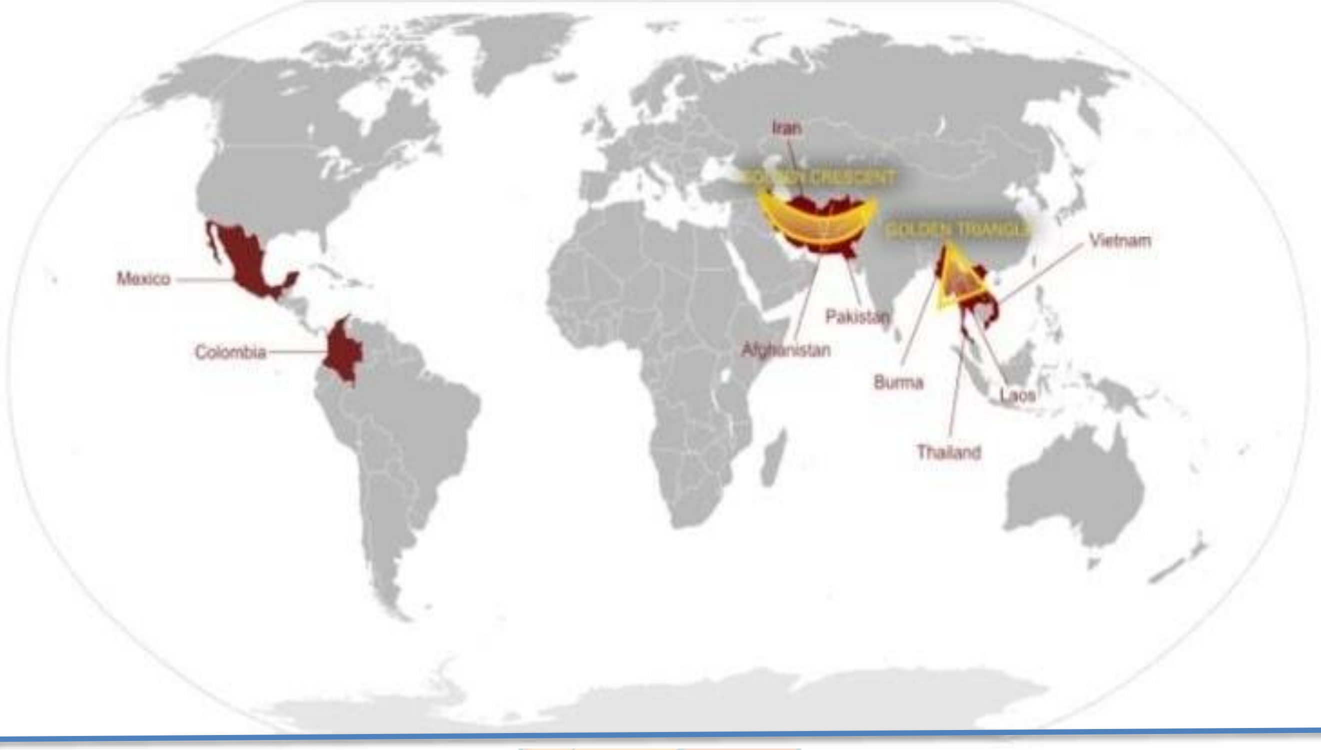
Iran
GOLDEN CRESCENT
GOLDEN TRIANGLE
Vietnam
Mexico
Colombia
Pakistan
Afghanistan
Burma
Laos
Thailand

अर्थव्यवस्था

MSMEs को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

अर्थव्यवस्था; तरक्की और विकास

संदर्भ

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) कम तरलता या नकदी प्रवाह और कार्यबल की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि COVID लॉकडाउन के कारण दैनिक-ग्रामीण अपने गांवों में चले गए हैं।

उठाए गए कदम:

1. RBI ने बैंकों को 1,00,000 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक रेपो परिचालन (LTRO) पेश किया, जिससे बैंकों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण देने में मदद मिली।
2. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने MSMEs के लिए inf 50,000 करोड़ साम्य आधान को मंजूरी दी।
3. CCEA ने MSMEs की नई परिभाषा को भी मंजूरी दी।
4. RBI द्वारा MSMEs को दिए जाने वाले ऋणों के लिए बैंकों को शून्य जोखिम भार प्रदान करने की अनुमति देने की संभावना है। शून्य जोखिम का मतलब होगा कि बैंकों को इन ऋणों के लिए अतिरिक्त पूंजी नहीं लगानी पड़ेगी।
5. नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (GECL) सुविधा के रूप में पात्र MSMEs को 100% गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए।
6. लघु और लघु उद्यमों (CGTMSE) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को MSMEs क्षेत्र को उपलब्ध संपार्श्विक ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था।

MSMEs की नई परिभाषा

सूक्ष्म उद्यम:

निवेश <1 करोड़ और कारोबार <5 करोड़

लघु उद्यम:

निवेश <10 करोड़ और कारोबार <50 करोड़

मध्यम उद्यम:

निवेश <50 करोड़ और कारोबार <250 करोड़

मुख्य तथ्य:

• भारत में वर्तमान में 75 मिलियन से अधिक है MSMEs

• MSMEs अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करते हैं

114 मिलियन लोग

• MSMEs 30% से अधिक योगदान देते हैं

सकल घरेलू उत्पाद का

MSMEs में साम्य आधान

- कैबिनेट पैनल ने निधियों के कोष के माध्यम से MSMEs में ₹50,000 करोड़ साम्य आधान को मंजूरी दी, और MSME क्षेत्र के लिए कैबिनेट ने अतिरिक्त 20,000 करोड़ का कोष।

MSME क्षेत्र के लिए ECLGS

अर्थव्यवस्था; तरक्की और विकास

के विषय में

- बैंकों ने 3 लाख करोड़ की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के अधीन 1 लाख-करोड़ रुपये का COVID-19-प्रेरित आर्थिक मंदी के लिए जारी कर दिया है।
- यह योजना 20 लाख करोड़ रुपये का सबसे बड़ा राजकोषीय घटक है। वित्त मंत्री द्वारा पिछले महीने इस आत्म निर्भर भारत के अंतर्गत घोषित किया था।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)
- ECLGS योजना को COVID-19 के परिणामस्वरूप हुई अभूतपूर्व स्थिति और परिणामस्वरूप लॉकडाउन के कारण एक विशिष्ट प्रतिक्रिया के रूप में तैयार किया गया है, जिसने MSME क्षेत्र में विनिर्माण और अन्य गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
- इस योजना का उद्देश्य MSMEs द्वारा सामना किए जा रहे आर्थिक संकट को कम करने के लिए उन्हें अधिकतम 3 लाख करोड़ पूरी तरह से गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन के रूप में प्रदान करना है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य सदस्य उधार देने वाले संस्थानों (MLI), अर्थात, बैंक, वित्तीय संस्थाएँ (FIs) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि वे अतिरिक्त धन सुविधा की उपलब्धता को बढ़ा सकें और सक्षम बना सकें। MSME उधारकर्ताओं, COVID -19 संकट के कारण होने वाली आर्थिक परेशानी के मद्देनजर, उधारकर्ताओं द्वारा जीईसीएल वित्त पोषण के न होने के कारण उन्हें किसी भी नुकसान के लिए 100 प्रतिशत गारंटी प्रदान करके।
- लघु एवं छोटे उद्योग (CGTMSE) के लिए क्रेडिट गारंटी कोश संस्था
- लघु एवं छोटे उद्योग (CGS) के लिए क्रेडिट गारंटी कोश स्कीम भारत सरकार (GoI) द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी।
- मौजूदा और नए दोनों उद्यम योजना के तहत शामिल होने के योग्य हैं।

- MSMEs और लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) ने इस योजना को लागू करने के लिए लघु एवं छोटे उद्योग (CGTMSE) के लिए क्रेडिट गारंटी कोश संस्था के नाम से एक संस्था की स्थापना की है।
- विश्व बैंक और भारत ने MSME के लिए 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए है।
- विश्व बैंक और भारत सरकार ने MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य वित्त पोषण के बढ़े हुए प्रवाह का समर्थन करना है, जो MSMEs के हाथों में COVID-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
- विश्व बैंक का MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम, प्रभाव को झेलने और लाखों नौकरियों की रक्षा करने में मदद करने के लिए कुछ 1.5 मिलियन व्यवहार्य MSMEs की तत्काल तरलता और क्रेडिट आवश्यकताओं को संबोधित करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- विश्व बैंक को भारत की आपातकालीन COVID-19 प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए $ 2.75 बिलियन की तिथि निर्धारित करनी है, जिसमें नई MSME परियोजना भी शामिल है।

एशियाई विकास बैंक

क्षेत्रीय समूह / संगठन; अर्थव्यवस्था

के विषय में:

- एशियाई विकास बैंक (ADB) 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।
- ADB का उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- बैंक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत (UNESCAP) और गैर-क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को स्वीकार करता है।

क्या आप जानते हैं?

- ADB को विश्व बैंक पर बारीकी से चित्रित किया गया था, और इसमें समान भारित मतदान प्रणाली है।
- इसकी स्थापना पर 31 सदस्यों में से, ADB में अब 68 सदस्य हैं।
- ADB एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है।
- भारत 1966 में एशियाई विकास बैंक (ADB) का संस्थापक सदस्य था और अब बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक और शीर्ष उधारकर्ता है।
- 31 दिसंबर 2019 तक, एडीबी के पांच सबसे बड़े शेयरधारक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (प्रत्येक कुल शेयरों का 15.6%), चीन गणराज्य (6.4%), भारत (6.3%), और ऑस्ट्रेलिया (5.8%) हैं।
- ADB खबरों में क्यों है?
- ADB ने घोषणा की कि उसने निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक वित्त पोषण भागीदारी के लिए चुनाव आयुक्त अशोक

लवासा को अपना उपाध्यक्ष (VP) नियुक्त
किया है।

प्रेरित आजीविका आघात को वापस लेना

भारतीय अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दे

संदर्भ: लॉकडाउन के दौरान, भारत के कम विशेषाधिकार प्राप्त कार्यबल ने आय में गिरावट और आजीविका के साधनों की हानि देखी गई है।

गरीबी के साथ पूर्व-महामारी मुद्दे

- गरीबी रेखा: भारत की गरीबी रेखा अपनी अवास्तविक रूप से कम सीमा के कारण बहस का विषय रही है जिससे गरीबी की संख्या कम हो रही है।
- अनियमित अपडेशन: हाल के वर्षों में सरकारी गरीबी रेखाओं के अनियमित अद्यतन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों से उपभोग व्यय के आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण गरीबी के अनुमान के आसपास अस्पष्टता भी रही है।

भारत में गरीबी की संभावित सीमा क्या हो सकती है?

- PLFS, 2017-18 (जो NSSO के रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षणों की जगह लेता है) और राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखा (2011 में तत्कालीन योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर उपयोग की जाती है, वर्तमान मान सूचकांकों के साथ समायोजित है) लागू करने के लिए रिपोर्ट किए गए घरेलू उपभोग व्यय के अनुसार, लॉकडाउन की घोषणा से पहले लगभग 42% या लगभग 56 करोड़ लोगों को गरीब माना जा सकता है।
- अन्य 20 करोड़ लोग एक संकीर्ण बैंड के भीतर थे जो लोगों को महामारी के कारण खपत व्यय वितरण गरीबी के निचले आधे हिस्से की ओर देखते हुए गरीबी रेखा से 20% ऊपर था।
- वर्ष 2020 के लिए प्रयोग किए गए PLFS डेटा के कुछ अनुमानों से पता चलता है कि लॉकडाउन के कारण लगभग 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया गया था।
- इस लॉकडाउन से प्रेरित नए गरीबों में से लगभग 12 करोड़ शहरी क्षेत्रों में हैं और अन्य 28 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।
- जो लोग पहले से ही गरीब थे, वे अपने जीवन की गुणवत्ता में और अधिक बिगड़ती, एक ऐसी घटना को झेलने जा रहे हैं जिसे गरीबी को अधिक गहरा करने के नाम से जाना जा सकता है।
- लॉकडाउन से पहले, लगभग 16% आबादी ने गरीबी रेखा के लगभग एक तिहाई का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय किया था, जो अपने दैनिक खर्चों को ₹30 प्रति दिन या उससे कम के साथ प्रबंधित कर रहा था।
- लॉकडाउन के बाद यह 62 करोड़ से अधिक (47%) लोगों ने ऐसी अत्यधिक गरीबी की ओर धकेल दिया।

गरीबी को गहराने से रोकने के लिए सरकार की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए?

1. नया और विस्तारित नरेगा को ग्रामीण पुनर्भरण का आधार बनाने की जरूरत है।

- ग्रामीण श्रम आपूर्ति में पश्च प्रवासन ईंधन वृद्धि के साथ काम की मांग में 25% की वृद्धि होने का अनुमान है
- संशोधित योजना के लिए 90 मिलियन कामगारों को कम से अगले छह महीनों के लिए 20 दिनों के काम/महीने के रोजगार की गारंटी देने की आवश्यकता होगी।
- इसका मतलब है कि 1.6 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमीकरण

- दिल्ली में गैर-राशन कार्ड धारकों को खाद्य कूपन के विस्तार के हालिया अनुभव से पता चलता है कि ऐसे उपायों से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को बाहर करने की संभावना है
- इस प्रकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से खाद्य वितरण को कार्यान्वयन में बेहतर समता केंद्रण की आवश्यकता है।

3.शहरी अर्थव्यवस्था को स्थिर करना

- शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी प्रेरित पश्च प्रवासन शहरी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता ला सकता है
- शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम शहरी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए एक गंभीर आवश्यकता बन जाता है
- प्रति माह 20 दिनों के काम की गारंटी के लिए नगर निगमों के माध्यम से लागू एक प्रत्यक्ष रोजगार कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है।
- इसका उपयोग शहरी क्षेत्रों में प्रमुख सामाजिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए किया जा सकता है जिसमें मलिन बस्तियों का विकास, पेयजल आपूर्ति, शौचालय निर्माण, पार्क और सामान्य क्षेत्र, शहरी वनीकरण और सामाजिक वानिकी शामिल हैं।
- राज्य में प्रचलित मनरेगा बेंचमार्क औसत मजदूरी पर 30% प्रीमियम के साथ मजदूरी तय की जा सकती है।
- MSMEs में नियोक्ताओं को कैश ट्रांसफर जैसी सब्सिडी दी जा सकती है ताकि उनके कारोबार को पुनर्जीवित किया जा सके।

निष्कर्ष

- यदि आर्थिक प्रगति और विकास कार्यक्रमों के मार्गों को पुनः उन्मुख नहीं किया जाता है, तो भूख से संबंधित मौतों और अभावग्रस्तता में वृद्धि के साथ निहितार्थ गंभीर हो सकते हैं, जिससे सामाजिक अशांति और अपराध हो सकता है।

बिंदुओं को जोड़ने पर

- खाद्य कूपन बनाम सब्सिडी वाले खाद्य प्रावधान
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)

क्या हमें राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है?

सरकारी बजट; सांविधिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय

संदर्भ:

- RBI के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव इस बारे में अपनी राय देते हैं कि राजकोषीय परिषद की जरूरत है या नहीं
- सरकार को कमजोर घरों और इंजीनियर आर्थिक सुधारों का समर्थन करने के लिए अधिक उधार लेने और खर्च करने की आवश्यकता है ताकि बढ़ती हुई उधार के संबंध में चुनौती दी जा सके।
- ऋण में भारी वृद्धि मध्यम अवधि के विकास की संभावनाओं को ख़तरे में डालना होगा
- अंतर-पीढ़ीगत समता का नुकसान: उधार में वृद्धि से भावी पीढ़ी पर ब्याज का बोझ बढ़ता है और उधार लेने की उनकी क्षमता कम हो जाती है
- संप्रभु रेटिंग की संभावित पदावनति जो देश में विदेशी निवेश की मंदी का कारण बन सकती है
- निकट अवधि में मुद्रास्फीति
- सरकार की राजकोषीय लापरवाही के कारण बाजार के विश्वास का नुकसान

बाजार के विश्वास को बनाए रखते हुए उधार कैसे बढ़ाएं?

- सरकार को बाजार विश्वास बनाए रखने के लिए राजकोषीय समेकन के बाद COVID-19 के लिए एक विश्वसनीय योजना के साथ सामने आना है।
- सरकार राजकोषीय अनुशासन को लागू करने के लिए कुछ नए संस्थागत तंत्र की स्थापना करके अपने पुण्य संकेत दे सकती है, जैसे कि एक राजकोषीय परिषद

राजकोषीय परिषद के बारे में

- यह पहली बार 13 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित किया गया था और बाद में 14 वें वित्त आयोग और फिर FRBM (राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन) की समीक्षा समिति द्वारा समर्थन किया गया था जिसकी अध्यक्षता एन.के. सिंह ने की थी।
- राजकोषीय परिषद, इसके मूल में, एक स्थायी एजेंसी है, जो सरकारी वित्तीय योजनाओं और व्यापक आर्थिक स्थिरता के मापदंडों के खिलाफ अनुमानों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने के लिए जनादेश के साथ है।
- यह तब अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक डोमेन में डाल देगा।
- इस तरह की खुली जांच सरकार को राजकोषीय पुण्य के सीधे और संकीर्ण रास्ते पर रखेगी और इसे किसी भी डिफ़ॉल्ट के लिए जिम्मेदार ठहराएगी।
- यह सरकार के राजकोषीय रुख का स्वतंत्र और विशेषज्ञ मूल्यांकन करेगा, और इस तरह संसद में एक सूचित बहस में मदद करेगा।

वित्तीय परिषद के समक्ष चुनौती

1. राजनीतिक की कमी से जीर्ण राजकोषीय गैरजिम्मेदारी बढ़ेगी

- 2003 में जब FRBM को कानून में शामिल किया गया था, तो इसे वित्तीय उपायों के लिए जादुई इलाज के रूप में सोचा गया था।
- FRBM सरकार को पूर्व-निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के अनुरूप, और ऐसा करने में विफलता के कारण विचलन के कारणों की व्याख्या करने के लिए सरकार में शामिल हो जाता है
- सरकार को अपने राजकोषीय रुख की विश्वसनीयता प्रदर्शित करने के लिए Strategy राजकोषीय नीति रणनीति विवरण '(FPSS) संसद में प्रस्तुत करना भी आवश्यक है
- हालांकि, राजकोषीय रुख पर संसद में गहन चर्चा का अभाव है और FPSS को प्रस्तुत करना अक्सर बिना अधिक सूचना के पारित हो जाता है।

2. इसके काम करने से भ्रम पैदा हो सकता है

- राजकोषीय परिषद व्यापक आर्थिक पूर्वानुमान देगी, जो वित्त मंत्रालय को बजट के लिए उपयोग करने की उम्मीद है, और यदि मंत्रालय उन अनुमानों से अलग होने का निर्णय लेता है, तो यह व्याख्या करना आवश्यक है कि यह अलग क्यों है।
- इसके अलावा, वित्त मंत्रालय को किसी और के अनुमान का उपयोग करने के लिए मजबूर करना इसकी जवाबदेही को कम करेगा।
- यदि अनुमान गलत हैं, तो वित्त मंत्रालय दोष को वित्तीय परिषद में स्थानांतरित कर देगा।

3. काम का दोहराव

- अब तक, दोनों केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) और RBI विकास और अन्य वृहद आर्थिक चर के पूर्वानुमान देते हैं, राजकोषीय परिषद के अनुमानों के बारे में सवाल उठाए जाएंगे
- राजकोषीय परिषद के समर्थन में एक और तर्क यह है कि यह निगरानी के रूप में कार्य करेगा और सरकार को रचनात्मक लेखांकन के माध्यम से राजकोषीय नियमों को जुआ खेलने से रोकेगा।
- हालांकि, सरकारी खर्चों की लेखा परीक्षा और राजकोषीय निगरानी का काम करने के लिए सीएजी के रूप में पहले से ही एक संस्थागत तंत्र है

राजकोषीय परिषद के कार्य / कार्य क्या होंगे?

राजकोषीय परिषद के जनादेश में शामिल होंगे-

- बहु-वर्षीय राजकोषीय अनुमान बनाना, राजकोषीय स्थिरता विश्लेषण तैयार करना
- केंद्र सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन और राजकोषीय नियमों के अनुपालन का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करना
- वार्षिक वित्तीय विवरण की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय रणनीति में उपयुक्त बदलाव की सिफारिश करना
- राजकोषीय आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाना
- एक वार्षिक राजकोषीय रणनीति रिपोर्ट तैयार करना जो सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी।

आगे की दिशा - छोटे कदमों से शुरूआत

- निर्धारित बजट प्रस्तुति से एक सप्ताह पहले, सीएजी को, एक संवैधानिक प्राधिकारी को, संसद में पेश होने के बाद बजट की जांच के सीमित आदेश के साथ पांच सप्ताह की अवधि के लिए तीन सदस्यीय समिति नियुक्त करना चाहिए।
- समिति सरकार के राजकोषीय रुख और संख्या की अखंडता की जांच करेगी, और एक सार्वजनिक रिपोर्ट देगी
- CAG का कार्यालय अपने संसाधनों से समिति को सचिवीय और उपस्कर सहायता प्रदान करेगा।
- वित्त मंत्रालय, RBI, CSO और नीति आयोग प्रत्येक सचिवालय में सेवा देने के लिए एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे।
- समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद घाव हो जाएगा

बिंदुओं को जोड़ने पर

- एन.के. सिंह समिति की सिफारिशें

तमिलनाडु: शीर्ष निवेश गंतव्य

- तमिलनाडु इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश के शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है।
- भारत में कुल मिलाकर ताजा निवेश घोषणाएं पांच साल में सबसे कम हो गई।
- तमिलनाडु सरकार ने 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि महाराष्ट्र ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और यू.एस. की फर्मों के साथ 12 समझौता पत्र हस्ताक्षर किए थे।

क्या आप जानते हैं?

- राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने श्रम, निधियों और उपकरणों की कमी जैसे महत्वपूर्ण कारकों के कारण लगभग 21.12 लाख करोड़ रुपये के निवेश परियोजनाओं पर काम को स्थगित कर दिया है।

ई-कॉमर्स पोर्टल के लिए अब समान के लिए उद्गम देश का नाम बताना होगा

सरकार की योजनाएं और पहल; अर्थव्यवस्था

संदर्भ:

- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सभी ई-कॉमर्स पोर्टलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों का "मूल देश" अनिवार्य घोषणाओं के हिस्से के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए
- इस कदम का उद्देश्य 'मेड इन इंडिया ’उत्पादों को बल देना और उपभोक्ताओं को एक सूचित विकल्प बनाने में मदद करना है। (चीन निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार)

- कानूनी मापविद्या (डिब्बाबंद माल) नियमावली, 2011 के अनुसार - सभी निर्माताओं के लिए पैकेज का नाम और पते की घोषणा करना अनिवार्य है, वस्तु का सामान्य और सामान्य नाम, शुद्ध मात्रा, निर्माण का महीना और साल, MRP और उपभोक्ता सहायता विवरण।

मुख्य उद्योग उत्पादन अनुबंध

अर्थव्यवस्था; तरक्की और विकास

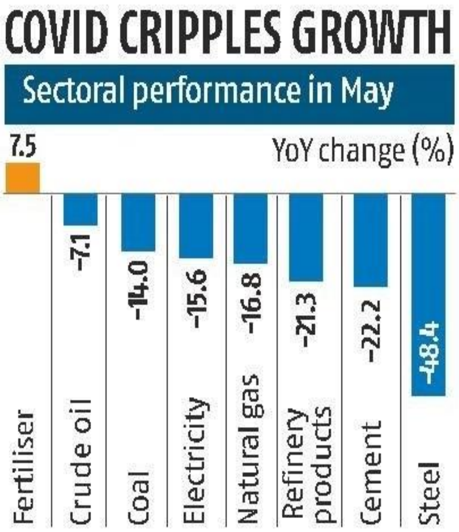

खबरों में:

- आठ मुख्य क्षेत्र के उद्योगों का उत्पादन मई 2020 में 23% हो गया।
- आठ प्रमुख क्षेत्रों में, उर्वरक उद्योग केवल एक ही था जिसने मई महीने में उत्पादन में वास्तविक वृद्धि देखी मई 2019 की तुलना में।
- इस्पात क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे खराब था, जिसमें 48.4% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि सीमेंट उत्पादन में 22% की गिरावट आई।
- अच्छा मानसून और खरीफ बुवाई का मौसम - जिससे उर्वरक क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई।

प्रमुख प्रीलिम्स बिन्दु :

- आठ मुख्य क्षेत्र के उद्योग कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली हैं

COVID-19 राजकोषीय प्रतिक्रिया और भारत की स्थिति

भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों के नियोजन, जुटाने से संबंधित मुद्दे

संदर्भ: आत्म निर्भर भारत पैकेज की घोषणा से पहले, भारत COVID-19 राहत पैकेज प्रदान करने में तुलनीय विकासशील देशों से काफी पिछड़ गया।

राहत पैकेज के साथ चुनौती

1. राजकोषीय प्रतिक्रिया को त्यागना: राजकोषीय और मौद्रिक घटकों के बीच के अंतर को देखते हुए, राजकोषीय प्रतिक्रियाओं के लिए तुलनीय और सटीक आंकड़े सुनिश्चित करना एक चुनौती है।
2. अंतर की संख्या: घरेलू रूप से कुल आत्मानिभर पैकेज को जीडीपी के 10% पर बिल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस में भारत की राजकोषीय प्रतिक्रिया के लिए शीर्षक संख्या GDP का लगभग 4% है।
3. **अपर्याप्त मांग-पक्ष हस्तक्षेप:**
    - आत्मानिभर भारत पैकेज में एक महत्वपूर्ण मांग-पक्ष हस्तक्षेप मनरेगा के लिए अतिरिक्त परिव्यय का 40,000 करोड़ था।
    - अधिकांश अन्य मांग-पक्ष उपायों में मौजूदा धनराशि का अधिभार, समेकन, या पुनरावर्तन शामिल है।
    - उदाहरण के लिए, हाल ही में घोषित Gar 50,000 करोड़ गरीब कल्याण रोज़गार अभियान, जो 12 मंत्रालयों / विभागों की परियोजनाओं को समेकित करता है।

4. **सख्त रोकथाम उपायों को देखते हुए, पैकेज अपर्याप्त है:**

- लॉकडाउन की गंभीरता के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधान और अव्यवस्था से राहत के उपायों की सीमा कम नहीं लगती है।
- वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और मिस्र, भारत में उन लोगों की तुलना में कम कड़े उपायों का औसत है, ने प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की है जो सकल घरेलू उत्पाद के एक हिस्से के रूप में बड़े या अधिक महत्वपूर्ण हैं।

राहत बढ़ाते हुए भारत दुनिया के अन्य देशों से क्या सबक सीख सकता है?

1. **नकद हस्तांतरण**

- नकद हस्तांतरण अन्य विकासशील देशों द्वारा समर्थन की सबसे बड़ी श्रेणी का गठन करते हैं। विश्व बैंक की 173 देशों में 621 उपायों की सूची में से आधे नकद आधारित थे
- विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि औसतन, इस तरह के स्थानांतरण से प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का 30% मासिक, औसत-मध्य-आय वाले देशों के लिए 46% तक पहुंच जाता है, औसतन तीन महीने तक।
- बांग्लादेश और इंडोनेशिया ने क्रमशः नकद हस्तांतरण लाभार्थियों की संख्या में 163% और 111% की वृद्धि की है।
- इंडोनेशिया की नकदी योजनाएं अब 158 मिलियन से अधिक लोगों (या 60% आबादी) को शामिल करती हैं।
- भारत मौजूदा हस्तांतरण कार्यक्रमों (जैसे PM-किसान योजना) के विस्तार या यहां तक कि नए निर्माण के बारे में फैसले में इन कार्यों को ले सकता है।

2. **मौद्रिक मार्गों से वित्तपोषण**

- देश द्वितीयक बाजार (मात्रात्मक सहजता) में सार्वजनिक और निजी बॉन्ड की खरीद के साथ प्रयोग कर रहे हैं या सीधे प्राथमिक बाजार पर सरकारी बॉन्ड खरीद रहे हैं (घाटे का मुद्रीकरण)।
- इंडोनेशिया और ब्राज़ील ने अपने केंद्रीय बैंकों को सरकारी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देने के लिए दोनों कानूनों में संशोधन किया है
- फिलीपीन केंद्रीय बैंक ने भी तीन महीने के बाद विस्तार योग्य एक समझौते के तहत सरकारी बॉन्ड के तहत $ 6 बिलियन (250 42,250 करोड़) की राशि खरीदी है

भारत को फिर से निपुण बनाने का समय

भारतीय अर्थव्यवस्था और इससे जुड़े मुद्दे;

सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप

संदर्भ: अनौपचारिक और औपचारिक दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रमिक या तो अपनी नौकरी खो देंगे या नौकरियों के बाद कोविद -19 कैसे किया जाता है, में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का सामना कर सकते हैं।

क्या आप जानते है?

- यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में 2017 में देश में उत्पन्न रोजगार के अवसरों का 12.2% था।
- 80% यात्रा और पर्यटन उद्योग SMEs से बना है।
- भारतीय पर्यटन और आतिथ्य संघ (FAITH) में संघों के महासंघ द्वारा प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, नुकसान 5 करोड़ रुपये की सीमा में हो सकता है।

COVID-19 महामारी के कारण प्रतिकूल प्रभाव वाले क्षेत्र क्या हैं?

- प्रतिकूल रूप से प्रभावित क्षेत्र पर्यटन और आतिथ्य, रेस्तरां, संगठित खुदरा, मीडिया और मनोरंजन, रसद और अचल संपत्ति, अन्य हैं।
- परिणाम: इन क्षेत्रों में श्रमिक अन्य क्षेत्रों में पुनर्वितरण या आजीविका के अवसरों की तलाश कर सकते हैं।
- आगे की दिशा: ऐसे श्रमिकों को फिर से भरना इन कमजोर श्रेणियों के लिए मंथन को आसान और कम विघटनकारी बना सकता है।
- फिर से दक्ष बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है?
- चरणबद्ध तरीके से पुन: दक्ष किया जा सकता है
- शुरू में लक्ष्य निर्धारण का लक्ष्य उन प्रवासी श्रमिकों का एक भाग होना चाहिए जो अपने मूल राज्यों में लौट आए हैं
- यह उन लोगों के लिए भी किया जाना चाहिए जो उन क्षेत्रों में थे जहां सामाजिक गड़बड़ी के कारण नौकरियां जल्द वापस आने की संभावना नहीं है।
- कम से कम 25% जोखिम वाले कार्यबल को लक्षित करने की आवश्यकता है, जो पुनर्विकास की मांग कर रहा है और इसे फिर से भरने के माध्यम से अपेक्षाकृत उत्पादक बनाया जा सकता है।
- यह फिर से भरना एक अल्पकालिक मिशन होगा क्योंकि इस कार्यबल के अधिकांश लोगों को उम्मीद है कि मध्यम अवधि में स्थिति में सुधार होने के बाद वे अपने पहले कब्जे / स्थान पर वापस आ जाएंगे।

कौन से क्षेत्र ज्यादा नौकरियां ले सकते हैं?

जैसा कि आपूर्ति समीकरण में, मांग की स्थिति को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है।

1. घरेलू खपत वाले क्षेत्र

- इसमें हल्की अर्थव्यवस्था शामिल है जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी रूप से खोए हुए आजीविका का समर्थन कर सकती है।
- COVID-19 के प्रबंधन में स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों पर जोर दिया जा रहा है, न केवल संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, बल्कि सामान्य रोगी देखभाल, निदान, स्वास्थ्य और परामर्शदाताओं में भी श्रमिकों की भारी मांग है।
- इसके अलावा, ई-कॉमर्स, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, आदि अपेक्षाकृत लचीला क्षेत्र हैं जो जनशक्ति को अवशोषित कर सकते हैं।

2. स्वरोजगार

- उल्टे प्रवासियों के लिए जो अल्पावधि में वापस नहीं आएंगे, उन्हें उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है
- आर्थिक पुनरुद्धार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ग्रामीण सड़कों, घरों और प्रकाश विनिर्माण) पर ध्यान केंद्रित करने के कारण अवसर आने की संभावना है
- चूंकि कृषि ग्रामीण भारत के लिए मुख्य आधार बनी हुई है, इसलिए प्रवासी मजदूरों के एक वर्ग को उच्च मूल्य वाली कृषि (बागवानी, पशुधन, सेरीकल्चर, जलीय कृषि और वृक्षारोपण) में बचाया जा सकता है।

आगे की दिशा

- पुन: मॉडलिंग कौशल मूल्य श्रृंखला: उम्मीदवारों को दूरस्थ परामर्श और सीखने की एक प्रमुख डिजिटल डिलीवरी से गुजरने के लिए प्रेरित किया जाना है।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: चूंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिक हाथों पर है, इसलिए AR/VR अनुकरण प्रशिक्षण जैसी तकनीकों को वीडियो-आधारित शिक्षण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
- क्षमता और मानसिकता: अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ट्रेनर की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए।
- महत्वपूर्ण रूप से, कौशल वितरण, प्रशासन और शासन के सभी स्तरों पर एक मानसिकता परिवर्तन को सक्षम करना होगा।
- डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना: समय-समय पर रेकिलिंग के प्रयास के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को डिजिटल-प्रथम दक्षता की दीर्घकालिक योजना में समेकित रूप से एकीकृत करने की आवश्यकता है। इसके लिए डिजिटल निरक्षरता और डिजिटल अभिगम्यता जैसे मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है

निष्कर्ष - एक पुन: कौशल कार्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा और रोजगार और आजीविका में भी सुधार करेगा।

3. मनरेगा को बढ़ाना

- भारत अपने प्रमुख मनरेगा कार्यक्रम के साथ रोजगार गारंटी नीतियों में अग्रणी रहा है।
- मेक्सिको ने 200,000 किसानों और लाभार्थियों को अपनी ग्रामीण स्थायी रोजगार योजना को बढ़ाने की घोषणा की।
- इंडोनेशिया ने सार्वजनिक कार्य योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए $ 1 बिलियन () 7,000 करोड़ से अधिक) का आवंटन किया है जिससे कम से कम 600,000 श्रमिकों को लाभ होगा
- इसके अतिरिक्त, इंडोनेशिया की केंद्र सरकार ने ग्राम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने बजट को दिन के मजदूरों और बेरोजगारों के लिए नकद-कार्यक्रम पर केंद्रित करें।
- यह MGNREGA कार्यक्रम में एंटाइटेलमेंट का विस्तार करने के साथ-साथ इसका शहरी संस्करण पेश करने का सही समय है।

निष्कर्ष

- अतिरिक्त राजकोषीय परिव्यय - नकद और तरह के स्थानान्तरण और विस्तारित सार्वजनिक कार्य योजनाओं के रूप में आज जीवन और नौकरियों को बचाएगा और एक लंबी मंदी को रोक सकता है।

बिंदुओं को जोड़ने पर

- एन.के.सिंह समिति की सिफारिशें
- राजकोषीय परिषद की आवश्यकता

कृषि

कृषि के लिए आत्म निर्भर भारत का रास्ता

सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप; भारतीय अर्थव्यवस्था; कृषि क्षेत्र

संदर्भ: 1.37-बिलियन आबादी वाले भारत जैसे बड़े देश के लिए, ज्यादातर खाद्य पदार्थों का उत्पादन घर पर करना पड़ता है यानी कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर।

क्या आप जानते हैं?

- 1950 और 60 के दशक के दौरान, भारत मे अन्न की स्थिति 'जहाज से मुंह' तक थी क्योंकि हम भोजन के लिए दूसरे देशों (जहाज द्वारा) पर निर्भर थे।
- हालांकि, आज भारत कृषि-उत्पादन का शुद्ध निर्यातक रहा है।
- 1960 और अब के बीच की स्थिति में अंतर
- 1960 के दशक में, यदि भारत ने गेहूं आयात पर अपने सभी विदेशी मुद्रा भंडार (लगभग $ 400 मिलियन) खर्च किए होते, तो यह लगभग 7 मिलियन टन (mt) गेहूं आयात कर सकता था।
- आज, भारत के पास 500 बिलियन डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है। इसलिए, $ 250 / टन की भूमि पर 20 मिलियन टन गेहूं आयात करने के लिए, इसकी लागत $ 5 बिलियन होगी, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का केवल 1% है।
- इसलिए, पिछले तीन दशकों का सबसे बड़ा सुधार, जिसने भोजन में आत्मानुभूति प्रदान की है, विनिमय दर में सुधार, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारत के क्रमिक एकीकरण के साथ मिलकर

भारत में कृषि-व्यापार परिदृश्य

- पिछले 10 वर्षों में (2010-11 से 2019-20) भारत कृषि-उत्पादन का शुद्ध निर्यातक रहा है। वास्तव में, यह 1991 में सुधार शुरू होने के बाद से ऐसा है।
- कृषि-व्यापार का स्वर्णिम वर्ष 2013-14 रहा है: निर्यात 43.6 बिलियन डॉलर और आयात $ 18.9 बिलियन था, जो 24.7 बिलियन डॉलर का शुद्ध व्यापार अधिशेष देता है।
- पिछले पांच वर्षों से, कृषि-निर्यात सुस्त और फिसलन वाला है
- 2019-20 में कृषि-निर्यात केवल $ 36 बिलियन था, और शुद्ध कृषि-व्यापार अधिशेष $ 11.2 बिलियन था।

आने वाले वर्षों में कृषि-व्यापार अधिशेष को कैसे बढ़ाया जाए?

1. “तुलनात्मक लाभ” के सिद्धांत पर आधारित कृषि-व्यापार नीति।

- इसका मतलब है कि जहां हम प्रतिस्पर्धा में बढ़त रखते हैं, वहां अधिक निर्यात करते हैं, और जहां हममें प्रतिस्पर्धा की कमी है, वहां आयात करना
- 2019-20 की वर्तमान कृषि-निर्यात टोकरी "प्रकट तुलनात्मक लाभ" की भावना देती है।
- 6.7 बिलियन डॉलर के निर्यात के साथ समुद्री उत्पाद $ 6.4 बिलियन में चावल, $ 3.6 बिलियन में मसाले, 3.2 बिलियन डॉलर में भैंस का मांस, 2.0 बिलियन डॉलर की चीनी के साथ निर्यात करता है।

2. सब्सिडी का विविधीकरण

- चावल और चीनी को भारी मात्रा में मुफ्त बिजली और अत्यधिक सब्सिडी वाले उर्वरकों, विशेष रूप से यूरिया के माध्यम से सब्सिडी दी जाती है।
- एक साथ, बिजली और उर्वरक सब्सिडी प्रति हेक्टेयर आधार पर उत्पादित चावल और चीनी के मूल्य का लगभग 10-15% है
- यह पानी के आभासी निर्यात के लिए अग्रणी है क्योंकि एक किलोग्राम चावल को सिंचाई के लिए 3,500-5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और एक किलोग्राम चीनी लगभग 2,000 लीटर पानी की खपत करती है।
- हालांकि, हम उच्च मूल्य वाले कृषि-उपज जैसे फलों और सब्जियों, मसालों, चाय और कॉफी, या कपास के निर्यात के लिए समान प्रोत्साहन नहीं देते हैं। इस प्रकार, इन फसलों को भी सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता है

3.ताड़ तेल को बढ़ावा देना

- कृषि-आयात के मोर्चे पर, सबसे बड़ी वस्तु, खाद्य तेल की कीमत $ 10 बिलियन (मात्रा के संदर्भ में, लगभग 15 मिलियन से अधिक) है
- इस प्रकार, तिलहन से तेल की उत्पादकता और पुनर्प्राप्ति अनुपात बढ़ाने और ताजे फल के गुच्छों से ताड़ के तेल के मामले में आवश्यकता है।

डेयरी सहकारी समितियाँ: आत्म निर्भर भारत की प्राप्ति के लिए एक मॉडल

पशु-पालन का अर्थशास्त्र; कृषि क्षेत्र

संदर्भ: आत्म निर्भर भारत अभियान का उद्देश्य COVID-19 आर्थिक पुनर्निर्माण के बाद भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।

आत्म-निर्भरता को दो विषयों पर जोर देने के द्वारा हासिल किया गया माना जाता है: 'स्थानीय के लिए मुखर' और 'स्थानीय से वैश्विक'।

क्या आप जानते हैं?

- भारत पिछले 22 वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है।
- वर्तमान में, भारत का दुग्ध उत्पादन लगभग 188 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) - 2018-19 है, जो विश्व के दुग्ध उत्पादन का लगभग 21% है।

दुग्ध क्षेत्र का महत्व

- राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.5% योगदान देता है
- यह लगभग 100 मिलियन ग्रामीण परिवारों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत है - ज्यादातर भूमिहीन, छोटे या सीमांत किसान।
- कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में से, लगभग 28% (8 लाख करोड़ रुपये या 110 बिलियन डॉलर) का योगदान डेयरी द्वारा किया जाता है।
- भारत में दुग्ध उत्पादन पिछले 20 वर्षों में 4.5% के सीएजीआर से बढ़ रहा है, जबकि दुनिया के 2% से कम CAGR है। इस उच्च वृद्धि ने भारत को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों दूध क्षेत्र और आत्मनिर्भरता में बढ़ती आबादी को अवशोषित करने में सक्षम बनाया है
- दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता दशकों पहले हासिल की गई थी।
- 1970 के दशक की शुरुआत में, भारत का दूध उत्पादन अमेरिका का सिर्फ एक तिहाई और यूरोप का आठवां हिस्सा था
- वर्तमान में, भारत का दूध उत्पादन अमेरिका की तुलना में दोगुना है और यूरोप की तुलना में 25% अधिक है।

यह आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त की गई?

- 1970 के दशक के दौरान, अधिकांश डेयरी किसानों को बिचौलियों की लंबी श्रृंखला और संगठित बाजारों तक पहुंच की कमी के कारण पारिश्रमिक परिणाम नहीं मिला।
- त्रिस्तरीय सहकारी मॉडल को अपनाने के बाद परिदृश्य बदल गया, लोकप्रिय रूप से ऑपरेशन द्रव्य के तीन चरण कार्यान्वयन के साथ अमूल मॉडल के रूप में जाना जाता है
- इससे न केवल भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया, बल्कि विश्व स्तर पर दूध का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया
- भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जो वैश्विक औसत से कम 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन है।

दुग्ध उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा?

1. **निजी निवेश का समर्थन करना**

- भारतीय डेयरी सहकारी समितियां और निजी खिलाड़ी अगले दशक में प्रति दिन 4.5-4.8 करोड़ लीटर की अतिरिक्त दूध प्रसंस्करण क्षमता बना सकते हैं।

- इस वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा तालाबंदी के दौरान डेयरी और मत्स्य पालन के लिए एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई थी।
- इसमें डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) का निर्माण शामिल है।
- प्रस्तावित निधि को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए।

2. डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार

- सरकार ने इस विस्तार की घोषणा की है, इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए
- यह नकदी प्रवाह सुनिश्चित करेगा और छोटे किसानों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करेगा।

3. समग्र दृष्टिकोण

- असंगठित किसानों को संगठित क्षेत्र की तह में लाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- यह कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs), कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs), व्यापार संवाददाताओं (BCs) कमोडिटी एक्सचेंजों और डिजिटल बाजारों को मजबूत करने, नीतियों में अभिसरण की इच्छा रखता है।
- जोर यह सुनिश्चित करने पर होना चाहिए कि डेयरी किसानों को कमाई का उचित हिस्सा मिले जो कि निजी खिलाड़ियों को मूल्यवर्धन के माध्यम से मिले।
- डेयरी क्षेत्र को 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के प्रस्तावित निर्माण में राष्ट्रीय नीतियों के हिस्से के रूप में अपना पर्याप्त हिस्सा रखने की आवश्यकता है, जो कि FPO को बेहतर बनाने के लिए अच्छे तरीके से उभर सकते हैं।

4. विदेशी किसानों से डेयरी किसानों की रक्षा करना

- आर्थिक रूप से विकसित देशों के दूध-अधिशेष से सस्ता आयात करने से भारतीय डेयरी किसानों को मुश्किल होगी।
- भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से समझौता वापस ले लिया, जिसमें घरेलू डेयरी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सस्ते डेयरी आयात के बारे में आशंकाओं का हवाला दिया गया।

चावल (DSR) तकनीक का प्रत्यक्ष बीजारोपण

कृषि; सिंचाई की तकनीक

खबरों में:

- पंजाब के किसानों ने पारंपरिक रोपाई के बजाय खरीफ मौसम में चावल (DSR) तकनीक के सीधे बीजारोपण का उपयोग करके धान की रोपाई की।
- चावल (DSR) तकनीक के सीधे बोने के लाभ
- फसल के बाद फसल अवशेषों को संभालना आसान है।
- धान की रोपाई के लिए डीएसआर के बड़े पैमाने पर उपयोग से पराली जलाने की गंभीर समस्या का समाधान हो सकता है।
- वायु प्रदूषण कम करना।

- सीधे बीजारोपण (गीला और सूखा दोनों) नर्सरी बढ़ाने, उखाड़ने और रोपाई से बचा जाता है, और इस तरह श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है।
- सीधे बीजों वाले पौधों की जड़ें बेहतर रूप से विकसित होती हैं और इसलिए जलवायु चरम सीमाओं के लिए अधिक तैयार होती हैं

पर्यावरण प्रदूषण

एक महामारी के बीच हरित प्रकाश पारिस्थितिक गिरावट

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरण प्रभाव आकलन

संदर्भ: पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संतुलन को खतरे में डालते हुए महत्वपूर्ण वन आवासों की परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है या उन्हें मंजूरी दी गई है।

- पर्यावरण संरक्षण विकास प्रक्रिया के लिए गौण हो गया है
- लॉकडाउन के माध्यम से, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के ’विशेषज्ञ’ निकायों ने विचार किया है, और कई मामलों, जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीवों के आवास और जंगलों में कई औद्योगिक, खनन और बुनियादी ढांचे के प्रस्ताव में मंजूरी दे दी है।

इसमें शामिल है -

- अरुणाचल प्रदेश की जैवविविधता संपन्न दिबांग घाटी में एटलिन पनबिजली परियोजना
- असम के देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व में एक कोयला खदान
- पन्ना के वनाच्छादित बेल्ट में एक हीरा खनन
- ओडिशा के तालाबीरा के जंगलों में कोयला आधारित बिजली संयंत्र के साथ एक कोयला खदान
- गिर राष्ट्रीय उद्यान में एक चूना पत्थर की खान
- कर्नाटक में शरवती सिंह-सदृश मकाक (बंदर)अभयारण्य में एक भू-तकनीकी जांच
- अधिकारियों ने पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और सभी आवश्यक दस्तावेजों या साइट निरीक्षणों के बिना इन परियोजनाओं पर विचार किया।

सरकार के ड्राफ्ट EIA की आलोचना क्यों हो रही है?

1. **सार्वजनिक भागीदारी को कम करना**

- महामारी और बार-बार होने वाले लॉकडाउन के बीच कोई सार्थक सार्वजनिक परामर्श नहीं हो सकता है।
- MoEFCC ने अपने ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना पर प्रतिक्रिया के लिए 30 जून की समय सीमा दी थी, लेकिन इसे उच्च न्यायालय के आदेश के माध्यम से 11 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था

2. **EIA की भावना को प्रस्तुत करना**

- मसौदे के अनुसार, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने से पहले एक परियोजना शुरू करना अब

उल्लंघन नहीं होगा, और इसे बाद के तथ्य को नियमित किया जा सकता है।

3. बड़ी छूट श्रेणी

- EIA प्रक्रिया को मजबूत करने के बजाय, मसौदा अधिसूचना में सार्वजनिक सुनवाई से उन परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को छूट देने का प्रस्ताव है, जिनमें अधिकारी 'रणनीतिक' के रूप में मनमाने ढंग से नामित कर सकते हैं।
- ड्राफ्ट यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र में कोई भी जानकारी डाले बिना मंजूरी के लिए सुरक्षित करने के लिए परियोजनाओं की एक श्रेणी के लिए अनुमति देता है।

4. निगरानी पर अपर्याप्त फोकस

- पर्यावरणविदों की मांगों के बावजूद, मसौदा अधिसूचना में स्पष्ट रूप से निगरानी की शर्तों और सुरक्षा उपायों के अनुपालन और निगरानी में सुधार पर कुछ नहीं है।

5. आर्थिक एजेंडा पर्यावरण सुरक्षा उपायों को कमजोर करता है

- हाल ही की तिमाही में मंदी का सामना कर रही अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए "निर्बाध आर्थिक विकास" के लिए हरी मंजूरी सरकार का एजेंडा है

उपरोक्त क्रियाओं का परिणाम

- भविष्य में पर्यावरणीय गिरावट
- विकास-प्रेरित विस्थापन
- गरीब और कमजोर लोगों पर असम्बद्ध प्रभाव: इनका प्रभाव आदिवासी और अन्य सीमांत समूहों द्वारा अत्यधिक रूप से वहन किया जाता है
- भविष्य के लुप्तप्राय आवास और जीवन,
- संक्रामक रोगों और संबंधित सामाजिक-आर्थिक झटके के लिए मानव की भेद्यता को तीव्र करता है।

21 वीं सदी ने कई घातक महामारियों को क्यों देखा है?

- शहरीकरण, खनन और उद्योग के लिए जंगली आवासों, वनों और विविध खाद्य प्रणालियों का त्वरित विनाश हुआ है
- इसका मतलब है कि रोगजनकों को जो कभी जानवरों और पौधों में बड़े पैमाने पर सीमित कर दिया गया था, अब वे मनुष्यों को संक्रमित करने के लिए बेहतर हैं।
- मोनोकल्चर फसल और पशुधन कृषि प्रणालियों का विस्तार, घनी मानव बस्तियों के साथ मिलकर जैव विविधता और दूरी बाधाओं को दूर करता है जो मानव प्रजातियों के लिए लचीलापन देता है

निष्कर्ष

- ये विशालकाय पिछड़े कदम (पर्यावरण संरक्षण मानकों का कमजोर पड़ना) हमें आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे।

बिंदुओं को जोड़ने पर

- पेरिस जलवायु समझौता

- व्यापार करने में आसानी- भारत द्वारा सुधार

ब्रह्मपुरम असफलता पर NGT

वैधानिक निकाय; पर्यावरण के मुद्दे; प्रदूषण

खबरों में:

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की पीठ ने कहा कि केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) के अध्यक्ष और सदस्य सचिव को उत्तरदायी ठहराया जाएगा यदि वे अभियोजन को आरंभ करने और ब्रह्मपुरम् में कोच्चि निगम के डंपिंग स्थल में कचरे के अवैज्ञानिक निपटान के लिए जिम्मेदार लोगों से मुआवजे की वसूली करने में विफल रहते हैं।।
- NGT पीठ ने कहा कि प्रगति बहुत धीमी दिखाई दी और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के वैधानिक और संवैधानिक दायित्व के प्रति अवहेलना की गई।

याद रखने के लिए मुख्य बिंदु:

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (SWM नियम, 2016) का अनुपालन न करना
- डंपिंग स्थल पर कचरे के अवैज्ञानिक तरीके से निपटने के परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) की भूमिका
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति की भूमिका
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की भूमिका

क्या आप जानते हैं?

- पर्यावरण की रक्षा और सुधार एक संवैधानिक जनादेश है।
- यह एक कल्याणकारी राज्य के विचारों के प्रति वचनबद्ध देश के लिए प्रतिबद्धता है।
- भारतीय संविधान में DPSPs और FDs के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं।
- अनुच्छेद 48A (DPSP): 'पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। '
- अनुच्छेद 51-A (g) FD: "यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे और जीवित प्राणियों के लिए दया करे।"
- अनुच्छेद 21 FR: : पूर्ण पर्यावरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है।
- “राज्य अपने सभी नागरिकों को स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक दायित्व के तहत है। पर्यावरणीय मामलों से संबंधित मामलों में, राज्य को सूत्रधार के रूप में कार्य करना होता है, न कि अवरोधक के रूप में। "

NGT के बारे में -

- NGT अधिनियम 2010 NGT की स्थापना के लिए प्रदान करता है

- पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों से संबंधित है
- पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और क्षति के लिए राहत और क्षतिपूर्ति देने से भी संबंधित है

नमामि गंगे के लिए विश्व बैंक की निधि

प्रदूषण; भूमिकारूप व्यवस्था

के विषय में

- विश्व बैंक ने नमामी गंगे परियोजना को 5 वर्ष के लिए 3,000 करोड़ ($ 400 मिलियन) ऋण को मंजूरी दी है।
- विश्व बैंक कोष नदी बेसिन में प्रदूषण को समाप्त करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने और सुधारने में मदद करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- नमामि गंगे परियोजना या स्वच्छ गंगा (NMCG) के लिए राष्ट्रीय मिशन को पहले ही ,4535 करोड़ ($ 600 मिलियन) दिसंबर 2021 तक विश्व बैंक से मिल चुके है

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

नमामि गंगे मिशन के बारे में

- गंगा के तने पर 97 कस्बों और 4,465 गांवों के साथ-साथ एक स्वच्छ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए व्यापक और स्थायी समाधान प्रदान करने का उद्देश्य।
- नमामि गंगे को 'नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा' (NMCG) और इसके राज्य समकक्षों - राज्य सरकार प्रबंधन समूहों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह परियोजना आठ राज्यों को कवर करती है और 2022 तक गंगा के किनारे की सभी 1,632 ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से जोड़ने का प्रयास करती है।
- स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के बारे में
- यह राष्ट्रीय गंगा परिषद का कार्यान्वयन अंग है।
- यह वर्ष 2011 में एक पंजीकृत समाज के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है।
- इसमें दो स्तरीय प्रबंधन संरचना है।
- इसमें शासी परिषद और कार्यकारी समिति शामिल है

उद्देश्य

- नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण और कायाकल्प के प्रभावी नियंत्रण को सुनिश्चित करना।
- पानी की गुणवत्ता और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखने के लिए।

संरक्षित क्षेत्र

शिवालिक वन को बाघ अभयारण्य में बदलने की बोली

संरक्षण; संरक्षित क्षेत्र

के विषय में

- उत्तर प्रदेश सरकार सहारनपुर क्षेत्र में शिवालिक वन को बाघ रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है।
- यदि इसे स्वीकार किया जाता है, तो यह बिजनौर, पीलीभीत के अमनगढ़ और लखीमपुर-खीरी में दुधवा के बाद उत्तर प्रदेश में चौथा बाघ आरक्षित होगा।
- इस कदम से न केवल बढ़ते मानव-पशु संघर्ष को कम किया जा सकेगा बल्कि इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के पोषण में भी मदद मिलेगी।

क्या आप जानते हैं?

- 2019 तक, भारत में 50 बाघ रिजर्व हैं, जो 'प्रोजेक्ट टाइगर' के अधीन हैं, जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- भारत दुनिया में 80 प्रतिशत बाघों का घर है।
- बाघ रिज़र्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के तहत परियोजना टाइगर के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के तहत घोषित किए जाते हैं।
- एक क्षेत्र को बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए, राज्य सरकारें इस संबंध में अपने प्रस्ताव NTCA को भेज सकती हैं। एनटीसीए के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बाघ रिजर्व के निर्माण के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की सलाह भी दे सकती है।

मानव-पशु संघर्ष और यातायात को रोकना

संरक्षण; संरक्षित क्षेत्र

के बारे में

- कर्नाटक वन विभाग ने नागरहोल नेशनल पार्क की सड़कों से गुजरने वाले वाहनों के लिए समय-टिकट कार्ड प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है।
- राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों में सड़कों के साथ यातायात निगरानी तंत्र मोटर चालकों द्वारा वन कानूनों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करेगा और सड़क की हत्या को कम करेगा।
- टाइम-स्टैम्पिंग तंत्र यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि मोटर चालक मध्य मार्ग को बंद न करें और क्षेत्र को कूड़ेदान करें या वन्यजीवों को परेशान करें।
- प्रत्येक 500 मीटर की दूरी पर स्पीड ब्रेकर के रूप में कार्य करने के लिए रोड कूबड़ के अलावा 30 किमी प्रति घंटे की गति सीमा शुरू की जा रही है।

पवित्र उपवन

पर्यावरण और जैव विविधता; संरक्षण

खबरों में:

कोयम्बटूर स्थित कन्नन वॉरियर को केरल के अलाप्पुझा जिले में लुप्तप्राय पवित्र पेड़ों के संरक्षण सहित वानिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होता है।

पवित्र उपवन के बारे में:

- पवित्र पेड़ों (उपवन) में जंगलों या प्राकृतिक वनस्पतियों के समूह शामिल होते हैं - कुछ पेड़ों से लेकर कई एकड़ के जंगलों तक - जो आमतौर पर स्थानीय लोक देवताओं को समर्पित होते हैं।
- ये स्थान अपनी धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक अनुष्ठानों के कारण स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित हैं जो कई पीढ़ियों से चलते हैं।
- उपवन दुर्लभ प्रजातियों, और औषधीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों का खजाना घर हैं। इन जमीनों से पेड़ गिराना वर्जित माना जाता है।
- लोगों का मानना है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी स्थानीय देवता को परेशान करेगी, जिससे बीमारियाँ, प्राकृतिक आपदाएँ या फ़सलों की विफलता होगी। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर भारत के गारो और खासी जनजातियां पवित्र उपवन में किसी भी मानवीय हस्तक्षेप को पूरी तरह से रोकती हैं।

पवित्र उपवन का वर्गीकरण

1. पारंपरिक पवित्र उपवन- यह वह स्थान है जहां ग्राम देवता निवास करते हैं, जिन्हें एक प्राथमिक प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है
2. मंदिर उपवन - यहां एक मंदिर के चारों ओर एक उपवन बनाया गया है और संरक्षित किया गया है।
3. कब्रिस्तान या श्मशान घाट के चारों ओर झाड़ियाँ।

डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय

पार्क और देहिंग पटकाई

हाथी रिजर्व

संरक्षण; संरक्षित क्षेत्र

के बारे में

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पर्यावरण मंत्रालय, ऑयल इंडिया लिमिटेड (तेल) और दो अन्य संस्थाओं को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि पूर्वी असम राष्ट्रीय उद्यान (डिब्रूसाईखुवा) में सात तेल कुओं की प्रस्तावित ड्रिलिंग की अनुमति कैसे दी गई।

- इससे पहले, NGT ने असम में डेहिंग पटकाई हाथी रिजर्व के अंदर पूर्वोत्तर कोलफील्ड्स द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन के आरोपों की जांच के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया था।

विलुप्त होने वाली प्रजाति

इंडियन बुलफ्रॉग (होपलोबत्रसस टाइगरिनस)

विलुप्त होने वाली प्रजाति; संरक्षण

के बारे में

- IUCN श्रेणी: न्यूनतम चिंता
- यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे परिचित और प्रचुर मेंढकों में से एक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मेंढक भी है।
- उनका अवसरवादी भरण व्यवहार, विपुल प्रजनन (बड़े अंडे के चंगुल के साथ) और अनुकूलनशीलता उन्हें प्रकृति में आक्रामक बनाती है, जहां वे अन्य देशी प्रजातियों पर हावी हो जाते हैं, वर्तमान में अंडमान के मूल निवासी मेंढक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
- प्रजातियों को मेडागास्कर में भी पेश किया गया था और स्थिति उसी मार्ग का अनुसरण करती है

क्या आप जानते हैं?

- बुलफ्रॉग के पैर स्वादिष्ठ खाद्य होते है और उन्हें अवैध रूप से शिकार किया जाता है और देश भर में कई स्थानों पर परोसा जाता है, भले ही यह प्रजाति भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1971 की अनुसूची IV के तहत संरक्षित है।
- यह देश भर में सबसे ज्यादा शिकार किया जाने वाला मेंढक है और वन विभाग इसकी खपत पर अंकुश लगाने के लिए किसी भी दिशा में परिश्रम करता है।

हिमालयन बटरफ्लाई उर्फ गोल्डन बर्डविंग

जैव विविधता और संरक्षण

के बारे में:

- गोल्डन बर्डविंग नामक एक हिमालयी तितली अब 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी है।
- गोल्डन बर्डविंग दक्षिणी बर्डविंग से बड़ा है, जिसे पहले सबसे बड़ा माना जाता था।
- मादाएं (गोल्डन बर्डविंग) पुरुषों की तुलना में बड़ी हैं।
- जबकि उत्तराखंड के दीदीहाट से महिला गोल्डन बर्डविंग दर्ज की गई थी, सबसे बड़ा पुरुष मेघालय की राजधानी शिलांग में वानखर तितली संग्रहालय से था।

क्या आप जानते हैं?

- दक्षिणी बर्डविंग को IUCN लाल सूची में न्यूनतम चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- यह प्रजाति दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में अधिक आम है और कर्नाटक, भारत का राज्य तितली है।

आंध्र प्रदेश में लाल चंदन जब्त

पर्यावरण और पारिस्थितिकी; जैव विविधता; संरक्षण

खबरों में:

- आंध्र प्रदेश लाल चंदन एंटी-स्मगलिंग टास्क फोर्स ने तिरुपति (आंध्र प्रदेश) से 25 किमी दूर शेषचलम पहाड़ियों में 1.50 टन लाल चंदन लट्ठे जब्त किए

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :

लाल चंदन के बारे में:

- पेट्रोकार्पस सांतालिनस या लाल चंदन दक्षिण भारत का एक स्थानिक पेड़ है
- वे आंध्र प्रदेश के पालकों और सेश्चाचलम पहाड़ी श्रेणियों के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जंगल में पाए जाते हैं और तमिलनाडु और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं।
- लाल चंदन आमतौर पर लाल मिट्टी और गर्म और शुष्क जलवायु के साथ चट्टानी, नीच और परती भूमि में उगते हैं।
- IUCN ने इसे अवैध कटाई और तस्करी के कारण घटती आबादी के कारण लाल सूची में लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में रखा है।

क्या आप जानते हैं?

- इसका निर्यात भारत में CITES और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार प्रतिबंधित है।

- इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है जैसे कि प्रतिरक्षा चिकित्सा, फर्नीचर, विकिरण शोषक, संगीत वाद्ययंत्र, खाद्य रंजक और मसाले, आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा, सजावटी और सजावटी उद्देश्य आदि।

मिजोरम के बाद, नागालैंड में कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया

पशु कल्याण और संरक्षण

के बारे में

- नागालैंड सरकार ने कुत्तों और कुत्ते के मांस के वाणिज्यिक आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।
- मिजोरम सरकार ने मार्च में इसी तरह का निर्णय लिया था।
- इस घोषणा के बाद भारतीय पशु संरक्षण संगठनों का संघ (FIAPO) ने अपील की, जो कि पशु अधिकार समूहों का एक शीर्ष निकाय है।

क्या आप जानते हैं?

- कुत्ते का मांस - नागालैंड के कुछ समुदायों और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य हिस्सों के बीच एक स्वादिष्ठ खाद्य माना जाता है - दशकों से राज्य के कुछ हिस्सों में पारंपरिक रूप से खाया जाता है।
- नागालैंड में कुछ समुदाय कुत्ते के मांस को औषधीय गुण मानते हैं।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियमन 2011 का विनियमन 2.5, FSSAI जो मांस और मांस उत्पादों को सूचीबद्ध करता है जो खपत के लिए फिट हैं।
- कुत्ते के मांस की सूची में नहीं है, और इस तरह, मानव उपभोग के लिए अयोग्य माना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने पशु, पक्षी बलि पशु कल्याण और संरक्षण से निपटने के कानूनों की जांच करने के लिए आदेश दिए है।

के विषय में

- उच्चतम न्यायालय ने केरल पशु और पक्षी बलिदान निषेध अधिनियम 1968 की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए जो मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि को 'देवता' को खुश करने के लिए प्रतिबंधित करता है।
- उच्चतम न्यायालय पीठ ने पशु संरक्षण कानून में "द्विभाजन " पर प्रकाश डाला, जो भोजन के लिए जानवरों को मारने की अनुमति देता है, लेकिन "देवता के लिए जानवरों की हत्या और फिर खपत" की अनुमति नहीं देता है।
- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत पशुओं की हत्या की अनुमति देता है, लेकिन पशुओं के प्रति क्रूरता को प्रतिबंधित करता है।
- पशु क्रूरता की रोकथाम की धारा 28, 1960 धार्मिक उद्देश्यों के लिए जानवरों की हत्या को अपराध नहीं बनाती। हालाँकि 1968 के केरल राज्य के कानून में धार्मिक

बलिदान के लिए जानवरों और पक्षियों की
हत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन व्यक्तिगत
उपभोग के लिए नहीं।

असम में बाढ़: बाढ़ के कारण कई दुर्लभ गैंडों की मौत हो गई

पशु कल्याण और संरक्षण

मुख्य तथ्य:

- सभी गैंडों की आंखों की रोशनी कमजोर है। उनके पास धुंधली दृष्टि है और गंध और ध्वनि के आधार पर हमला करते हैं।
- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिज़र्व (KNPTR) - में एक सींग वाले गैंडों की दुनिया की 55% से अधिक आबादी है।

एक सींग वाला गैंडे:

- एक सींग वाला गैंडा एशियाई गैंडों में सबसे बड़ा है।
- असम एक गढ़वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

- यह असम के गोलाघाट और नागांव जिलों में एक राष्ट्रीय उद्यान है। अभयारण्य, जो दुनिया के महान एक-सींग वाले गैंडों की टोहुओं की मेजबानी करता है, एक विश्व धरोहर स्थल है।
- काजीरंगा को एविफैनल प्रजातियों के संरक्षण के लिए बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- काजीरंगा में विश्व की लगभग 57% आबादी के लिए कहीं भी जंगली पानी भैंस की सबसे बड़ी आबादी है।
- असम में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या पाँच (5) है।
- काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क।

संरक्षण स्थिति:

- IUCN स्थिति: कमजोर
- यह अनुसूची - I के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में शामिल है।

बुनियादी सुविधाएं / ऊर्जा

रीवा सौर ऊर्जा परियोजना

बुनियादी सुविधा, ऊर्जा

खबरों में:

- मध्य प्रदेश में 750- मेगावाट का रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।

मुख्य बिन्दु

- संयंत्र में तीन सौर ऊर्जा पैदा करने वाली इकाइयाँ होती हैं जो 500 हेक्टेयर के भूखंड पर 1,500 हेक्टेयर के सौर पार्क के अंदर स्थित हैं।
- सौर संयंत्र को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था, जो मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड और सेंट्रे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
- यह परियोजना लगभग उत्सर्जन के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम कर देगी जो प्रति वर्ष CO_2 का 15 लाख टन, जो 26 मिलियन पेड़ लगाने के बराबर है।

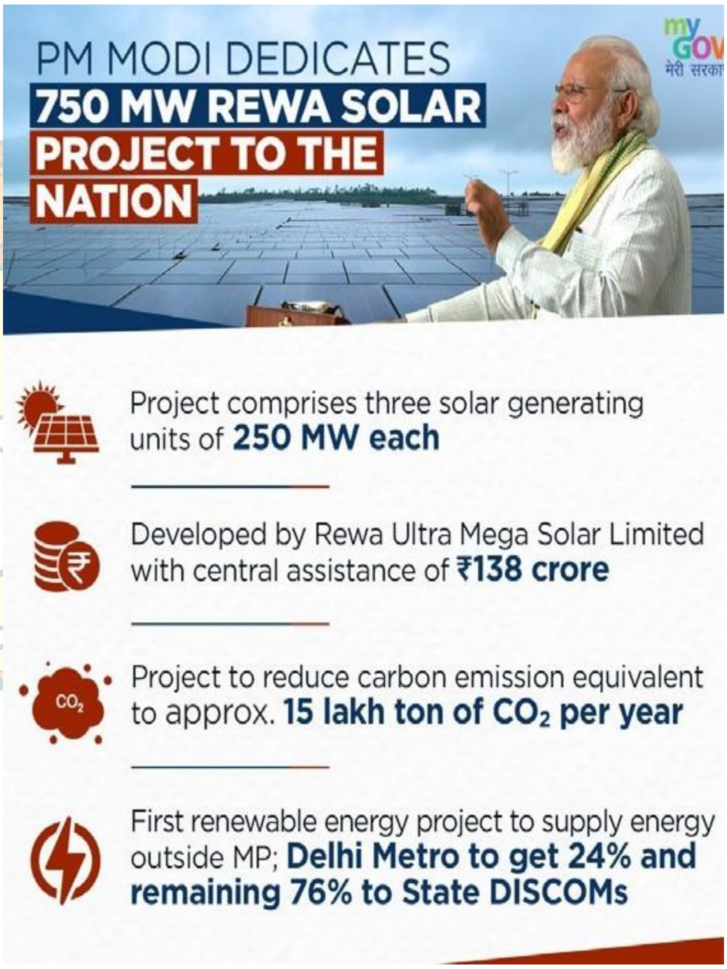

क्या आपको पता है?

- इस परियोजना के लिए भारत में पहली बार परियोजनाओं के लिए बोली लगाने की उलटी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी
- इसकी खरीद दर 2.97 रुपये प्रति इकाई है, जो अब तक की सबसे कम दर है।
- विश्व बैंक समूह की कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने परियोजना में $ 440 मिलियन या 2,800 करोड़ रुपये का निवेश किया है
- राजस्थान में जोधपुर जिले के भादला सोलर पार्क की क्षमता 2,245 मेगावाट और तुमकुर जिले के पावागढ़ सोलर पार्क की क्षमता है, कर्नाटक में 2,050 मेगावाट की क्षमता है।

सुनिश्चित शक्ति: भारत की सौर रणनीति पर

अवसंरचना: ऊर्जा; संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट

संदर्भ: मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की फोटोवोल्टिक सौर परियोजना का उद्घाटन

क्या आप जानते हैं?

- भारत के इस सौर ऊर्जा स्रोत का स्थापित आधार लगभग 35 गीगावाट है
- जलवायु पर पेरिस समझौते में, भारत ने 2022 तक 100 GW सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया

सौर ऊर्जा की आवश्यकता:

- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत की ऊर्जा मांगें ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय स्रोत द्वारा काफी हद तक पूरी होती हैं
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** भारत की ऊर्जा मांग का एक बड़ा हिस्सा थर्मल ऊर्जा द्वारा पूरा किया जाता है जो काफी हद तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है जो प्रदूषण का कारण बनता है। सौर ऊर्जा ऊर्जा संसाधन का स्वच्छ रूप है, जो एक विकल्प हो सकता है।
- भारत उष्णकटिबंधीय देश होने के नाते, देश के लगभग सभी हिस्सों में मुफ्त सौर ऊर्जा की प्रचुरता है।
- परिवर्तित विकास रणनीति: सौर ऊर्जा को आत्मनिर्भर औद्योगीकरण के लिए एक मार्ग के रूप में देखा जा रहा है
- ग्रामीण क्षेत्र में हरित ऊर्जा कृषि के लिए महत्वपूर्ण है - सिंचाई, ग्रीनहाउस, और फसल चलाने के लिए खेतों में व्यवसाय और कृषि को जोखिम मुक्त बनाना।

सौर ऊर्जा के विकास के लिए चुनौतियां

- पिछले वर्ष 3.1 गीगावॉट में कम घरेलू सेल विनिर्माण क्षमता
- फोटोवोल्टिक कोशिकाओं, मॉड्यूल और संबंधित उपकरणों के आयात के लिए चीन पर भारी निर्भरता
- COVID-19 प्रभावित भविष्य में संभावित लक्ष्यों की कमी के कारण क्षमता में अनुमानित वृद्धि (2022 तक 100 GW)
- भारत की सहायक सामग्री आवश्यकता को विश्व व्यापार संगठन में कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
- उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण सौर संयंत्र के लिए भूमि उपलब्धता भारत में कम है।
- 2050 तक भारत के कचरे का लगभग 1.8 मिलियन होने का अनुमान है।
- पॉली सिलिकॉन जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल के आयात के संबंध में चुनौतियां

बिंदुओं को जोड़ने पर

- पर्यावरण संरक्षण मानकों पर COVID-19 का प्रभाव
- पेरिस जलवायु समझौता - अमेरिका ने इसका विरोध किया - समालोचनात्मक अन्वेषण
- आगे की दिशा
- सरकार को सौर ऊर्जा को एक रणनीतिक क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है, जो इसे रक्षा के रूप में अधिक महत्व देता है।

- भारत को निम्न और मध्यम देशों में सौर फोटोवोल्टिक अवसंरचना के निर्माण और अवशोषण को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर नेतृत्व दिखाने की आवश्यकता है।
- राज्यों द्वारा पूरी तरह से समर्थित नीतियों को एकीकृत करना है जहां उद्योग को सुविधाएं स्थापित करने और कम लागत के वित्तपोषण का लाभ उठाने में मदद मिलती है
- भारत को भी बौद्धिक संपदा में निवेश करने में सक्षम होना चाहिए।
- नवीन प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाना होगा- इमारतों के लिए सौंदर्य फोटोवोल्टिक खिड़की और छत टाइलें
- एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण भारतीय परिदृश्य के लिए अनुकूल होगा और इसके लिए अधिक पैनलों को तैनात करने के लिए आवासीय और वाणिज्यिक भवनों का अधिक उपयोग करना होगा।
- भारत को एलासर अपशिष्ट प्रबंधन और विनिर्माण मानक नीति की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- तेजी से प्रगति के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण की सहायता के लिए एक रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता है।

गूगल भारत में $ 10 बिलियन का निवेश करेगा

अर्थव्यवस्था; निवेश; डिजिटल बुनियादी सुविधा

संदर्भ:

- प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल अगले पांच से सात वर्षों में भारत में $ 10 बिलियन (75,000 करोड़ रुपये) का निवेश करेगा।
- निवेश अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने और भारत-पहले उत्पादों और सेवाओं के निर्माण पर केंद्रित है।

डिजिटलीकरण के लिए निवेश चार क्षेत्रों पर केंद्रित होगा -

1. प्रत्येक भारतीय के लिए अपनी भाषा में सस्ती पहुंच और जानकारी सक्षम करना,

2. उत्पादों और सेवाओं का निर्माण जो भारत की अनूठी जरूरतों के लिए गहराई से प्रासंगिक हैं,

3. अपने डिजिटल परिवर्तन यात्रा पर व्यवसायों को सशक्त बनाना, और

4. स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए प्रौद्योगिकी और एआई का लाभ उठाना।

सरकारी वित्तीय कामकाज का डिजिटलीकरण

डिजिटल बुनियादी सुविधा

संदर्भ:

- डिजिटल भुगतान, लेखा और अनिवार्य लेनदेन के लिए तीन चरण के संक्रमण के लिए एक मामला, एक नई परियोजना और कानून के तहत CATA द्वारा प्रस्तावित सरकार के लिए DATA (डिजिटल जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम) नाम से प्रस्तावित है।

DATA के लक्ष्य क्या हैं?

- शुरुआती बिंदु अनिवार्य है और सभी संस्थाओं को धन के सभी रूपों में सरकारी धन प्राप्त करने के लिए सामान्य डेटा मानक
- समापन बिंदु तत्व और इकाई द्वारा कुल सरकारी धन का पता लगाने के लिए एक खोज योग्य वेबसाइट है।

डेटा को वास्तविकता बनाने के लिए किन कदमों की आवश्यकता है?

इन तत्वों के बीच की दूरी को तीन तत्वों से तय करना चाहिए:

1. 100 प्रतिशत छोर-से-छोर इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर: सभी प्राप्तियां और व्यय लेनदेन जिसमें मांग, मूल्यांकन और चालान शामिल हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त, संसाधित और भुगतान किया जाना चाहिए।

2. सभी सरकारी संस्थाओं के मानकों के लिए डेटा शासन: डेटा मानक सटीक अर्थ और शब्दार्थ के साथ डेटा तत्वों का वर्णन और रिकॉर्डिंग के लिए नियम हैं जो एकीकरण, साझाकरण और अंतर-सक्षमता को सक्षम करते हैं।

3. प्रौद्योगिकी वास्तुकला जो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आईटी सरकारी सिस्टम को मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने और गोपनीयता बनाए रखते हुए एक निर्धारित ओपन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क (उदाहरण के लिए, IndEA) के अनुरूप होना चाहिए।

डेटा के क्या फायदे हैं?

1. **लंबे समय तक सुधार:**

- केंद्रीय बजट 1947 में 197 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020 में 30 लाख करोड़ रुपये हो गया और कुल सरकारी खर्च 70 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।
- लेकिन खाते रखने के तरीके और तरीके कमोबेश आजादी के बाद से अपरिवर्तित रहे हैं

2. त्रुटियों को कम करें

- मैन्युअल लेनदेन और मैनुअल भुगतान अक्सर विभिन्न डेटाबेस पर अलग-अलग चरणों में अलग-अलग चरणों में मैन्युअल रूप से दर्ज किए गए डेटा को जन्म देते हैं जो त्रुटियों के लिए अविश्वसनीय और कमजोर बनाता है।
- DATA व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करता है (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड खो नहीं सकता है या फ़ाइलों या कागज रिकॉर्ड की तरह गलत हो सकता है) और एक अंतर्मुखी लेखा परीक्षा का तार

3. लागत दक्षता

- बुरा व्यवहार वर्तमान में बैंक एजेंसी आयोगों में RBI के 4,000 करोड़ रुपये का खर्च आता है

क्योंकि सरकार के कई हिस्से RBI की मुफ्त ई-कुबेर प्रणाली का उपयोग नहीं करते हैं

4. पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएं

- यह सभी सरकारी राजस्व और व्यय डेटा को इलेक्ट्रॉनिक, मशीन-पठनीय, दानेदार, व्यापक, उद्देश्य से जुड़ा, अप्राप्य, विश्वसनीय, सुलभ और खोज योग्य बनाता है।
- यह विधायकों को "आश्वासन" आकर्षित करने में सक्षम करेगा कि सरकार के कारण प्रत्येक रुपया एकत्र किया गया है, और प्रत्येक रुपया उस उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है जो इसे आवंटित किया गया था।

5. सीलोएड IT प्रणाली की समस्या का समाधान करता है

- सरकारी कम्प्यूटरीकरण में अक्सर "प्रतिशोधी प्रक्रियाओं" के बजाय मैनुअल प्रक्रियाओं का मशीनीकरण होता है।
- इसने अलग-अलग डेटाबेस के साथ सीलोएड IT प्रणाली बनाई है जिसमें आधुनिक डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल की कमी है, जिसे DATA हल करने की कोशिश करता है

6.राजकोषीय आंकड़ों की चिंताओं को दूर करना-

- सिलॉइड IT प्रणाली के कारण, राजकोषीय डेटा था-
  - अतुलनीय - राज्यों में वेतन व्यय के रूप में बुनियादी
  - अस्पष्ट - सर्वव्यापी शीर्ष के तहत बुक किए गए बड़े व्यय को अन्य कहा जाता है
  - अप्रतिदेय - अस्थायी अग्रिमों के विरुद्ध वास्तविक व्यय या आकस्मिक बिलों पर आहरित धन
  - विविधीकरण - सस्पेंस हेड के तहत पूंजीगत व्यय और बुकिंग के रूप में सहायता अनुदान

7. संज्ञानात्मक बुद्धि साधनों के उपयोग को सक्षम करता है

- DATA भारी जानकारी प्रदान करेगा जो बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे टूल को नीति निर्माण के लिए उपयोग करने में सक्षम बनाएगा
- यह बदले में बजट बेसलाइन की स्थापना, विसंगतियों का पता लगाने, डेटा-संचालित परियोजना लागत, विभागों में प्रदर्शन तुलनाओं का समर्थन करेगा।

बिंदुओं को जोड़ने पर

- न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति ने डेटा संरक्षण पर सिफारिश

कर्नाटक-तमिलनाडु. आर्थिक गलियारा बुनियादी सुविधा ; पर्यावरण के मुद्दे

संदर्भ:

- पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने आर्थिक गलियारे के विकास के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है - सैटेलाइट टाउन रिंग रोड (STRR) - तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच।
- ग्रीनफ़ील्ड राजमार्ग भारतमाला परयोगना का हिस्सा है और इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- नई सड़क दोनों राज्यों के साथ-साथ इस क्षेत्र में यात्रियों के लिए बेहतर, तेज, सुरक्षित और निर्विघ्न कनेक्टिविटी प्रदान करेगी
- NHAI ने कहा कि परियोजना के लिए 12,111 पेड़ गिर जाएंगे और 206 व्यक्ति संपत्ति और अन्य संरचनाओं के संबंध में प्रभावित होंगे।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

भारतमाला योजना के बारे में

- यह राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक नया छाता कार्यक्रम है जो देश भर में माल ढुलाई और यात्री आंदोलन की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है।
- यह आर्थिक गलियारों, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट, राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों, तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कों और ग्रीन-फील्ड राजमार्गों के विकास जैसे प्रभावी हस्तक्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को पूरा करता है।
- यह भारत सरकार का एक केंद्र प्रायोजित और वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग परियोजना है।
- यह सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारे, UDAN-RCS, BharatNet, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी अन्य प्रमुख भारत सरकार की योजनाओं के प्रति उत्साही और लाभार्थी है।

EAC और EIA के बारे में

- विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) संघ के साथ-साथ राज्य स्तरों (राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या SEAC) में मौजूद है
- यह विकास परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी पर सरकार को सलाह देने के लिए बनाई गई है।
- वे सभी चरणों में शामिल हैं, जनसुनवाई को छोड़कर।
- पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) एक प्रस्तावित परियोजना या विकास के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है।

शहरी स्वास्थ्य देखभाल के बारे में शायद ही स्मार्ट

शहरीकरण; सरकार की नीतियां और विकास के लिए हस्तक्षेप

संदर्भ: स्मार्ट शहर मिशन ने JULY 2020 में पांच साल पूरे किए

स्मार्ट शहर मिशन का उद्देश्य क्या है?

- मिशन ने मुख्य रूप से एक "क्षेत्र-आधारित विकास" मॉडल के माध्यम से 100 चयनित शहरों को "स्मार्ट" बनाने की मांग की, जिसके तहत शहर के एक छोटे से हिस्से को रेट्रोफिटिंग (नया जोड़ना) या पुनर्विकास द्वारा उन्नत किया जाएगा कोरोना वायरस महामारी काफी हद तक एक शहरी संकट रहा है

अधिकांश स्मार्ट शहर अब COVID-19 की वजह से तबाही की चपेट में हैं

- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे मेगा शहरों ने COVID-19 सकारात्मक मामलों में से अधिकांश के लिए जिम्मेदार हैं।
- भारतीय शहरों को न केवल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि आर्थिक मुद्दों और आजीविका का एक बड़ा आपातकाल भी है।
- लॉकडाउन के दौरान शहरी निवासियों के उच्च प्रतिशत ने रोजगार खो दिया है और अनिश्चित भविष्य का सामना करना जारी है
- कैसे महामारी के दौरान स्मार्ट सिटी मिशन के मिशन का लाभ उठाया गया?
- कुछ शहर वायरस के प्रसार के बारे में वास्तविक समय डेटा की निगरानी के लिए स्मार्ट शहर मिशन ’के तहत बनाए गए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उपयोग“ वार रूम ”के रूप में कर रहे हैं।

स्मार्ट शहर मिशन की आलोचना

1. **योजना के तहत की गई परियोजनाएं तय समय से पीछे हैं**

- 100 शहरों में से 5,151 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में से, जबकि लगभग 4,700 परियोजनाओं को निविदा दी गई है, केवल 1,638 परियोजनाओं को पूरा किया गया है।
- व्यय के संदर्भ में,, 2,05,018 करोड़ के कुल निवेश में, केवल 26,700 करोड़ की परियोजनाएं पूरी हुई हैं

2. **मिशन ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की उपेक्षा की है**

- मिशन के तहत 5,000 से अधिक परियोजनाओं में से केवल 69 स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए थीं
- इसके अलावा, इस तरह की परियोजनाएं crore 2,112 करोड़ की अनुमानित लागत के लिए हैं, जो कुल मिशन लागत का लगभग एक प्रतिशत है।

3. **इसने स्थानीय सरकारों को और कमजोर कर दिया है**

- विशेष प्रयोजन वाहन के समानांतर शासन संरचनाओं के साथ ‘स्मार्ट सिटीज मिशन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारियों से स्थानीय निकायों को और दूर कर दिया है
- भारत के शहरी स्थानीय निकाय आर्थिक और प्रशासनिक रूप से कमजोर और भारी रूप से प्रभावित हैं।

आगे की दिशा - स्थानीय क्षमताओं को मजबूत करना

- महामारी रखने में केरल की सापेक्ष सफलता से पता चला है कि मजबूत स्थानीय सरकारों के साथ एक विकेंद्रीकृत राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली और स्थानीय सार्वजनिक

स्वास्थ्य देखभाल में उच्च निवेश कैसे प्रभावी हो सकता है।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रम, जिन्हें हाल ही में सीमित फोकस और संसाधन प्राप्त हुए हैं, को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- एक राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम का परिचय जो शहरी निवासियों के लिए नौकरियों का आश्वासन देता है (केरल 2010 से ऐसी योजना चला रहा है)

निष्कर्ष

- जैसा कि भारतीय शहरों को एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ता है, शहरी विकास की प्राथमिकताओं को ठीक से प्राप्त करना और उन कार्यक्रमों में निवेश करना महत्वपूर्ण है जो अपने निवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार करते हैं।
- बिंदुओं को जोड़ना - शहरीकरण और समाधानों का पर्यावरणीय प्रभाव

ट्रेनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली

बुनियादी व्यवस्था; सुरक्षा

खबरों में:

- रेलवे बोर्ड ने कोचों में वीडियो निगरानी प्रणाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के मानकीकरण के लिए एक समिति बनाई थी।
- SOP में सुरक्षा कर्मियों और फ्रंट-लाइन रेलवे अधिकारियों द्वारा निगरानी और प्रतिक्रिया को परिभाषित करने के अलावा डेटा अपलोडिंग, प्रतिधारण और पुनर्प्राप्ति से संबंधित विवरण शामिल होंगे।

क्या आप जानते हैं?

- रेलवे ने स्टेशनों और ट्रेनों को कवर करने के लिए वीडियो निगरानी प्रणाली के भाग के रूप में मार्च 2021 तक 7,000 कोचों में निगरानी कैमरे लगाने की योजना बनाई है।
- पैनल ने यात्री कोचों में सीसीटीवी कैमरों द्वारा निर्मित फीड की निगरानी, भंडारण, प्रतिधारण और पुनर्प्राप्ति के लिए तौर-तरीकों और प्रक्रिया पर रणनीति तैयार की है।

लाभ:

- रेलवे स्टेशनों / ट्रेनों में अपराधों को रोकने / पता लगाने के लिए सुरक्षा उपाय।
- रेलवे परिसर में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है।

विज्ञान और तकनीक

मंगल पर UAE का HOPE जांच मिशन

अंतरिक्ष संबंधी मुद्दे

खबरों में:

- मंगल पर पहला अरब अंतरिक्ष मिशन, एक मानव रहित जांच जिसे "HOPE" करार दिया गया, जापान से रवाना हुआ।
- HOPE मिशन का उद्देश्य लाल ग्रह के वातावरण के बारे में अधिक बताना है।
- जापानी रॉकेट दक्षिण-पश्चिमी जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से जांच को आगे बढ़ाता है।
- "आशा" फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है, UAE के एकीकरण की 50 वीं वर्षगांठ के वर्ष को चिह्नित करते हुए, सात अमीरातों का एक गठबंधन।

2020 में अन्य MARS उपक्रमों की योजना बनाई गई है

- चीन से तियानवेन 1
- संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगल 2020

इस वर्ष के लिए निर्धारित दो अन्य मंगल उपक्रमों के विपरीत, यह लाल ग्रह पर नहीं उतरेगा, बल्कि इसके बजाय इसे पूरे मंगल वर्ष या 687 दिनों के लिए परिक्रमा करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- अरबी में ""अलअमल"" के रूप में जाने जाने वाले जांच का शुभारंभ, खराब मौसम के कारण दो बार देरी से हुआ था।
- केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पूर्व सोवियत संघ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक सूर्य से चौथे ग्रह की परिक्रमा के लिए मिशन भेजे हैं।
- चीन इस महीने के अंत में अपना पहला मंगल रोवर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।

कावासाकी रोग

स्वास्थ्य; विज्ञान - स्वास्थ्य और चिकित्सा

के बारे में:

- कावासाकी रोग अज्ञात कारण का एक सिंड्रोम है जिसके परिणामस्वरूप बुखार होता है और मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है।
- यह वास्कुलिटिस का एक रूप है, जहां रक्त वाहिकाएं पूरे शरीर में सूजन हो जाती हैं।
- बुखार आमतौर पर पांच दिनों से अधिक समय तक रहता है और सामान्य दवाओं से प्रभावित नहीं होता है।

खबरों में क्यों?

- COVID-19 संक्रमण वाले बच्चों में अक्सर कावासाकी रोग नामक एक दुर्लभ बीमारी से जुड़े कुछ लक्षण दिखाई देते हैं।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस नई बीमारी को "बहु प्रणाली सूजन संबंधी विकार" कहा है।

लक्षण:

- यह बच्चों को प्रभावित करता है।
- इसके लक्षणों में लाल आँखें, चकते, और लाल होठों के साथ एक सूजन वाली जीभ शामिल है - जिसे अक्सर स्ट्रॉबेरी जीभ कहा जाता है - और पूरे शरीर में रक्त वाहिका प्रणाली को प्रभावित करता है।
- कम से कम पांच दिनों तक लगातार तेज बुखार रहता है।
- यह बीमारी हृदय में कोरोनरी कार्यों को भी प्रभावित करती है।

क्या आप जानते हैं?

- कावासाकी बीमारी किन कारणों से होती है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है

- यह एक संक्रमण या वायरस के लिए एक

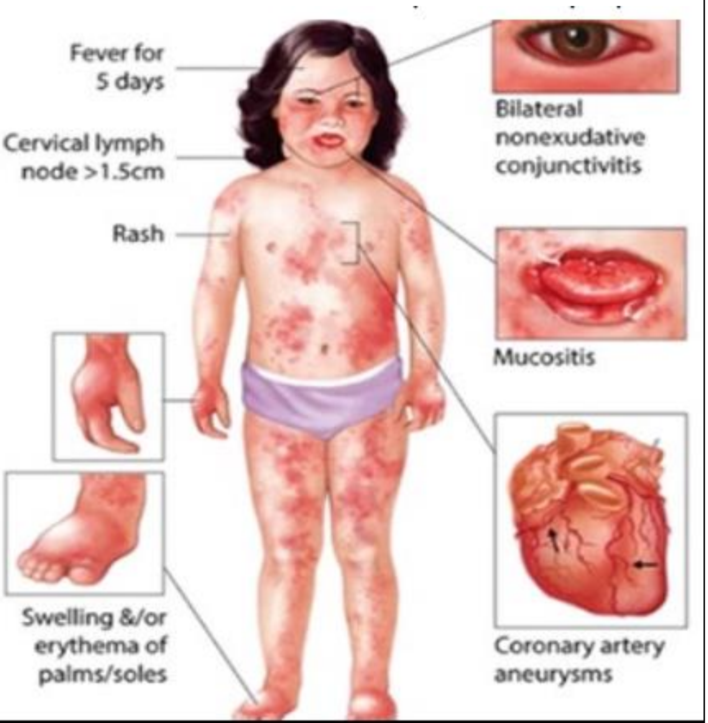

प्रतिरक्षाविज्ञानी प्रतिक्रिया है। एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली एक विशेष संक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया करती है और इन लक्षणों को विकसित करती है।

बूबोनिक प्लेग

स्वास्थ्य; विज्ञान - स्वास्थ्य और चिकित्सा

खबरों में:

- उत्तरी चीन के एक शहर ने बुबोनिक प्लेग या 'ब्लैक डेथ' के एक संदिग्ध मामले के सामने आने के बाद एक चेतावनी दी।

बुबोनिक प्लेग क्या है?

- यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो कृन्तकों से पिस्सू द्वारा प्रेषित होता है।
- यह एक पशु-जनित बीमारी है और इसे अन्य जानवरों या मनुष्यों में प्रेषित किया जा सकता है।
- यह मुख्य रूप से एक संक्रमित पिस्सू के काटने से

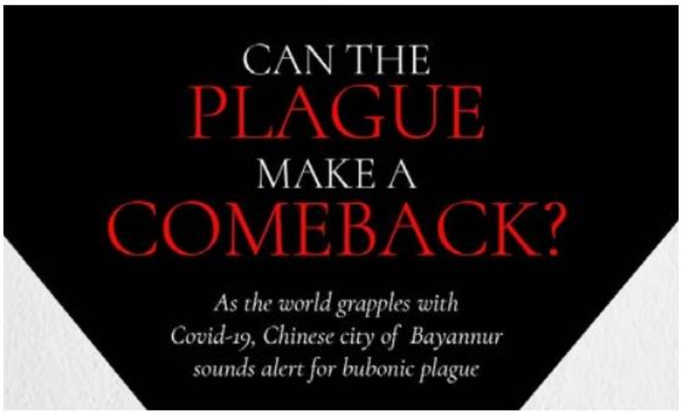

होता है।

- यह एक मृत प्लेग-संक्रमित जानवर से शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने के परिणामस्वरूप भी हो सकता है।
- यह जीवाणु यर्सिनिया पेस्टिस के कारण होने वाले तीन विपत्तियों में से एक है। अन्य दो सेप्टिकैमिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग हैं।
- यह यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है और इसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है। WHO के अनुसार यदि समय रहते इलाज नहीं किया गया तो यह 24 घंटे से कम समय में एक वयस्क को मार सकता है।

इसके लक्षण क्या हैं?

- सूजी हुई लिम्फ नोड्स, जो मुर्गी के अंडों की तरह बड़ी हो सकती हैं, कमर, बगल या गर्दन में। वे संवेदनशील और गर्म हो सकते हैं।
- अन्य में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, थकान और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं।

क्या आप जानते हैं?

- बुबोनिक प्लेग से मानव के मानव संचरण की कोई रिपोर्ट नहीं है। बुबोनिक प्लेग को रोकने के लिए, आमतौर पर लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मृत जानवरों को न छूएं और फैलने की स्थिति में कीट या पिस्सू विकर्षक पहनें।
- WHO के अनुसार, प्लेग के लिए उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए बुबोनिक प्लेग के लिए एक टीका उपलब्ध है।

कोरोना वायरस वायवीय है

स्वास्थ्य; विज्ञान - स्वास्थ्य और चिकित्सा

अगर कोरोना वायरस वायवीय है तो ध्यान रखने वाली बातें:

1. सामाजिक भेद, विशेषकर घर के अंदर या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में अभ्यास करते हुए भी चेहरे को ढके और फेस-मास्क को अनिवार्य बनाया जा सकता है।
2. बड़ी सामाजिक सभाओं को टालना
3. कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पताल की सेटिंग्स में उचित वेंटिलेशन और हवा के पुनरावर्तन को कम करने की आवश्यकता हो सकती है
4. बंद व्यवस्था में वायु में निलंबित एरोसोल को मारने के लिए पराबैंगनी रोशनी का उपयोग
5. शारीरिक गति और हाथ धोना अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है
6. स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों को सभी को N95 मास्क पहनने की आवश्यकता हो सकती है
7. जब घर के अंदर, एक साधारण चीज जो लोग कर सकते हैं, वह है अपनी खिड़कियों और दरवाजों को जब भी संभव हो खोलना

KritiScan: UV पदार्थ

कीटाणुशोधन प्रणाली

विज्ञान और तकनीक; स्वदेशी तकनीक

खबरों में:

- पदार्थ के माध्यम से संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री (ARCI) , हैदराबाद और वीहंत तकनीकी , नोएडा ने KritiScan UV बैगेज कीटाणुशोधन प्रणाली को कोडित किया है।
- सघन UVC वाहक प्रणाली विकसित की गई है जो कुछ ही सेकंड में कन्वेयर से गुजरने वाले सामान को कुशलता से नष्ट कर सकता है।
- UVC आधारित कीटाणुशोधन प्रणालियों को उनकी तेजी से कीटाणुशोधन क्षमता के लिए जाना जाता है।
- कीटाणुशोधन प्रक्रिया शुष्क और रासायनिक मुक्त है।

क्या आप जानते हैं?

- UVC प्रकाश, जब एक संक्रमित सतह पर विकिरणित होता है, तो वायरस में आनुवंशिक सामग्री को जल्दी से बाधित करता है और इस तरह इसके गुणन को रोकता है।
- KritiScan UV उन्नत सामान कीटाणुशोधन प्रणाली रोगाणुओं और वायरस को निष्क्रिय करने के लिए उपयुक्त विकिरण के साथ UV प्रकाश (254 nm) का उपयोग करती है।
- प्रणाली मानक हैंडहेल्ड कीटाणुशोधन तकनीकों की तुलना में 8 सेकंड के भीतर सामान को कुशलता से कीटाणुरहित कर सकता है।

ChAdOx1 nCoV-19

विज्ञान - स्वास्थ्य और चिकित्सा;

हाल के घटनाक्रम / प्रगति

खबरों में:

- ChAdOx1 nCoV-19 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रयोगात्मक COVID-19 वैक्सीन है।
- लैंसेट अध्ययन के अनुसार, टीका उम्मीदवार ने प्रतिरक्षी को बेअसर किया और साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा दिया।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, COVID-19 को नियंत्रित करने के लिए टी-सेल अभिक्रिया और प्रतिरक्षी को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।

आपदा प्रबंधन

FAO ने भारत को टिड्डी हमले पर चेतावनी दी है

अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका; आपदा

संदर्भ:

- खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने भारत को टिड्डी हमले के खिलाफ उच्च अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी है।
- भारत 26 वर्षों में सबसे खराब टिड्डी हमले का सामना कर रहा है।

FAO की रेगीस्तानी टिड्डी स्थितियों की तीन श्रेणी है-

- FAO के पास रेगीस्तानी टिड्ड स्थितियों की तीन श्रेणियां हैं: प्रकोप, उभाड़ और महामारी।
- वर्तमान टिड्डियों के हमले (2019-2020) को उभाड़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- प्रकोप सामान्य हैं, लेकिन उभाड़ में केवल कुछ परिणाम हैं। इसी तरह, कुछ उभाड़ विपत्तियों की ओर ले जाते हैं।
- अंतिम प्रमुख महामारी 1987-89 में थी और आखिरी बड़ा उभाड़ 2003-05 में हुआ था। उभाड़ और विपत्तियाँ रातोंरात नहीं होती हैं; इसके बजाय, उन्हें विकसित होने में कई महीने लगते हैं।

टिड्डी दल का हमला

टिड्डियां क्या हैं?

- रेगिस्तानी टिड्डे (शिस्टोसेरका ग्रिगेरिया) एक छोटी सींग वाले झींगुर है।
- साधारण टिड्डियों से थैडीफ़िफ़रिन व्यवहार को बदलने की उनकी क्षमता (ग्रैगराइज़) और झुंड बनाते हैं जो बड़ी दूरी पर पलायन कर सकते हैं।
- वे तेजी से प्रजनन कर सकते हैं और तीन महीनों में कुछ 20 गुना बढ़ा सकते हैं।
- भारत में सामान्य टिड्डों का मौसम जून में होता है और खरीफ के मौसम के साथ संबंधित होता है।

क्या आप जानते हैं?

- 1812, 1821, 1843-44, 1863-67, 1869-73, 1876-81, 1889-98, 1900-1907,1912-1920 में गंभीर प्रकोप हुए
- भारत में आखिरी बार उभाड़ 1993 में हुआ था

क्या आप जानते हैं?

- जब अच्छी बारिश होती है और हरी वनस्पतियाँ विकसित होती हैं, तो मरुस्थलीय टिड्डियाँ - जो हमेशा मॉरिटानिया और भारत के बीच के रेगिस्तानों में मौजूद होती हैं - तेजी से संख्या में बढ़ सकती हैं और एक या दो महीने के भीतर, ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देती हैं।
- यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो वे छोटे समूहों या पंखहीन हॉपरों और छोटे समूहों या स्वार पंखों वाले वयस्कों के समूह का गठन कर सकते हैं।

- ऐसी स्थिति को एक 'प्रकोप' कहा जाता है, और आमतौर पर एक देश के एक हिस्से में लगभग 5,000 वर्ग किमी (100 किमी से 50 किमी) के क्षेत्र के साथ होता है।
- टिड्डे का उभार अधिक गंभीर स्थिति है और आम तौर पर पूरे क्षेत्र को प्रभावित करता है।
- सबसे गंभीर श्रेणी, एक महामारी विकसित हो सकती है जब एक उभाड़ नियंत्रित नहीं होता है और पारिस्थितिक स्थिति प्रजनन के लिए अनुकूल रहती हैं, टिड्डियों की आबादी संख्या और आकार में वृद्धि जारी रहती है, और अधिकांश संक्रमण बैंड और झुंड के रूप में होते हैं।
- जिस क्षेत्र में विपत्तियाँ आती हैं वह लगभग 29 मिलियन वर्ग किमी को कवर करती है और 58 देशों में फैल सकती है।
- 1900 के दशक में छह प्रमुख विपत्तियां आईं, जिनमें से एक लगभग 13 साल चली, FAO वेबसाइट नोट।

साइबर सुरक्षा

मेगा ट्विटर हैक

साइबर सुरक्षा

आखिर ट्विटर हैक क्या था?

- 15 जुलाई को, कई हाई-प्रोफाइल खातों ने एक संदेश ट्वीट करना शुरू किया जिसमें कहा गया था कि ट्वीट में किसी भी बिटकॉइन को लिंक पर भेजा गया है उसे दोगुना वापस भेज दिया जाएगा
- प्रभावित नामों में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल गेट्स, एलोन मस्क, जेफ बेजोस, उबर और एप्पल के ट्विटर हैंडल शामिल हैं।
- जब ट्विटर ने इस तरह के ट्वीट को डिलीट कर दिया, तब भी खातों ने मिनटों के भीतर फिर से ट्वीट किया।
- चार घंटे के ट्वीट में लाइव थे, बिटकॉइन वॉलेट में पदोन्नत किए गए ट्वीट्स में कम से कम $ 300 के लेनदेन के माध्यम से $ 100,000 प्राप्त हुए।

हैक कैसे हुआ?

- शुरुआती सुझाव हैकर प्रशासन के विशेषाधिकार का उपयोग करने में कामयाब रहे, जिससे उन्हें किसी भी खाते के पासवर्ड को बायपास करने की अनुमति मिली जो वे चाहते थे।
- ट्विटर ने कहा है कि हैक को उन व्यक्तियों द्वारा समन्वित सामाजिक-इंजीनियरिंग हमला माना जाता है जिन्होंने अपने कुछ कर्मचारियों को सफलतापूर्वक लक्षित किया था जिनकी आंतरिक प्रणालियों और उपकरणों तक पहुंच थी।
- "सोशल-इंजीनियरिंग" का मतलब कई चीजों में से एक हो सकता है।
- यह एक लक्षित फ़िशिंग ऑपरेशन हो सकता है - साइबर अपराधियों द्वारा नियोजित एक सामान्य रणनीति, जो यह पता लगाते हैं कि किन व्यक्तियों के पास सिस्टम की कुंजी है और फिर उन्हें व्यक्तिगत ईमेल के साथ लक्षित करें जो उन्हें विवरण सौंपने में धोखा देते हैं।
- या इसका अर्थ यह हो सकता है कि अपराधी एक या कई स्टाफ सदस्यों को एक वित्तीय अभिप्रेरण या अन्य साधनों की पेशकश करके बदमाशों को समझाने में कामयाब रहे।
- साइबर हमला कैसे हुआ, इसका सटीक विवरण अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है

आगे की दिशा - क्या कदम उठाने की जरूरत है?

- चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग चेतावनी प्रणालियों के रूप में भी किया जाता है, और समाचारों के प्रकाशन के लिए, उन्हें सुरक्षा के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी आकस्मिक योजना तैयार करने की आवश्यकता है
- सोशल मीडिया कंपनियों को सुरक्षा पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता है (अभी तक इस बारे में कोई कानून नहीं है)।
- साइबर सुरक्षा के बारे में व्यापक और सख्त कानूनों की आवश्यकता है
- भारत को इस तरह की जाँच करने के लिए अभी भी एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति या जनादेश कंपनियों के साथ आना है

निष्कर्ष

- जैसे-जैसे अधिक लोग ऑनलाइन गतिविधियों में समायोजित होते हैं, साइबर सुरक्षा को एक आवश्यक खर्च के रूप में देखने की जरूरत है।

बिंदुओं को जोड़ने पर

- सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण विश्लेषण
- यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) और जस्टिस बी. एन. श्रीकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट डेटा सुरक्षा व्यवस्था पर

रक्षा

मार्ग अभ्यास (PASSEX)

रक्षा

खबरों में:

- भारतीय नौसेना के जहाजों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास अमेरिकी नौसेना के यूएसएस निमित्ज वाहक हड़ताल समूह के साथ एक मार्ग अभ्यास (PASSEX) का आयोजन किया क्योंकि यह हिंद महासागर को स्थानांतरित कर रहा है।
- लद्दाख में सीमा के साथ चीन के साथ गतिरोध के कारण हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में नौसेना द्वारा उच्च सतर्कता के बीच अभ्यास किया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- इस अभ्यास के तहत, चार अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक जहाजों, शिवालिक, सहयाद्री, कामोर्ता और राणा सहित एक गुप्त कार्वेट, द्वीप समूह के पास पूर्वी यूएस महासागर में वाहक यूएसएस निमित्ज़ और तीन अन्य अमेरिकी जहाजों के साथ मिलकर तैयार हुआ।
- 27 जून को, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (JMSDF) के प्रशिक्षण स्क्वाड्रन से JS काशिमा और जेएस शिमायुकी ने हिंद महासागर में आईएनएस राणा और INS कुलिश के साथ एक PASSEX का आयोजन किया था।
- नौसेना चीनी नौसेना के जहाजों के IOR में गति पर कड़ी नजर रख रही है, जिनकी उपस्थिति चोरी विरोधी पैट्रोल के नाम पर पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है। 2017 में, चीन ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा खोला।

MoD ने 33 नए लड़ाकू विमान को मंजूरी दी

भारत-रूस संबंध; रक्षा

खबरों में:

- रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 38,900 करोड़ रुपये जिसमें 21 मिग -29 लड़ाकू विमान की खरीद और 59 मिग -29 के अपग्रेड और 12 Su-30 MKI विमानों का अधिग्रहण शामिल है।
- रक्षा मंत्री की विजय दिवस परेड के लिए रूस की यात्रा के बाद अनुमोदन आया।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

रक्षा अधिग्रहण परिषद के बारे में

- DAC - रक्षा खरीद पर सरकार का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
- DAC की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री करते हैं।
- भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और सैन्य खरीद में निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए।

रक्षा अधिग्रहण परिषद से बहने वाले निर्णय को निम्नलिखित 3 बोर्डों द्वारा लागू किया जाना है -

1. रक्षा सचिव की अध्यक्षता में रक्षा खरीद बोर्ड

2. रक्षा उत्पादन बोर्ड सचिव (रक्षा उत्पादन) की अध्यक्षता में

3. सचिव के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास बोर्ड (रक्षा अनुसंधान और विकास)

स्पाइक-LR (लंबी रेंज) टेंक रोधी गाइडेड मिसाइल

रक्षा

- भारतीय सेना ने इज़राइल से स्पाइक-LR (लंबी दूरी) टैंक रोधी गाइडेड मिसाइलों के लिए दोहराने के आदेश देने के लिए तैयार है।
- इससे पहले, सेना ने यू.एस. से 72,400 सिग सउर असॉल्ट राइफल के लिए दोबारा के लिए ऑर्डर देने का फैसला किया था।

सामरिक दरबूक-श्योकडौल बेग ओल्डी (DSDBO) सड़क

भूगोल; रक्षा और सुरक्षा मुद्दे

खबरों में:

- सीमा सड़क संगठन (BRO) रणनीतिक दरबूक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DSDBO) सड़क पर काम को तेजी से ट्रैक करने के लिए।
- DSDBO सड़क अक्साई चिन पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के लगभग समानांतर चलती है।
- चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ कई बिंदुओं पर भारतीय सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास पर आपत्ति जता रहा है।
- DSDBO सड़क पर भी चीनियों ने आपत्ति जताई है।

भारत-चीन सीमा सड़कें

- BRO, चीन स्टडी ग्रुप (CSG) के निर्देशन में 3,323.57 किलोमीटर की दूरी पर 61 रणनीतिक भारत-चीन सीमा सड़क (ICBR) का निर्माण भी कर रहा है।
- 61 भारत-चीन बॉर्डर रोड (ICBR) पर निर्माण कार्य का 75% पूरा हो गया है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

सीमा सड़क संगठन (BRO) के बारे में

1. इसका गठन 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।

2. यह देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सड़कों के नेटवर्क के त्वरित विकास के समन्वय के लिए स्थापित किया गया था।

3. यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है।

4. यह विभिन्न प्रकार के निर्माण और विकास कार्य करता है जैसे एयरफील्ड, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, रक्षा कार्य, आदि

मिश्रित

खबरों मे	वर्णन
1. **उद्योग सेतु**	विषय में: • भारतीय संघों का संघ (CIA) ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह उद्योग सेतु को विकसित करने के लिए, एक मोबाइल एप्लिकेशन, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को मदद देने के लिए है, जो COVID-19 से बुरी तरह प्रभावित हैं। • विश्वसनीय डेटा की कमी से क्षेत्र का पुनरुद्धार बाधित हो रहा था और इसलिए उद्योग सेतु ऐप मदद कर सकता था। • मोबाइल एप्लिकेशन में MSMEs से संबंधित सभी डेटा शामिल होंगे जैसे कि उद्यमों के नाम, टर्नओवर, कर्मचारियों की संख्या, पौधे का स्थान आदि।
2. **सी. रंगराजन को महालनोबिस पुरस्कार मिला**	विषय में: • भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को सरकारी आंकड़ों में उनके योगदान को मान्यता देते हुए पीसी महालनोबिस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। • महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। • यह पुरस्कार विकासशील देश या क्षेत्र की सांख्यिकी में आजीवन उपलब्धियों के लिए एक व्यक्ति को पहचानता है। क्या आप जानते हैं? • प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस (1893-1972) एक अत्यंत प्रतिष्ठित सांख्यिकीविद् थे जिन्होंने कार्यप्रणाली, अनुप्रयोगों, सांख्यिकीय विकास और सार्वजनिक नीति में व्यापक योगदान दिया।

	• उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और भारत सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य किया।
3. **कोरोना की दवाई (को-वेकसीन)**	विषय में: • हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड (BBIL) द्वारा विकसित मानव परीक्षण के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई। • परीक्षण लोगों के समूहों पर किया जाता है और यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि क्या टीका मनुष्यों पर सुरक्षित है और सुरक्षात्मक प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है। • विचाराधीन संभावित टीका एक SARS-CoV-2 तनाव है जो ICMR राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान से लिया गया है। • यह सभी नैदानिक परीक्षणों के पूरा होने के बाद 15 अगस्त, 2020 तक नवीनतम वैक्सीन लॉन्च करने की परिकल्पना की गई है।
4. **जयराम रमेश समिति**	विषय में • महामारी पर मिलने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जयराम रमेश समिति • विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति ने 10 जुलाई को जयराम रमेश की अध्यक्षता में " COVID 19 और भविष्य में अन्य महामारियों से निपटने के लिए तैयारियों" पर चर्चा की। • समिति COVID-19 के लिए टीकों पर भी विचार-विमर्श करेगी, जिसमें भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसकी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ भागीदारी है। • संसदीय पैनल ने सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार को COVID प्रतिक्रिया पर संक्षिप्त जानकारी देने के लिए बुलाया।
5. **आत्मानिर्भर भारत नवाचार चुनौती**	विषय में: • आत्मानिर्भर भारत नवाचार चुनौती उन सर्वश्रेष्ठ भारतीय एप्स की पहचान करने के लिए शुरू किया गया था जो पहले से ही नागरिकों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं और अपनी-अपनी श्रेणियों में विश्व स्तरीय एप्स को स्केल करने और बनने की क्षमता रखते हैं। • फोकस - मेड इन इंडिया एप्स को विश्व स्तरीय बनाने के लिए। • PM ने तकनीकी समुदाय से आत्मानिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती

	में भाग लेने का आग्रह किया। • यह योजना दो ट्रैक में चलेगी: मौजूदा ऐप का प्रचार और नए ऐप का विकास।
6. **DRDO अस्पताल**	विषय में: • 1,000 बेड का COVID अस्पताल, जिसमें टाटा ट्रस्ट के साथ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिजाइन और निर्मित 250-बेड का ICU शामिल है, का उद्घाटन दिल्ली में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री द्वारा किया गया था • DRDO ने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW), सशस्त्र बलों और टाटा ट्रस्ट की सहायता से 12 दिनों के रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण किया।
7. **सरकार सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइटों को ब्लॉक करती है**	विषय में: • इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस (SFJ) की 40 वेबसाइटों को अवरुद्ध करने के आदेश जारी किए। • प्रतिबंध आदेश गृह मंत्रालय (MHA) की सिफारिशों पर आए थे।
8. **'कुल शून्य ' कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क 2030 तक**	• भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि वह अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर होने का प्रयास करेगा और अपनी कर्षण शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध होगा और परिवहन का एक पूरा ग्रीन मोड 'बन जाएगा। • रेल मंत्रालय ने मेगा पैमाने पर अपनी खाली अप्रयुक्त भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने का निर्णय लिया है। • यह कदम कुल शून्य कार्बन उत्सर्जन रेलवे को भारतीय रेलवे के रूपांतरण को प्राप्त करने में मदद करेगा।
9. **भारत वैश्विक सप्ताह 2020 पर PM का उद्घाटन संबोधन @ भारत वैश्विक सप्ताह**	• वैश्विक पुनरुत्थान की कहानी में भारत की अग्रणी भूमिका होगी, क्योंकि भारतीय प्राकृतिक सुधारक हैं। • उन्होंने वैश्विक समावेशीभारत वैश्विक सप्ताह 2020 विषय के साथ आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला: 'बी द रिवाइवल: इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड'
10. **बाढ़ सहिष्णु पौधों का**	विषय में :

अनुकूलन	• असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसान जल प्रतिरोधी स्वर्ण सब 1 की कटाई कर रहे हैं। • स्वर्ण सब 1 को 2009 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मनीला स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है।
11. **जिओ प्लेटफ़ॉर्म में गूगल की 7.7% हिस्सेदारी है**	के विषय में: • रिलायंस जियो अगले साल भारत में 5G तकनीक निर्मित करेगा। • जियो और गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सस्ते एंट्री-लेवल 4G या 5G स्मार्टफोन विकसित करने के लिए भागीदार हैं। • गूगल ने जिओ प्लेटफ़ॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 37 33,737 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। • रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने खुदरा और पेट्रोकेमिकल व्यवसायों के लिए समान तरीके से पूंजी जुटाना चाह रही है। प्रमुख बिंदु: • जियो ने स्क्रैच से पूर्ण 5G समाधान को डिजाइन और विकसित किया है। (मैड इन -इंडिया 5 जी हल) • गूगल ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह भारत में $ 10 बिलियन का निवेश करेगा। • इसलिए, जियो में निवेश पहला और सबसे बड़ा निवेश होगा जो गूगल भारत में करेगा।
12. **भारत विचार शिखर सम्मेलन**	के विषय में: • प्रधान मंत्री 22 जुलाई को भारत विचार शिखर सम्मेलन में COVID-19 दुनिया में अमेरिका और भारत के प्रमुख भागीदारों और नेताओं के रूप में वैश्विक दर्शकों को संबोधित करने के लिए। • शिखर सम्मेलन भारत सरकार और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाएगा। • भारत विचार शिखर सम्मेलन शीर्ष वकालत समूह भारत-अमेरिका व्यापार परिषद(USIBC) द्वारा आयोजित किया जाता है, जो 21-22 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।
13. **फरवरी दिल्ली दंगे और नफरत भरे भाषण**	• उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी के दंगों पर गौर करने के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा गठित एक तथ्य-खोज समिति के अनुसार - • हिंसा ने एक "संगठित और व्यवस्थित पैटर्न" का पालन किया और एक दंगे की सहजता नहीं थी।

	• भाजपा नेता कपिल मिश्रा के भाषण के तुरंत बाद हिंसा हुई। • भाषण के बाद, विभिन्न समूहों / भीड़ ने स्थानीय क्षेत्रों में तेजी से आग लगा दी, खुलेआम विभिन्न हथियारों और कार्यों को जिला प्रशासन या पुलिस द्वारा जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए नहीं लिया गया। • रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले मुस्लिम आबादी की ओर लक्षित थे। क्या आप जानते हैं? • समिति का नेतृत्व उच्चतम न्यायालय के मौजूदा वकील एम.आर. शमशाद कर रहे हैं।
14. **चाबहार बंदरगाह पर भारत के साथ काम जारी रखेगा ईरान**	• ईरान के चाबहारज़दान रेलवे परियोजना के नवीनतम मोड़ में, ईरान के रेल मंत्री ने कहा कि ईरान और भारत रेलवे लाइन पर सहयोग जारी रखने के लिए "दृढ़ संकल्पित" हैं। • इससे पहले ईरानी अधिकारी ने कहा था कि भारत उद्घाटन का हिस्सा नहीं है क्योंकि उसने ईरानी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी CDTIC और भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी IRCON के बीच पिछले 2016 MoU के बावजूद चाबहारजाहेडन रेल समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
15. **अपराधियों के साथ पुलिस की** सांठगांठ	विषय में: • उत्तर प्रदेश वांछित अपराधी को पुलिस से जानकारी मिली • उत्तर प्रदेश अपराधी (विकास दुबे), जिसने हाल ही में कानपुर मुठभेड़ के दौरान आठ पुलिसकर्मियों को मार डाला था, को स्थानीय पुलिस स्टेशन से एक फोन कॉल के माध्यम से पुलिस के छापे के बारे में सूचना मिली। • (नैतिकता केस स्टडी का उदाहरण)
16. **भारत में पुलिस की क्रूरता का उदाहरण**	विषय में: • पूरे भारत में पुलिस की बर्बरता बढ़ी है और पुलिस सुधार की तत्काल आवश्यकता है। • पुलिस हिरासत में जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की दुखद और क्रूर मौत ने तमिलनाडु और देश भर में विरोध का तूफान खड़ा कर दिया था। • लॉकडाउन अवधि के दौरान पुलिस की बर्बरता की घटनाएं - जहां पुलिस को निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते देखा गया • हाल की ऐसी घटना मध्यप्रदेश की गुना पुलिस दलित दंपति पर

	हमला है। • मानवाधिकार NGO एमनेस्टी इंडिया ने कहा कि पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया गया बल अत्यधिक और अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन था। क्या आप जानते हैं? • ऐसी पुलिस कार्रवाइयों के शिकार ज्यादातर प्रवासी कामगार, दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले, सब्जी बेचने वाले, गली मे समान बेचने वाले और ऐसे अन्य लोग हैं जो मजदूर वर्ग से हैं।
17. **भारत-नेपाल:भगवान राम जन्मस्थान मुद्दा**	खबरों में: • नेपाल ने नेपाल के सीमावर्ती शहर बीरगंज के पास थोरी में एक पुरातात्विक स्थल का पता लगाने की योजना बनाई है। • ये प्रतिक्रिया नेपाल के प्रधान मंत्री के बयान के चार दिन बाद आई जब उन्होंने कहा था की भगवान राम का असली जन्मस्थान एक प्रमुख सीमावर्ती शहर बीरगंज के आसपास थोरी गांव में स्थित है, और प्राचीन शहर अयोध्या के स्थान के आगे के अध्ययन के लिए आदेश दिए है। क्या आप जानते हैं? • थोरी को प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थलों का एक समूह माना जाता है जो नेपाल के विभिन्न हिस्सों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। • नेपाल PM की टिप्पणी ने भारतीय नागरिक समाज की कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
18. **संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को प्रतिबंधित सूची मे डाल दिया : तालिबान नेता नूर वली महसूद**	खबरों में: • तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आतंकवादी समूह के नेता नूर वली महसूद को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है। • नूर वली महसूद ने अल-कायदा से जुड़ी संस्थाओं के समर्थन में, वित्तपोषण, नियोजन और सतत कृत्यों में भाग लिया था। • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 ISIL और अल-कायदा प्रतिबंध समिति ने नूर वली महसूद को ISIL (Da'esh) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में जोड़ा। क्या आप जानते हैं? • TTP को अल-कायदा के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा 29 जुलाई, 2011 को ब्लैकलिस्ट किया गया था। • नूर वली के नेतृत्व में, TTP ने पूरे पाकिस्तान में कई घातक

	आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदारी का दावा किया है। • सुरक्षा परिषद द्वारा ब्लैकलिस्ट करना यह बताता है कि सभी राज्यों को नामित व्यक्तियों और संस्थाओं के धन और अन्य वित्तीय संपत्तियों या आर्थिक संसाधनों में देरी के बिना कुर्क करने की आवश्यकता है।
19. **भारत और गुटनिरपेक्षता**	विदेश मंत्री के अनुसार - • भारत कभी भी गठबंधन प्रणाली का हिस्सा नहीं होगा। • दुनिया के संतुलित होने के नाते भारत, जापान, यूरोपीय संघ और अन्य जैसी मध्य शक्तियों के पास भूराजनीति को आकार देने के अवसर हैं। • भारत को अब और अधिक "जोखिम" लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया को उम्मीद थी कि वह कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद सहित दिन के " बड़े मुद्दों" पर अधिक सक्रिय रुख अपनाएगी।
20. **यूरोपीय संघ के नेताओं ने अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए सौदा हड़ताल**	के विषय में : • यूरोपीय संघ के नेताओं ने भयंकर मंदी से बचने के लिए के €750 मिलियन बचाव पैकेज पर सहमत हुए है।
21. '**मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना**'	के विषय में : • दिल्ली सरकार ने 'मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना' की घोषणा की, जिससे लाभार्थियों को राशन की घर तक डिलीवरी का लाभ मिल सकेगा। • यह योजना ऐसे निवासियों को हकदार बनाने की है जो वर्तमान में PDS दुकानों से राशन एकत्र करते हैं ताकि वे अपने घरों को एक ही राशन वितरित कर सकें। (यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबों को "सम्मान के साथ राशन मिले")
22. **राजनीति का अपराधीकरण**	मुख्य तथ्य: लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ (ADR) की रिपोर्ट और सांसदों द्वारा स्वप्रेरित हलफनामे के विश्लेषण के अनुसार- • 24% रुपये के सदस्यों को आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ता है • 229 सांसदों में से 28 या 12% ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे

	• 229 सांसदों में से 203 या विश्लेषण किए गए 89% ने 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की थी